सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
**HOME AFFAIRS**

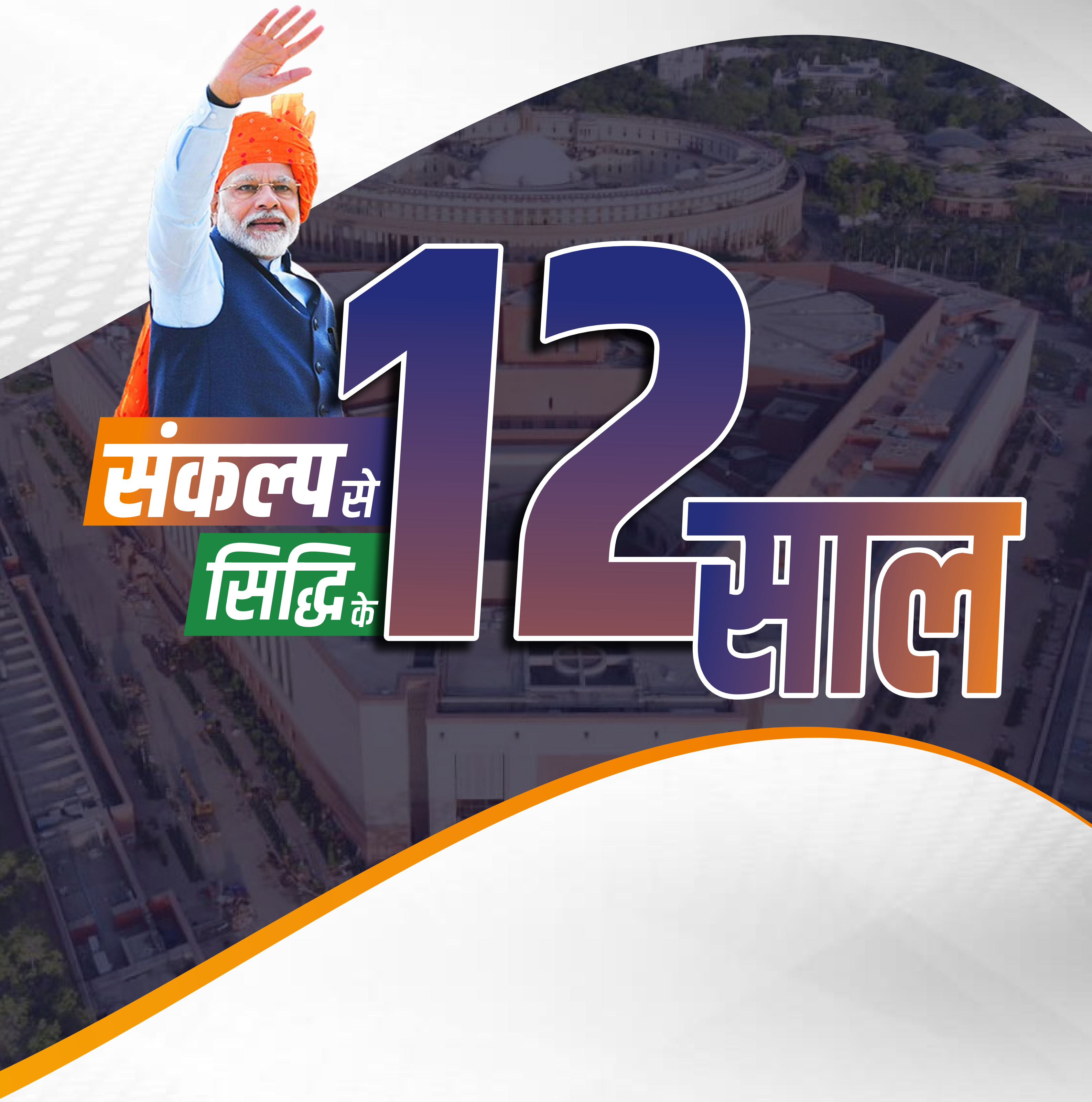

# संकल्प से सिद्धि के 12 साल

**2026**

**प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी** के नेतृत्व में सरकार ने सफलता पूर्वक अपने **12 वर्ष** पूर्ण किए हैं। मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। **गृह मंत्रालय** द्वारा **श्री नरेंद्र मोदी जी** के मार्गदर्शन में **12 वर्षों** में किए गए कार्यों को दर्शाती यह रिपोर्ट...

# विषय सूची

**जम्मू और कश्मीर –** विकास और शांति की नई सुबह 05

**विकास की ओरबढ़ते लद्दाख के कदम –** पूरी हुई लद्दाख की दशकों पुरानी लालसा 14

**प्रगति पथ पर पूर्वोत्तर –** शांति, स्थिरता और विकास का पूर्वोदय 18

**वामपंथी उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई –** शांति, सुरक्षा और समृद्धि की खुलती राहें 28

**नशामुक्त भारत –** अब नहीं चलेगा नशे का कारोबार 34

**आतंकवाद से लड़ाई –** जीरो टॉलरेंस की नीति ने आतंकवाद के हौसले को पस्त किया 45

**संघीय ढाँचे को सुदृढ़ता –** संवाद से समाधान की नीति से बेहतर हुए अंतरराज्यीय संबंध 50

**साइबर अपराधों पर सख्त सरकार –** रियल टाइम रिपोर्टिंग, उन्नत तकनीक और जागरूकता से साइबर अपराधों पर शिकंजा 56

**फॉरेंसिक साइंस –** फॉरेंसिक के विकास से न्याय में विश्वास 64

**सीमा सुरक्षा –** चौकस सुरक्षा प्रणाली से अभेद्य हुई भारत की सीमाएँ 67

**तटीय सुरक्षा –** जलमार्ग पर मुस्तैद निगरानी 72

**आपदा प्रबंधन –** सजगता, सतर्कता, राहत, बचाव और पुनर्वास का एकीकृत दृष्टिकोण 75

**बदले अंग्रेजों के जमाने के कानून –** क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का होगा कायापलट 82

**केंद्र शासित प्रदेशों का विकास** 88

**द्वीप क्षेत्र –** पर्यटन सुविधा के लिए प्राथमिकता से खुल रहे प्रगति के द्वार 92

**नागरिकता –** दशकों से लंबित मुद्दे को निपटाकर धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों के साथ न्याय 96

**वीज़ा प्रक्रिया –** तकनीक युक्त सत्यापन, प्रक्रिया हुई सरल, आसान हुआ विदेश जाना 97

**FCRA –** बेहतर अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही 100

**वृक्षारोपण अभियान –** पर्यावरण संरक्षण का अचूक अभियान 102

**पुलिस प्रशिक्षण एवं सम्मान –** शिक्षण, शोध, संबल, सहयोग और सुरक्षा से पुलिस प्रणाली में बेहतरी के प्रयास 104

**दिल्ली पुलिस –** राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के अग्रदूत 111

**गृह मंत्रालय –** प्रशासनिक सुधारों से सुगमता की ओर 116

**महिला सुरक्षा –** सशक्त हो रही आधी-आबादी, विकास में करती भागीदारी 118

# जम्मू और कश्मीर

## विकास और शांति की नई सुबह

## संविधान संशोधनः

### अनुच्छेद-370 और 35A का निरस्तीकरण

संशोधन से एक निशान, एक विधान का सपना हुआ साकार

### संवैधानिक परिवर्तन

- 5 अगस्त 2019 से **जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख को समान संघीय**
- **एक राष्ट्रीय ध्वज**
- **एक नागरिकता**
- **एक केन्द्रीय कानून**
- **कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी** राजभाषाएँ बनीं
- **केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण** की स्थापना
- जम्मू और कश्मीर के संसदीय और **विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन**
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का **एजीएमयूटी कैडर** के साथ **एकीकरण**

# सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की रणनीति

- कानूनों का सख्त कार्यान्वयन
- सुरक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण
- आतंकवादियों के महिमामंडन पर रोक और उनके जनाजे पर प्रतिबन्ध
- आतंकवाद पर करारा प्रहार एवं काउंटर इंसरजेंसी ग्रिड में वृद्धि
- हाई सिक्योरिटी जेलों का निर्माण
- काउंटर रेडिकलाइजेशन पर नियंत्रण करके युवाशक्ति को मुख्यधारा में लाने के सफल प्रयास
- आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जम्मू-कश्मीर पुलिस की अहम भूमिका
- आतंकवादियों के समर्थकों और रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी से निकाला गया और आगे नौकरी न मिले इसकी व्यवस्था की गई

## सुरक्षा स्थिति में सुधार

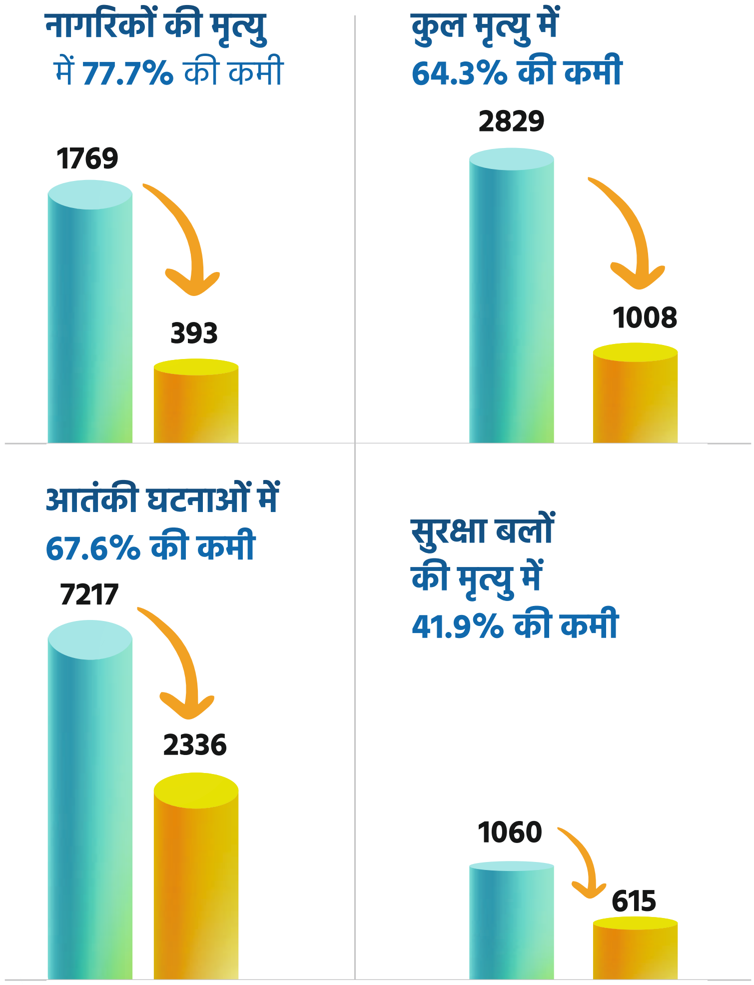

# पर्यटन का विकास

जम्मू कश्मीर में रोजगार की धुरी पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए **अनेक प्रयास किये गए:**

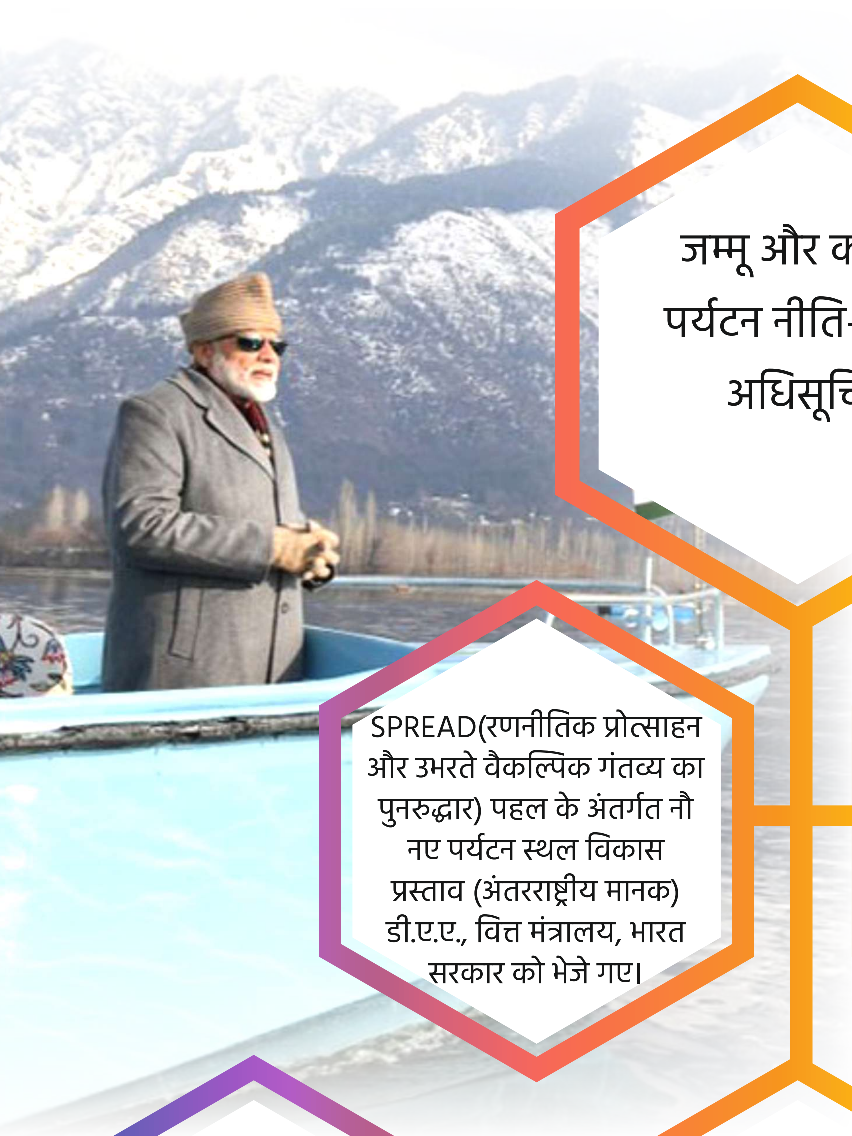

जम्मू और कश्मीर पर्यटन नीति-2020 अधिसूचित

SPREAD(रणनीतिक प्रोत्साहन और उभरते वैकल्पिक गंतव्य का पुनरुद्धार) पहल के अंतर्गत नौ नए पर्यटन स्थल विकास प्रस्ताव (अंतरराष्ट्रीय मानक) डी.ए.ए., वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे गए।

पर्यटन विभाग द्वारा 75 ऑफबीट गंतव्यों की पहचान और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था का उपक्रम

**परिणाम**

2024 में लगभग 2.36 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आये और 2023 में 2.12 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आये

जम्मू और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइटें भी आरम्भ

# पंचायती राज व्यवस्था के पुनर्जीवन से जमीनी लोकतंत्र को मजबूती

अक्तूबर 2020 में जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके जिला विकास परिषदों का सृजन किया गया।

जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार अक्टूबर 2019 में ब्लॉक विकास परिषद् के चुनाव में बिना किसी हिंसा के रिकॉर्ड 98.3% मतदान हुआ ।

चुने हुए 32,002 निर्वाचित प्रतिनिधि (Ers) सदस्यों का प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट करा के उन्हें प्रशिक्षित किया गया। 4097 निर्वाचित प्रतिनिधियों (Ers) को training cum exposure के लिये संघ राज्य से बाहर भेजा गया ।

नवम्बर-दिसम्बर 2018 में 9 चरणों में बिना किसी हिंसा के हुए पंचायती चुनावों में 74.1% मतदान हुआ।

# प्रगति के लिए पैकेज से परियोजनाओं को रफ्तार

**प्रधानमंत्री विकास पैकेज**

इसके अंतर्गत तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के समग्र विकास के लिए ₹80 हजार करोड़ की लागत से 63 परियोजनाओं की योजना बनाई गई, जिनमें से जम्मू-कश्मीर में ₹58,477 करोड़ की 53 परियोजनाएं हैं और उनमें से 37 परियोजनाएँ पूरी / काफी हद तक पूरी हो चुकी है।

## मूलभूत ढाँचे को मजबूती:

**बिजली उत्पादन:**

- आगामी 5 वर्षों में 5000 मेगावाट के लक्ष्य के साथ कार्य प्रगति पर
- ₹8100 करोड़ की लागत से 1000 मेगावाट की पकलदुल HEP परियोजना - कार्य प्रगति पर
- ₹5281 करोड़ की लागत से 850 मेगावाट की Ratle HEP परियोजना - कार्य प्रगति पर
- ₹4287 करोड़ की लागत से 624 मेगावाट की Kiru HEP परियोजना का काम प्रगति पर
- ₹4287 करोड़ की लागत से 540 मेगावाट की क्वार (Kwar) HEP परियोजना का काम प्रगति पर
- ₹2793 करोड़ की लागत से शाहपुर कुण्डी सिंचाई और बिजली परियोजना का काम प्रगति पर

**सिंचाई योजनायें:**

- ₹62 करोड़ की मुख्य रावी नहर- 90% तक पूरा हुआ
- ₹45 करोड़ की त्राल लिफ्ट सिंचाई योजना का तीसरा चरण
- ₹399 करोड़ की झेलम और सहायक नदियों में बाढ़ प्रबंधन योजना के पहले चरण का काम समाप्त

**कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचा:**

- कड़ी निगरानी और त्वरित कार्यान्वयन के माध्यम से, सड़क निर्माण कार्य दोगुना हो गया है।
- सभी मौसमों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और यात्रा समय कम करने के लिए, गंदेरबल जिले में ज़ेड-मोड़ सुरंग और काजीगुंड-बनिहाल सुरंग को चालू कर दिया गया है।
- उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) का शुभारंभ, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 06.06.2025 को किया गया था, कश्मीर घाटी और शेष भारत के बीच भारत के रेल और मौसम कनेक्टिविटी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह परियोजना क्षेत्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगी और इस प्रकार व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी।
- उक्त परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, चेनाब नदी से 359 मीटर ऊपर स्थित, दुनिया का सबसे ऊँचा मेहराबदार रेलवे पुल, चिनाब ब्रिज, एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसे चालू कर दिया गया है।

**प्रधामंत्री ग्रामीण सड़क योजना:**

- इसके तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान 8,174 km लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया।
- पिछले 4 वर्षों के दौरान 21,799 km सड़कों की ब्लैक-टेपिंग की गई।
- 1000 से अधिक आबादी की सभी बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया
- 99% पात्र ग्रामीण आवास जुड़ चुके हैं (2132/2140)
- पीएमजीएसवाई का चरण-IV शुरु किया जा रहा है - लगभग 1700 असंबद्ध ग्रामीण आवासों को कवर किया जाएगा

**औद्योगिक विकास से प्रगति को गति :**

- ₹28,400 करोड़ की केंद्र सरकार की लागत से उद्योगों को प्रोत्साहन
- जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक नीति, जम्मू एवं कश्मीर निजी औद्योगिक सम्पदा विकास नीति और जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति की घोषणा
- निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लैंड बैंक के साथ 13 क्षेत्रीय नीतियाँ
- इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना के लिए 6,000 एकड़ भूमि का प्रावधान जिसमें से 3 हजार एकड़ भूमि की पहचान पहले ही की जा चुकी है
- जम्मू-कश्मीर सरकार ने उद्यमियों को कोविड के दौरान ₹1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया
- 80,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की प्राप्ति।
- वर्ष 2022-23 के दौरान 11000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हुए ₹2153 करोड़ का निवेश किया गया।
- महिला MSMEs में वृद्धि के लिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उद्योग विभाग ने उधमपुर में एक अलग औद्योगिक एस्टेट स्थापित किया है।

**वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा :**

- प्रभावी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए केसर और बासमती की जीआई टैगिंग
- डोडा के गुच्छी मशरूम भी GI टैग कर दिया गया
- चैरी, राजमारा बीन्स, काला जीरा के लिए GI टैग प्रक्रियाधीन
- आम, लीची, चेरी, अखरोट, सेब आदि को शामिल करने के लिए उच्च घनत्व वृक्षारोपण के दायरे का विस्तार
- जिनोम सीक्वेंस रिसर्च से विश्व प्रसिद्ध पशमीना उत्पादन करने वाली बकरी की नस्ल को बेहतर बनाने का काम प्रगति पर
- राष्ट्रीय सैफरन मिशन के तहत फसल की पैदावार मे 1.88 किलोग्राम हेक्टेयर से 4.5 किलोग्राम हेक्टेयर तक की वृद्धि सुनिश्चित हुई
- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) सूची को अधिसूचित किया गया

अब कश्मीर में हुर्रियत, जमियत और पाकिस्तान से बात नहीं होती, बल्कि कश्मीर के युवाओं से बात होती है।

- श्री अमित शाह (माननीय गृह मंत्री)

# शिक्षा से रोजगार तक युवाओं की उम्मीदों को मिले पंख

## शैक्षिक संस्थानों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि

| कॉलेज/सीटें | 1947-2014 | 2014-23 |
|---|---|---|
| मेडिकल कॉलेज<br>BSc नर्सिंग कॉलेज | 4 मेडिकल कॉलेज<br>13 Bsc नर्सिंग कॉलेज (निजी मिला कर) 2019 तक | 14 मेडिकल कॉलेज, 1 आयुर्वेदिक, 1 उनानी व 1 होम्योपैथिक मिला कर<br>49 नर्सिंग कॉलेज (निजी मिला कर) |
| मेडिकल सीटें | 500 MBBS सीटें<br>367 PG सीटें | 1385 MBBS सीटें जोडी गईं<br>664 PG सीटें जोड़ी गईं<br>392 DNB सीटें घोषित<br>1690 BSc पैरा मेडिकल सीट<br>2990 BSc नर्सिंग सीट |
| डिग्री/इंजीनियरिंग कॉलेज | 96 कॉलेज | 55 नए इंजीनियरिंग कॉलेज सहित<br>4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज |

## रोजगार के नए अवसर

स्व-रोजगार योजना के तहत 7.66 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला

विभिन्न विभागों में 39,607 गैजेटेड, नॉन-गैजेटेड पदों पर भर्तियाँ हुई

5184 नये यूथ क्लब स्थापित किए गए, जिसमें 1 लाख से अधिक युवा सदस्य हैं

NRLM-Umeed के तहत 90,571 SHGS की स्थापना की गयी

मिशन यूथ के तहत युवाओं को जीरो मार्जिन मनी पर स्थाई रोजगार प्रदान करने के लिए छोटे कमर्शियल व्हीकल मिल रहे हैं

तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत उद्यमी महिलाओं को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता मिल रही है

परवाज़ कार्यक्रम के द्वारा युवा लड़कों एवं लड़कियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने-माने संस्थानों द्वारा कोचिंग की सुविधा की पहल

हौसला कार्यक्रम से महिला उद्यमियों को मंच प्रदान कर वैश्विक बाजार से जोड़ा जा रहा है

# वंचितों को मिले अधिकार

धारा 370 निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर के अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को वे सभी अधिकार मिले, जो भारत के अन्य राज्यों में मिलते हैं।

# सुनिश्चित हुआ सामाजिक न्याय

- पहाड़ी जनजातियों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा और आरक्षण मिला
- सीधी भर्ती और प्रवेश में आरक्षण का लाभ, जो अब तक एलओसी के पास के गाँव वासियों को मिलता था, वह अंतरराष्ट्रीय सीमा(आईबी) के पास के गांवों के निवासियों को भी दिया गया
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिला
- डोमिसाइल कानूनों में बदलाव से सफाई कर्मचारियों को प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों और अन्य लाभों की पात्रता मिली

# अनुसूचित जनजातियों के हित में निर्णय

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून 2006 को लागू किया गया
- लघु वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना का ट्राइफेड के सहयोग से कार्यान्वयन
- गुर्जर और बकरवाल छात्रों को 100% प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का कवरेज
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 100% संवितरण का लक्ष्य शीघ्र पूर्ण होगा
- 6619 जनजातीय छात्रों के लिए ₹11.17 करोड़ छात्रवृत्ति परिव्यय
- जनजाति युवाओं को आजीविका हेतु 933 मिनी भेड़ बकरी फार्म स्थापित
- मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य योजना भी आरंभ
- जनजातीय क्षेत्रों के लिए 300 स्मार्ट स्कूल स्वीकृत, 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उपक्रम
- 29 क्लस्टर मॉडल गाँव स्थापित करने का कार्य पूर्ण
- जनजातीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जनजातीय उप-क्षेत्रों और मोबाइल स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने का कार्य प्रगति पर

# होने लगा केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन

## फ्लैगशिप कार्यक्रम

**स्वच्छ भारत मिशन**

जम्मू कश्मीर को खुले मे शौच से मुक्त घोषित किया गया

**प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी)**

के तहत 3,40,223 घरों का निर्माण

**जल जीवन मिशन (जेजेएम)**

सभी जिले लक्ष्य प्राप्ति की ओर, सभी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति

**स्मार्ट सिटी मिशन**

270 परियोजनाओं को मंजूरी तथा 156 परियोजनाओं का काम पूर्ण

**पोषण अभियान**

आईसीडीएस के तहत 8.75 लाख लाभार्थी

**प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना**

4,42,921 लाभार्थी

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**

99.88% टीकाकरण कवरेज, 1.97 लाख इंस्टीट्युशनल डिलीवरी (2023-24)

**पीएमजेएवाई**

86.69 लाख लाभार्थी परिवार और 253 अस्पताल पैनलबद्ध

**17 व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त**

उज्ज्वला व उजाला, इन्द्रधनुष, सौभाग्य योजनाओं में

**ग्राम स्वराज की 4 योजनाओं**

सौभाग्य, इंद्रधनुष में पूर्ण रूप से लक्ष्य प्राप्त

**सामाजिक सुरक्षा की 3 योजनाओं** में लक्ष्य प्राप्त

**किसान:** केसीसी के तहत 13.68 लाख किसानों को लाभ और पीएम किसान के तहत 9.18 लाख पात्र किसानों के खाते में ₹3,680 करोड़ सीधे जमा

**पीएम मुद्रा योजना** का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त

# प्रवासियों और शरणार्थियों का पुनर्वास

- 3000 अतिरिक्त कश्मीरी प्रवासियों को सरकारी नौकरियाँ
- प्रवासियों के लिए ट्रांसिट आवास के निर्माण को पूरा करने का कार्य प्रगति पर हैं तथा 6000 मकानों में से 3152 बन चुके हैं एवं शेष का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में हैं।
- भारत सरकार द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों (WPR) के 5764 परिवारों को प्रति परिवार 15.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इन परिवारों के 4,542 पात्र लाभार्थियों को 106.60 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिनमें से 1305 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23.98 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
- PMDP-2015 के अंतर्गत 2,868 कश्मीरी प्रवासी पहले से ही कार्यरत हैं। शेष 132 पदों के लिए भर्ती विभिन्न चरणों में लंबित है।
- POJK, छंब और नियाबत से बसे 36,384 विस्थापित परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता और 5300 परिवारों को भी इसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जो पहले जम्मू और कश्मीर से बाहर चले गए थे और बाद में वापस लौट आए थे। शुरुआत से अब तक 35,552 लाभार्थियों को 1534.53 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।

## भारत दर्शन यात्राएँ/वतन-को-जानो कार्यक्रम

वर्ष 2024-25 में, इन भ्रमणों के संचालन के लिए ₹13.67 करोड़ की राशि जारी की गयी है।

## नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम (CAP)

वर्ष 2024-25 में, इन गतिविधियो के संचालन के लिए ₹5.67 करोड़ की राशि जारी की गयी है।

## SEWA (स्वरोजगार महिला संघ) के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2023 में 3 नए जिलों यानी बडगाम, बारामूला और बांदीपोरा में 3430 प्रशिक्षुओं और 70 मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु SEWA के एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस उद्देश्य के लिए तीन वर्षों के लिए कुल 3.96 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से पहली किस्त के रुप में 1.23 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

> भ्रष्टाचार और आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर हर क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर को पूरे देश में नंबर एक बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है।
>
> - श्री अमित शाह (माननीय गृह मंत्री)

# विकास की ओर बढ़ते लद्दाख के कदम

## पूरी हुई लद्दाख की दशकों पुरानी आकांक्षा

## संविधान संशोधन:

सामाजिक समीकरण अलग होने और राज्य सरकारों के भेदभाव के कारण लद्दाख क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट गया था। परन्तु, 2019 में **धारा 370** हटने के बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला।

## केंद्र सरकार का सहयोग

केंद्र के विशेष सहयोग से अब लद्दाख स्वतंत्रता पूर्वक अपने विकास का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर रहा है।

### प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज

- प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के समग्र विकास के लिए **63 परियोजनाओं के साथ "प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015** की घोषणा की, जिसकी कुल लागत **₹80,068 करोड़** है। **63 परियोजनाओं** में से **₹21,441 करोड़** की 9 परियोजनाएँ विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए हैं। इन 9 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, 1 परियोजना के स्थान पर दूसरी परियोजना लाने की संभावना तलाशी जा रही है, और शेष 6 परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

> संविधान के अनुच्छेद 370 का समाप्त होना लद्दाख क्षेत्र के लिए नया सवेरा है। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों को देश के शेष हिस्सों के साथ लाने के लिए वचनबद्ध हैं।
>
> - श्री अमित शाह (माननीय गृह मंत्री)

### बजट आवंटन बढ़ा

- लद्दाख के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में बजट आवंटन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर ₹5958.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।

## नए जिलों का निर्माण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शाम, नुब्रा, चांगथांग, ज़ांस्कर और द्रास नामक पाँच नए ज़िलों के निर्माण को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी दे दी गई है। नए ज़िलों के निर्माण से सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएँ लोगों तक आसानी से पहुँच सकेंगी और अधिक से अधिक लोगों को उनका लाभ मिल सकेगा। यह बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम है। इन अब ज़िलों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिससे सेवाएँ और अवसर लोगों के और भी करीब आएँगे।

## विधायी पहल

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लोगों के हित में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों में से प्रत्येक में कुल सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
- अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरगी भाषाओं को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है।
- लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण को छोड़कर, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 85% कर दिया गया है।
- लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी पद पर भर्ती के लिए अधिवास मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

# परियोजनाओं / योजनाओं का विकास

**सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (SIDCO) की स्थापना:** ₹25 करोड़ की इक्विटी पूंजी के साथ यह निगम बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा।

**स्वास्थ्य सुविधाएँ:** स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के लिए लेह में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई

**बहुउद्देश्यीय इनडोर स्टेडियम व आइस हॉकी रिंग** का निर्माण किया जा रहा है और ओपन स्टेडियम लेह में सिंथेटिक ट्रैक को क्रियाशील बनाया गया। लेह और कारगिल जिले में एक-एक एस्ट्रोटर्फ ओपन स्टेडियम का निर्माण किया गया है।

**विद्युत ट्रांसमिशन लाइन:** ₹1310 करोड़ की लागत वाली इंट्रा स्टेट 220 KV ट्रांसमिशन लाइन, कारगिल-पदुम ज़ांस्कर (207 किमी) और प्यांग-डिस्किट-नुब्रा (100 किमी) को मंजूरी।

**स्नो क्लीयरेंस मशीनरी:** 156 स्नो क्लीयरेंस मशीनरी ₹30 करोड़ की लागत से खरीदी गई, जिससे कारगिल-ज़ांस्कर रोड (NH-301) और लद्दाख की आंतरिक सड़कों को सर्दियों के दौरान खुला रखा जा सका। जोजिला मार्ग को भी अधिक समय तक खुला रखा गया है।

**एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र** का काम पूरा हो गया है। यह नीति आयोग की 'वेस्ट-वाइज सिटीज' में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी नवाचार में सर्वोत्तम पद्धति में भी शामिल है।

**कारगिल में 170 बेड वाले अस्पताल** का निर्माण पूरा कर लिया गया है और इसे शुरु कर दिया गया है।

**हेलिपैड और हैंगर:** 42 हेलीपैड और 2 हैंगर पर काम आरम्भ, जिनमें से 30 हेलीपैड और 2 हैंगर का काम पूरा।

**राष्ट्रीय SOWA-RIGPA संस्थान** की स्थापना से पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रगति पर।

**सूचना संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) लैब और स्मार्ट क्लासरूम:** 148 ICT लैब व 230 स्मार्ट क्लासरुम का निर्माण।

**सरकारी स्कूलों में 40 खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएं और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं/रोबोटिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं**

**1 केंद्रीय विश्वविद्यालय** की स्थापना।

**550 KW** की मिनी हाइड्रो परियोजना का कार्य लेह व कारगिल में प्रगति पर।

**श्रीनगर- लेह 220 KV ट्रांसमिशन लाइन** पूरी हो चुकी है।

**फियांग, लेह में 50 MW की सौर ऊर्जा परियोजना** का कार्य शुरू।

**श्रीनगर-लेह राजमार्ग** पर जोजिला सुरंग का कार्य प्रगति पर।

**सड़क निर्माण:** सड़कों की लंबाई 2019 में 2149 किलोमीटर की तुलना में 3261 किलोमीटर है

**कोल्ड स्टोरेज सुविधा:** लेह में 1000 मीट्रिक टन की सुविधा का निर्माण पूरा।

**लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना:** 3819 पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस स्थापित किए गए।

**2 नए टूरिस्ट सर्किट, 9 टूरिस्ट रूट और 30 नए ट्रेकिंग रूट** खुलने से रोजगार के अवसर।

**चांगथांग पैकेज के अंतर्गत 129.50 करोड़ रुपये की परियोजनाएं** लगभग क्रियान्वित हो चुकी हैं

**सतत औद्योगिक नीति (2022-27)** को अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की अनूठी ताकत, जैसे स्थानीय संसाधनों को आधुनिक तकनीक से नियोजित करके पारंपरिक कौशल और आर्थिक अवसरों की खोज करना है।

## SEWA (स्वरोजगार महिला संघ) के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2023 में लेह और कारगिल के 40 गाँवों में 2000 प्रशिक्षुओं और 135 मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अपनी गतिविधियों के विस्तार हेतु SEWA के एक नए प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इस उद्देश्य के लिए तीन वर्षों के लिए कुल 2.96 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से पहली किस्त के रूप में 0.987 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

# प्रगति पथ पर पूर्वोत्तर

## शांति, स्थिरता और विकास का पूर्वोदय

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूर्वोत्तर भारत की प्राथमिकता सर्वोच्च रही है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को 'अष्टलक्ष्मी' कहकर उन्होंने **'पूर्वोदय'** का विजन हमारे सामने रखा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने **'Whole of Government Approach'** के साथ पूर्वोत्तर की गरिमा, संस्कृति, भाषा, साहित्य, संगीत और अर्थव्यवस्था को समृद्ध करते हुए शांति और स्थिरता प्रस्थापित करने के सफल प्रयास किये हैं।

## चुनौती

- हिंसक उग्रवाद से शांति की चुनौती
- स्वतंत्रता के बाद लम्बे समय तक उपेक्षा से दूरी का भाव
- पूर्ववर्ती सरकारों की राजनीति के कारण विकास की गति थमी
- विकास की मुख्यधारा में शामिल कर नए भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनाना

## रणनीति

2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के तुरंत बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी। सीमावर्ती और हिंसक अलगाववाद से प्रभावित इन राज्यों में प्रधानमंत्री जी के विजन को हासिल करने में गृह मंत्रालय की विशेष भूमिका रही। गृह मंत्रालय ने इस चुनौती से निपटने के लिए तीन उद्देश्यीय रणनीति बनाई:

- पूर्वोत्तर के सांस्कृतिक संवर्धन से विकास
- विवादों का निपटारा कर शांति व स्थिरता की स्थापना
- विकास को गति देकर देश के साथ एकीकरण

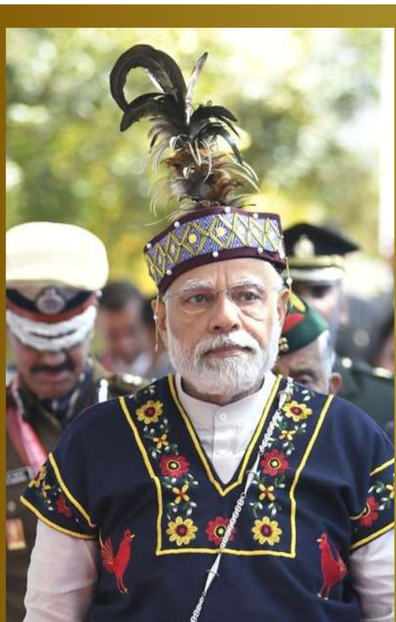

> हमारे नार्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। पूर्वोत्तर का प्राकृतिक सौन्दर्य अनुपम है और यहाँ के लोग अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। हमारा नार्थ ईस्ट अब बेस्ट डील्स के लिए भी जाना जाता है।
>
> - श्री नरेंद्र मोदी (माननीय प्रधानमंत्री)

## प्रभाव

- इसी रणनीति का प्रभाव है कि 2014 से लगातार पूर्वोत्तर में शांति का राज स्थापित हुआ है। अलगाववादी मुख्य धारा में सम्मिलित हो रहे हैं, राज्यों के बीच सीमा विवाद निपट रहे हैं, जातीय संघर्ष कम हो रहा है और विकास के नए आयाम बन रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्य एक बार फिर से अष्टलक्ष्मी की उपाधि को चरितार्थ करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं।

## सजग नीति से बढ़ा सुरक्षा का भरोसा

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशानिर्देश और गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह लक्ष्य तय किया है कि पूर्वोत्तर के सभी विवादों को समाप्त कर पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास का नया युग शुरू हो।
- गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मानना है कि शांति के बगैर विकास नहीं हो सकता। अगर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर व्यक्ति को घर और बिजली चाहिए तो यह हथियार उठाकर नहीं हो सकता। एक समय था, जब पूर्वोत्तर में आये दिन आन्दोलन और विवाद चलते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार के कार्यों से यह सिद्ध हुआ है कि "विकास के लिए आंदोलन या विवाद की नहीं, सहयोग और परिश्रम की जरूरत है।"
- मोदी सरकार की स्पष्ट नीति और गृह मंत्री जी की समयबद्ध रणनीतियों का ही परिणाम है कि धीरे-धीरे पूर्वोत्तर की सभी समस्याओं के समाधान किये जा रहे हैं और यह क्षेत्र शांति व स्थिरता की राह पर अग्रसर हो रहा है। वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा हर 15 दिन में पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा स्थिति एवं विकास कार्यक्रमों का रिव्यु किया जाता है।

## 2014 के बाद हिंसक घटनाओं में आई भारी कमी

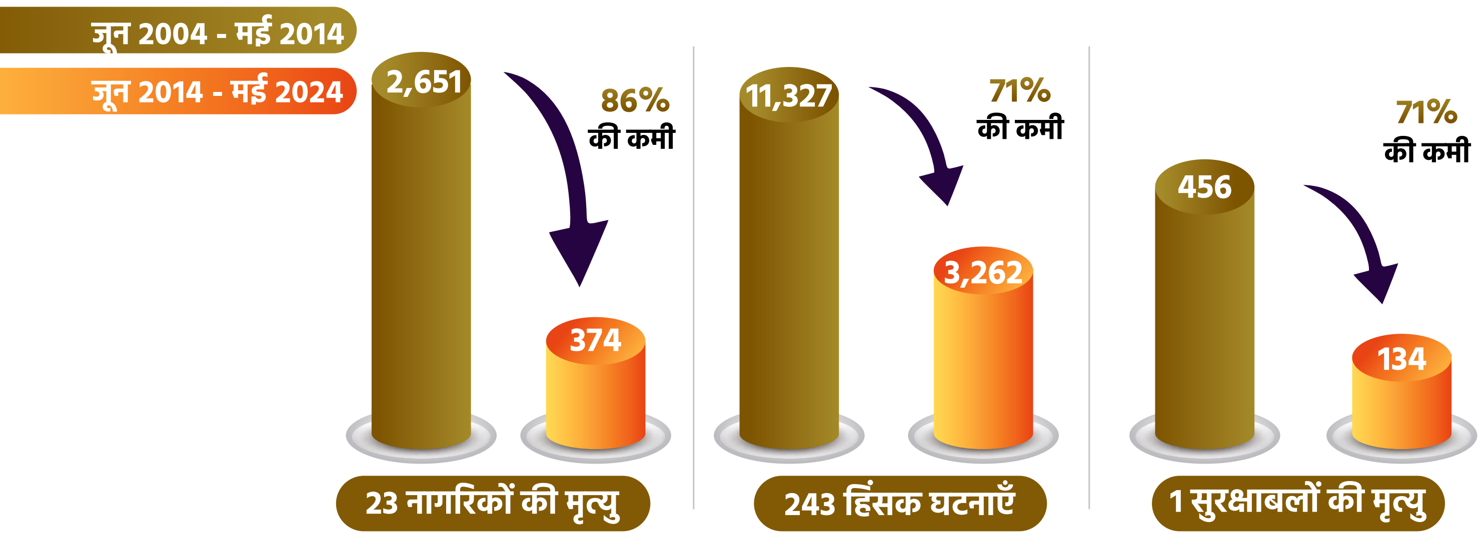


**जून 2014 - मई 2025**

- 2014 से अब तक 10,500 से अधिक उग्रवादी सरेंडर कर चुके हैं।
- वर्ष 2019 से 2022, दो दशकों के दौरान सबसे कम विद्रोह की घटनाएँ तथा नागरिकों और सुरक्षा बलों के हताहत की घटनाएँ हुई हैं।
- पिछले 10 वर्षों में विभिन्न सुरक्षा मदों व आत्मसमर्पण किए विद्रोहियों के पुनर्वास पर सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) में ₹3,659 करोड़ की राशि जारी।

# समझौतों ने खोले समाधान के द्वार

केंद्र सरकार के नीतिगत प्रयासों से कई दशकों पुरानी अनेक समस्याओं का संवाद और समझौते से स्थाई समाधान कर शांति और स्थिरता स्थापित की गई है।

## एनएलएफटी/एसडी समझौता (2019)

- केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने सबीर कुमार देबबर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT-SD) के साथ 10 अगस्त 2019 में समझौता किया और एक आत्मसमर्पण समारोह में 44 हथियारों के साथ 88 कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया। समझौते के तहत जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ₹100 करोड़ के विशेष आर्थिक विकास पैकेज का प्रावधान रखा गया।

## ब्रू-रियांग समझौता (2020)

- 16 जनवरी 2020 को भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिज़ोरम सरकार तथा ब्रू (रियांग) प्रवासियों के प्रतिनिधियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुआ। यह समझौता माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में त्रिपुरा में ब्रू (रियांग) समुदाय के स्थायी पुनर्वास के उद्देश्य से किया गया। समझौते के अनुसार, कुल 6,935 ब्रू परिवारों (37,584 व्यक्तियों) का त्रिपुरा में पुनर्वास किया जाना है। इस पुनर्वास हेतु ₹793.65 करोड़ की वित्तीय सहायता/पैकेज प्रदान किया जाएगा। अब तक चिन्हित सभी 6,935 ब्रू परिवारों को 12 पुनर्वास स्थलों पर स्थानांतरित किया जा चुका है और इनमें से 6,426 के लिए आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

## बोडो समझौता(2020)

- केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में दीर्घ काल से लंबित बोडो मुद्दे का समाधान करने के लिए भारत सरकार, असम सरकार तथा बोडो समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें ₹1500 करोड़ के विशेष विकास पैकेज का भी प्रावधान रखा गया। इस समझौते के बाद एनडीएफबी गुटों के 4,881 कार्यकर्ताओं ने अपने हथियार डाल दिए।

## कार्बी समझौता(2021)

- असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दशकों पुराने मुद्दे का समाधान करने के लिए कार्बी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 4 सितम्बर 2021 को माननीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद 1926 सशस्त्र कैडर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए। समझौते के तहत ₹1,000 करोड़ का विशेष विकास पैकेज प्रदान किया गया है।

## आदिवासी शांति समझौता (2022)

- असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के दीर्घ काल से लंबित मुद्दे का समाधान करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिनांक 15 सितम्बर 2022 को 8 आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद आदिवासी समूहों के 1182 कैडर हथियार डाल कर मुख्यधारा में शामिल हो गए। आदिवासी बहुल्य गाँवों/क्षेत्रों के विकास हेतु असम में ₹1,000 करोड़ का विशेष विकास पैकेज प्रदान किया गया है।

## असम-मेघालय अंतरराज्यीय सीमा समझौता (2022)

- 29 मार्च 2022 को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने अंतरराज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिससे असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सीमा विवाद के कुल 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों में समाधान किया गया है। अब दोनों राज्यों के बीच लगभग 70 प्रतिशत सीमा विवादमुक्त हो गई है।

## असम-अरुणाचल प्रदेश अंतरराज्यीय सीमा समझौता (2023)

- 20 अप्रैल 2023 को इस ऐतिहासिक समझौते (MoU) पर माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किये गए। यह MoU 123 विवादित गाँवों के संबंध में पूर्ण और अंतिम समझौता हुआ।

## दिमासा शान्ति समझौता (2023)

- 27 अप्रैल 2023 को माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में भारत सरकार, असम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) के बीच हिंसा खत्म करने और दिमासा लोगों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया। इस समझौते में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के प्रतिनिधियों ने हिंसा का मार्ग छोड़ कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है और 181 सशस्त्र कैडर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए। असम में नॉर्थ कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (NCHAC) तथा दीमासा समुदाय के समग्र विकास हेतु ₹1,000 करोड़ का विशेष विकास पैकेज प्रावधानित किया गया है।

## UNLF शांति समझौता (2023):

- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 29 नवंबर, 2023 को यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह मणिपुर में राजनीतिक संवाद के माध्यम से शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। UNLF, जो मणिपुर का सबसे पुराना घाटी आधारित सशस्त्र संगठन है, ने हिंसा का परित्याग कर भारत के संविधान और कानून के शासन को स्वीकार करने का संकल्प लिया। यह पहली बार था जब मणिपुर के किसी घाटी आधारित सशस्त्र संगठन ने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया।

## ULFA शांति समझौता (2023):

- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में 29 दिसंबर, 2023 को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य असम में हिंसा को समाप्त कर समग्र विकास सुनिश्चित करना था। इसके परिणामस्वरूप 852 कैडर मुख्यधारा में शामिल हुए और हथियार डाल दिए। ULFA समूह ने 23 जनवरी, 2024 को स्वयं को भंग कर दिया। असम में विभिन्न विकासात्मक पहलों/परियोजनाओं के लिए ₹25,000 करोड़ का विशेष विकास पैकेज प्रावधानित किया गया है।

## NLFT एवं ATTF शांति समझौता (2024):

- 4 सितंबर, 2024 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) एवं ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता संपन्न हुआ, जिससे त्रिपुरा में 35 वर्षों से चला आ रहा सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुआ। इस समझौते के तहत 918 कैडर ने हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया। त्रिपुरा की जनजातीय आबादी के समग्र विकास हेतु ₹2,250 करोड़ का विशेष विकास पैकेज प्रदान किया जाएगा।

## TIPRA के साथ समझौता (2024):

- 2 मार्च, 2024 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में, त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और द इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस (TIPRA), जिसे आमतौर पर 'Tipra Motha' के नाम से जाना जाता है, शामिल थे। इस समझौते के तहत त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय से जुड़े ऐतिहासिक, भूमि और राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने पर सहमति बनी। इन सभी बिंदुओं पर समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह/समिति का गठन किया गया है, जो आपसी सहमति से तय किए गए मुद्दों को क्रियान्वित करेगी।

# अन्य शांति प्रयास

मणिपुर के जेलियांग्रोंग युनाइटेड फ्रंट (JDUAF) समूह के साथ 27 दिसंबर 2022 को ऑपरेशन समापन (COO) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

NSCN (IM) के साथ दिनांक 3 अगस्त 2015 को एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

नागालैंड के NSCN (NK), NSCN (R) और NSCN (K-खांगो)

के साथ संघर्ष विराम समझौतों का समय विस्तार किया गया।

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी समूह के साथ 8 सितम्बर 2021 को संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस समूह के 200 से अधिक कैडर 83 हथियारों के साथ शांति प्रक्रिया में शामिल हुए।

# असुरक्षा से आकांक्षा की ओर

## AFSPA के क्षेत्र का दायरा घटा, लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी

सुरक्षा स्थिति में सुधार के परिणामस्वरुप पूर्वोत्तर के राज्यों की वर्षों से लंबित भावनात्मक माँग को पूरा करते हुए पूर्वोत्तर के एक बड़े भू-भाग से गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया गया है। अब यह क्षेत्र अशांति से आकांक्षा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

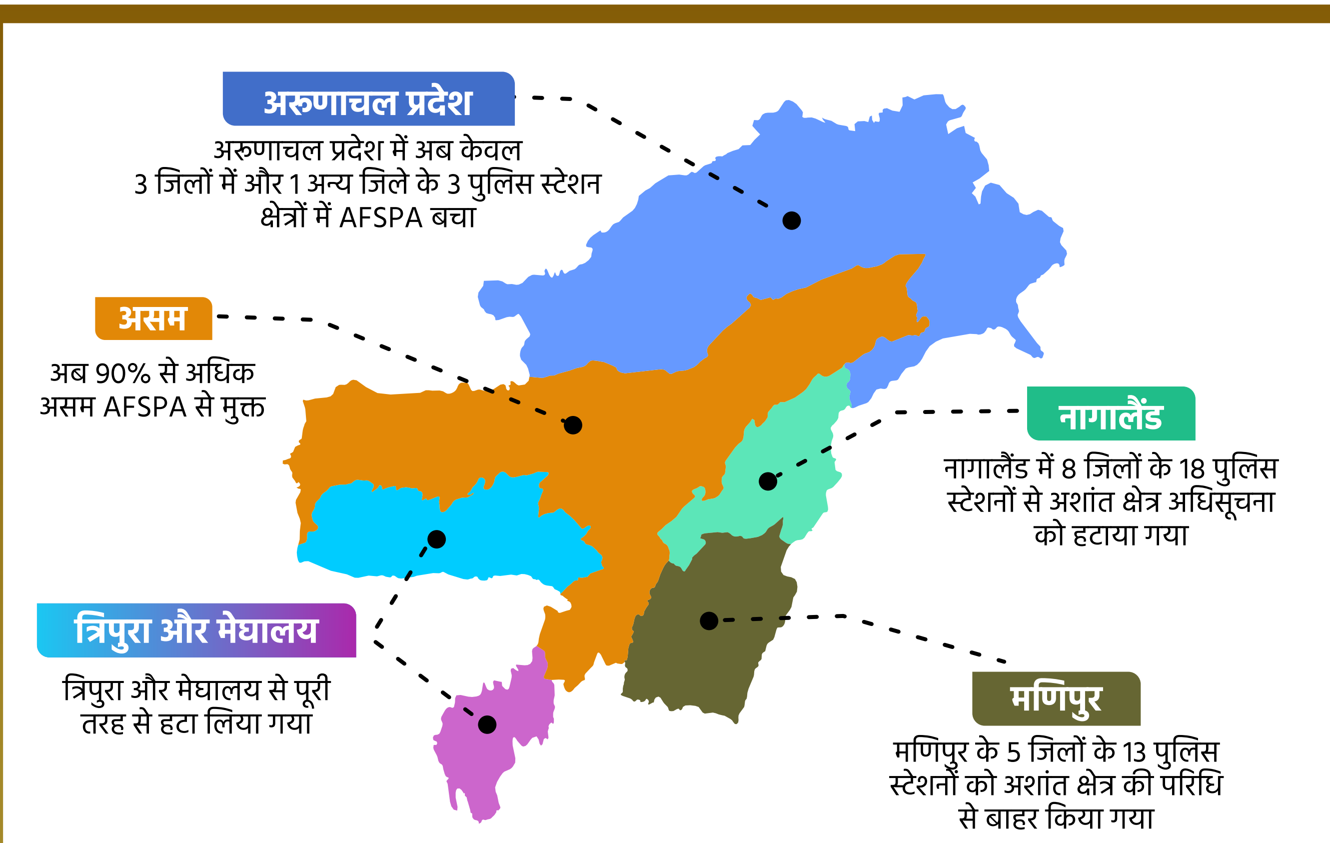


# बहुमुखी विकास की पटरी पर पूर्वोत्तर

अशांति, असुरक्षा और अवरोध ने पूर्वोत्तर में प्रगति के पहिये को पटरी से उतार दिया था। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी की बदौलत एकबार फिर पूर्वोत्तर की प्रगति को पटरी पर लाकर गति देने में सफलता मिली।

# बजट ने बढ़ाई विकास की रफ्तार

गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रथम चरण की लॉन्चिंग (10 अप्रैल 2023) अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबिथू गाँव से हुई है। 2022-23 से 2025-26 के लिए ₹4800 करोड़ का आवंटन, जिसमें पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों के 28 ब्लॉकों में कुल 455 गाँव भी शामिल हैं।

गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में नार्थ ईस्टर्न काउंसिल ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए यह तय किया है कि बजट का 30% हिस्सा पूर्वोत्तर के अविकसित क्षेत्रों में समान विकास हेतु आवंटित किया जायेगा

चौदहवें वित्त आयोग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बजट में डेढ़ गुना की बढ़ोत्तरी

बजट में 110% की वृद्धि: 54 केन्द्रीय मंत्रालयों से 10% सकल बजटीय सहायता के तहत कुल निर्धारित निधि को 2014-15 के ₹36,108 करोड़ से 110% बढ़ाकर 2022-23 में ₹76,040 करोड़ किया गया

डोनर मंत्रालय के बजट में भी 2014-15 की तुलना में 2019-20 में 65% वृद्धि

पीएम-डीईवीआईएनई (PM-DevINE) योजना: केन्द्रीय बजट 2022-23 में ₹1,500 करोड़ के प्रारम्भिक आवंटन के साथ पूर्वोत्तर के लिए एक नई योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर 2022 को पीएम-डिवाइन योजना को मंजूरी दी, जिसमें 2022-23 से 2025-26 तक शेष 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए ₹6,600 करोड़ का कुल एक्स्पेंडिचर

कृषि के लिए अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स: कृषि क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राथमिक नियोक्ता है, इसलिए इसके नियोजित विकास को प्राथमिकता दी जा रही है

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – "पर्वतमाला" पीपीपी मोड: में 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं (60 किमी) की निविदा दी जाएगी, अन्य पहाड़ी राज्यों के साथ पूर्वोत्तर को इस योजना से लाभ होगा

विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ : पूर्वोत्तर के विकास के लिए वर्ष 2014 से मार्च, 2021 तक कुल ₹2 लाख 65 हजार 513 करोड़ खर्च किए गए

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - पाम ऑयल (एनएमईओ-ओपी), राष्ट्रीय बांस मिशन, उत्तर-पूर्वी भारत में जैविक खेती, ₹925 करोड़ की माजुली परियोजना जैसे फोकस्ड मिशन से पूर्वोत्तर को लाभ

- **पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (NESIDS) की उपलब्धियां और विशेष विकास पैकेज (SDP):** जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान ₹952.94 करोड़ की लागत वाली कुल 54 परियोजनाओं को एनईएसआईडीएस के तहत मंजूरी दी गई
  - शिक्षा क्षेत्र में ₹89.93 करोड़ लागत की 11 परियोजनाएं
  - स्वास्थ्य में ₹221.27 करोड़ लागत की 20 परियोजनाएं
  - विद्युत में ₹41.03 करोड़ लागत की 2 परियोजनाएं
  - सड़कों और पुलों के लिए ₹508.44 करोड़ लागत की 16 परियोजनाएं
  - पेयजल आपूर्ति क्षेत्रों में ₹92.28 करोड़ लागत की 5 परियोजनाएं शामिल। इनमें से ₹85.36 करोड़ लागत की 3 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं
  - इसके अलावा, बोडो प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) एसडीपी के अंतर्गत जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान ₹250 करोड़ लागत की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई

- **पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) की उपलब्धियां:** एनईडीएफआई निगम ने 1 जनवरी 2022 से 21 दिसंबर, 2022 तक, शिक्षा और प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प, स्वास्थ्य देखभाल, होटल और पर्यटन, माइक्रोफाइनेंस आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 2917 परियोजनाओं को क्रमश: ₹1023 करोड़ और ₹683 करोड़ की कुल स्वीकृतियों और संवितरण के साथ सहायता प्रदान की।

- विकास के लिए एक विशेष समयबद्ध कार्यक्रम शुरु करने के लिए **8 पूर्वोत्तर राज्यों के 20 जिलों में 40 पिछड़े ब्लॉकों की पहचान** की गई है।

## यातायात हुआ सुगम, दूरियाँ हुईं कम

### तेज हुई रेल की रफ्तार:

2014-15 से 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे द्वारा कुल ₹39,000 करोड़ का निवेश हुआ। जीरीबाम–इम्फाल नई लाइन परियोजना शुरु की गई। बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क सुनिश्चित करने के लिए अगरतला-अखौरा रेल लिंक परियोजना का काम प्रगति पर।

### सड़क संपर्क की बढ़ी सुविधा:

सड़क संपर्क: 2014-15 से अब तक लगभग ₹48,575 करोड़ का निवेश, पिछले 7 वर्षों में कुल 5,695 किमी सड़कों का निर्माण किया गया

### भारतमाला परियोजना:

कुल 5,196 किमी लम्बी सड़क के निर्माण की योजना, जिसमें से 514 किमी का काम समाप्त

### प्रगति की उड़ान:

कुल हवाई अड्डे और उड़ान स्कीम के अंतर्गत 34 मार्ग परिचालनात्मक

# पूर्वोत्तर में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 2000 में अंतरिक्ष विभाग के साथ मिलकर शिलांग में NESAC (North Eastern Space Applications Centre) की स्थापना की गई थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में NESAC को एक नई दिशा देने का कार्य किया जा रहा है।

- **NESAC** के अध्यक्ष एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशानुसार, **NESAC** ने पूर्वोत्तर राज्यों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग हेतु एक विकासात्मक कार्ययोजना **(Plan of Action)** तैयार की है, जिसके अंतर्गत 12 विभिन्न क्षेत्रों में कुल 110 परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनकी अनुमानित लागत ₹61 करोड़ है।
- **NESAC** द्वारा की गई साइट उपयुक्तता विश्लेषण के आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के छह राज्यों में 10 बागवानी फसलों के अंतर्गत **18,000 हेक्टेयर** से अधिक क्षेत्र को रोपण के दायरे में लाया गया है।
- यह संस्था असम में बाढ़ प्रबंधन एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।
- **AMRUT 1.0** के अंतर्गत शिलांग योजना क्षेत्र के लिए **20 वर्षों** की अवधि का **GIS** आधारित मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें कुल 29,051 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- **सिंगल विंडो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम:** NESAC ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण नोड (NERDRR) की स्थापना की है, जो सभी आपदाओं के लिए एकल विंडो सूचना प्रणाली प्रदान करता है।
- **NESAC** द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में **बांस संसाधन मानचित्रण (Bamboo Resource Mapping)** का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मेघालय राज्य के लिए मानचित्रण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- **चुनाव ई-अटलस:** NESAC द्वारा विकसित चुनाव ई-अटलस का उपयोग लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मणिपुर, मिजोरम एवं सिक्किम राज्यों में सफलतापूर्वक किया गया।
- **UAV (मानवरहित हवाई वाहन):** आपदा की स्थिति में NESAC द्वारा UAV का उपयोग निरंतर निगरानी के लिए किया जाता है।
- **North Eastern Spatial Data Repository (NeSDR):** पूर्वोत्तर क्षेत्र के 130 से अधिक विभागों ने NeSDR के डेटा का उपयोग विभिन्न योजना एवं विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया है।
- **पूर्वोत्तर के लिए जियो-पर्यटन एप्लिकेशन:** इस एप्लिकेशन के अंतर्गत 1249 पर्यटन स्थलों, 21,350 उपयोगिताओं, 40 सर्किटों एवं 30 ट्रेकिंग ट्रेल्स का मानचित्रण किया गया है।
- **स्थान आधारित और GIS सक्षम बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी प्रणाली:** इस प्रणाली के माध्यम से 45 मिनट पहले बिजली गिरने की चेतावनी दी जाती है। वर्ष 2024 में असम में 70,000 से अधिक चेतावनियाँ जारी की गईं।
- **NESAC,** पूर्वोत्तर भारत में विज्ञान, आपदा प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्वितीय योगदान दे रहा है।

> आज मोदी जी ने पूर्वोत्तर को रेलवे से जोड़ा है। एयरस्ट्रिप से जोड़ा है, विकास से जोड़ा है। मोदी जी ने पूर्वोत्तर को दिल से जोड़ा है। आज पूरा पूर्वोत्तर यह महसूस कर रहा है कि हम भारत का हिस्सा हैं।
>
> - श्री अमित शाह (माननीय गृह मंत्री)

# वामपंथी उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई

## शांति, सुरक्षा और समृद्धि की खुलती राहें

| समस्या | रणनीति |
|---|---|
| हिंसा द्वारा लोकतंत्र को झुकाने का वामपंथी उग्रवादियों का लम्बा इतिहास रहा है। इन्होनें प्रभावित क्षेत्रों में न सिर्फ विकास ठप्प किया, बल्कि पिछले चार दशकों में इनकी हिंसा के चलते 16,652 सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों ने जान गँवाई। | आत्मनिर्भर नए भारत में हिंसा और अशांति की कोई जगह नहीं, के सन्देश के साथ गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए तीन आयामी रणनीति बनाई। |

## रणनीति

- बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय
- बेहतर रणनीति से उग्रवादियों पर लगाम
- विकास से जन भागीदारी

> नक्सलवाद का हर रूप, चाहे वह बंदूक वाला हो या कलम वाला, उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा।
>
> - श्री नरेंद्र मोदी (माननीय प्रधानमंत्री)

## पूर्वोत्तर में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

32 वर्षों से नक्सलवादियों का गढ़ रहे झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमाओं में स्थित बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के कब्जे से पूर्ण रूप से मुक्त कराना **"नक्सल मुक्त भारत"** की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता है।

## भारत में वामपंथी उग्रवाद की हिंसक घटनाओं और क्षेत्रफल दायरे में बड़ी गिरावट

मोदी सरकार की त्रि-सूत्रीय रणनीति से पिछले 10 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद को रोकने में ऐतिहासिक सफलता मिली है, जो आंकड़ों में परिलक्षित होती है।

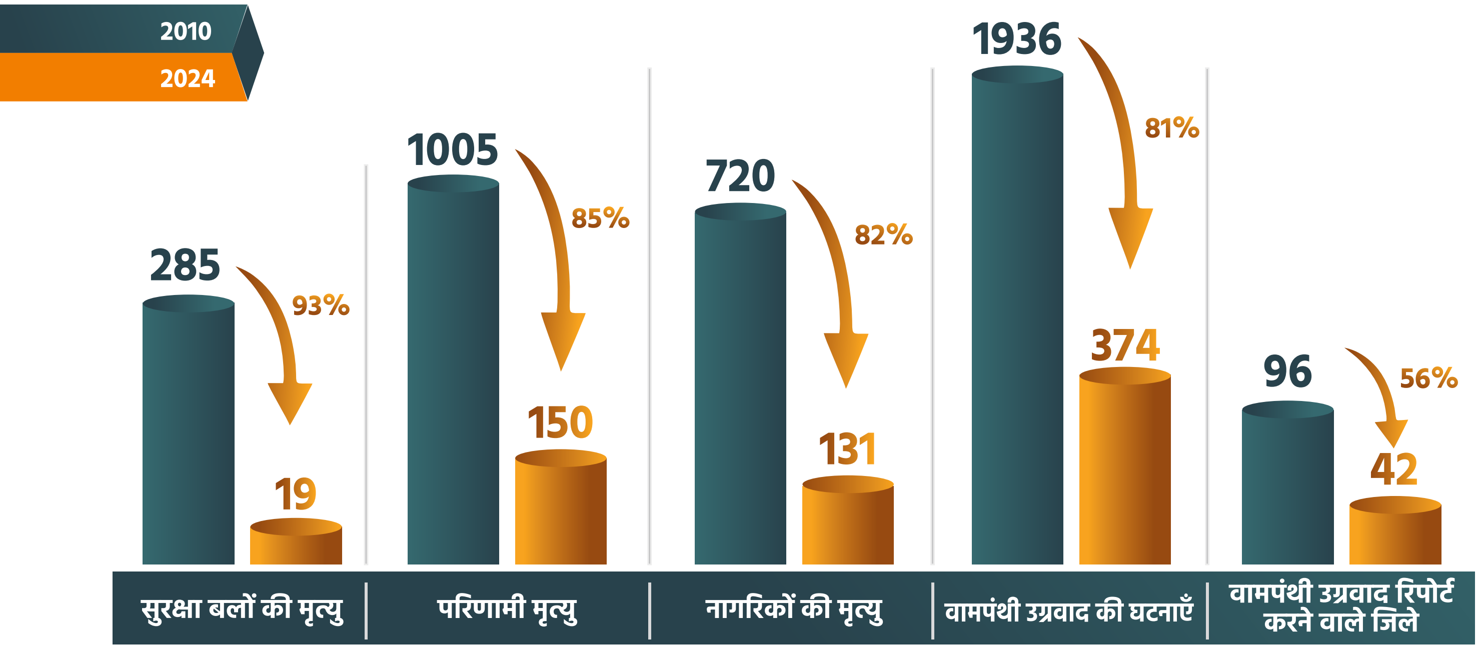


## पिछले 10 वर्षों में घटनाओं में अभूतपूर्व कमी

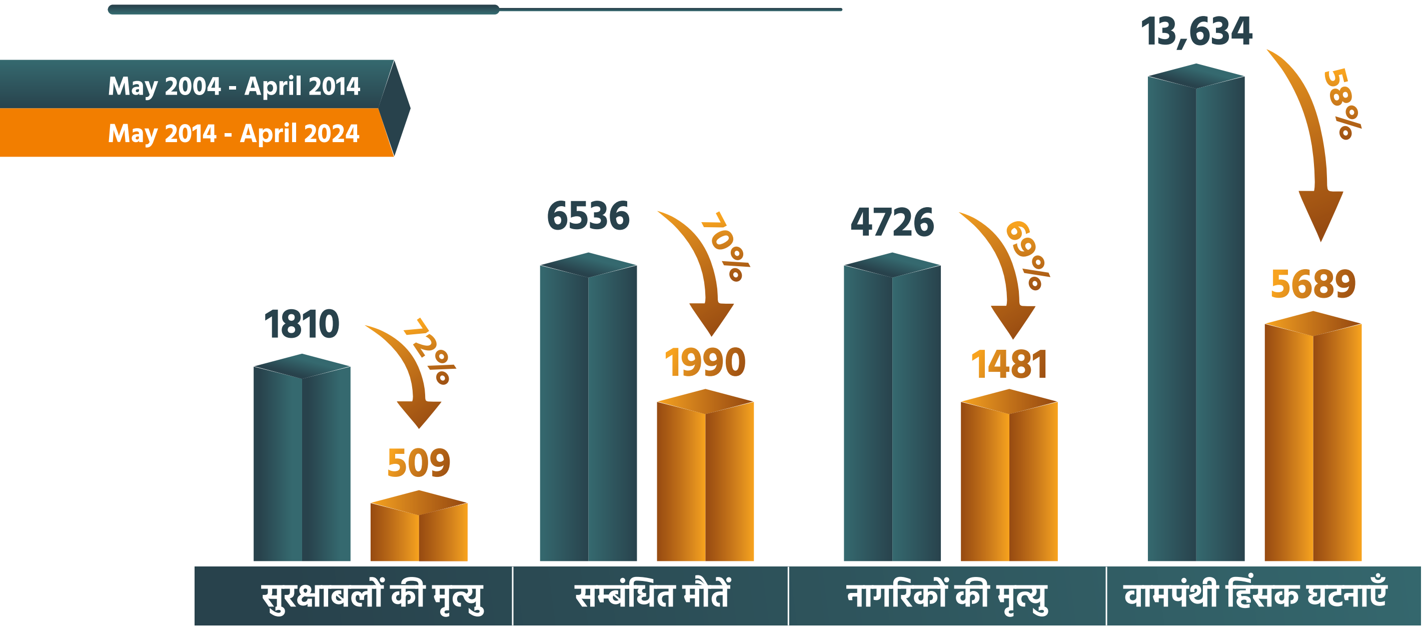


10 वर्ष की तुलना मई-2014 से अप्रैल-2024 बनाम
मई 2004 से अप्रैल-2014

# नक्सलियों पर लगाम लगाने की रणनीति

## सुरक्षा दायरे का विस्तार व उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में कमी

- प्रभावित राज्यों में 2019 से लेकर अभी तक 330 नए कैंप स्थापित।
- कैम्पों का निरंतर स्थान परिवर्तन।
- 15 नए जॉइंट टास्क फ़ोर्स (JTF) कैम्प खुले।
- CRPF बटालियंस को रि-डिप्लोयमेंट और उनकी 6 बटालियन को अन्य राज्यों से निकालकर वामपंथी उग्रवाद के कोर क्षेत्रों में रि-डिप्लोयमेंट।

## आक्रामक रणनीति ने बदली तस्वीर

- पूर्व की डिफेंसिव नीति को बदलकर सुरक्षा बलों ने अब ओफेंसिव रणनीति अपनाई है।
- सुरक्षा बलों ने नये-नये इनोवेटिव तरीकों से नक्सालियों को घेरा।
- इसी नीति के तहत 22 अप्रैल, 2025 - 10 मई, 2025 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कर्रेगुट्टा पहाड़ी (तेलंगाना सीमा /मुलुगू) में 18 दिवसीय संयुक्त अभियान मे बहुत बड़ी सफलता मिली।

## उग्रवाद की फंडिंग पर चौकस निगरानी

- वित्तीय चोकिंग की दिशा में, राज्यों द्वारा ₹40.35 करोड़ की संपत्ति, ED द्वारा ₹12 करोड़ और NIA द्वारा ₹40.57 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।

# नक्सलियों पर लगाम लगाने की रणनीति

### एनआईए द्वारा जाँच में तेजी

वामपंथी उग्रवाद के मामलों के लिए NIA में अलग वर्टीकल स्थापित किया गया है और उसे अब तक 61 मामलों की जाँच सौंपी गई।

### विशेष ऑपरेशन के लिए विशेष टीमें तैयार

विशेष बलों की विशेषज्ञता और नॉलेज शेयरिंग की सहायता से केंद्रीय तथा राज्यों के पुलिस बलों में विशेष ऑपरेशन टीम का गठन।

### तकनीक को बढ़ावा, सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र

लोकेशन, फोन, मोबाइल तथा साइंटिफिक कॉल लॉग्स, सोशल मीडिया के एनालिसिस के लिए विभिन्न तकनीकी एवं फॉरेंसिक संस्थाओं का उपयोग।

### हवाई मार्ग से सहयोग हुआ संभव

- ऑपरेशन में मदद और कैजुअल्टी ईवेक्यूएशन के लिए LWE क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर तैनात किये गए।
- CRPF/BSF को प्रमुख नाईट लैंडिंग हेलिपैड्स का जल्द निर्माण करने के लिए विशेष फण्ड उपलब्ध कराया गया

> मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद LWE प्रभावित इलाकों में सुनियोजित तरीके से विकास किया व कठोरता से उग्रवाद पर लगाम लगाने की नीति लागू की और इसी का परिणाम है कि आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने की कगार पर है।
>
> \- श्री अमित शाह (माननीय गृह मंत्री)

# बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय

राजनीति, विचारधारा और ईगो के बिना केंद्र ने प्रभावित राज्यों की सरकारों के साथ समन्वय बेहतर करने के लिए अनेक सफल प्रयास किये। केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को बिना भेदभाव के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन, हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन का निर्माण आदि के लिए मदद मुहैय्या करवाई।

- भारत सरकार ने **सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना, स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम (S IS)** जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों के क्षमता निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया।

वर्ष 2004 से 2014 के दौरान **₹1180.24 करोड़** जारी किए गए। वर्ष 2014 से 2024 के दौरान **₹3006.38 करोड़** जारी किए गए। मई 2024 से मई 2025 के बीच **₹325 करोड़** जारी किए गए हैं।

पिछले दस वर्षों **(2014-2024)** के दौरान एसआरई (SRE) के तहत जारी किए गए फंड में लगभग **155%** की वृद्धि हुई है, जिसकी तुलना वर्ष 2004-2014 से की गई है।

**मई 2024 से मई 2025** के दौरान शिविर अवसंरचना के लिए **₹2.68 करोड़** और फील्ड अस्पताल के उन्नयन के लिए **₹50 लाख** प्रदान किए गए हैं। पिछले **10 वर्षों (2014 - 2024)** में कैम्प इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु **₹ 119.60 करोड़** और **06 अस्पतालों** के उन्नयन के लिए **₹12.06 करोड़** दिए गए।

**स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (SIS)** के अंतर्गत, LWE ऑपरेशन हेतु राज्यों के विशेष बलों (SF) और विशेष खुफिया शाखाओं (SIB) को मजबूत करने के **लिए ₹371 करोड़ की परियोजनाएं** तथा वामपंथी **उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ₹620 करोड़** की लागत के **250 फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशन मंजूर किए** गए हैं। इस योजना को 2025-26 तक विस्तारित कर 56 अतिरिक्त fortified पुलिस स्टेशन, SIB/SF को मजबूत करने के लिए ₹247.39 करोड़ की परियोजनाएं तथा जिला पुलिस के लिए ₹363 करोड़ के कार्य की स्वीकृति दी गई है।

## विकास से जन-भागीदारी

नक्सलवाद ऐतिहासिक रूप से ऐसे क्षेत्रों में पनपा, जहाँ पर गरीबी ने अपनी जड़ें जमा रखी थी। वामपंथी विचार से प्रभावित समूहों ने गरीबों की असंतुष्टि का इस्तेमाल कर उग्रवाद के बीज बोए थे। इन समूहों को स्थानीय समर्थन मिलने के कारण सुरक्षा संस्थाओं को अपना काम करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। परन्तु 2014 के बाद स्थित बदली। मोदी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का प्रसार इन क्षेत्रों में भी हुआ और लोगों को लगा कि सरकार उनके हित में है, न कि उग्रवादी। गृह मंत्रालय ने गरीब कल्याण और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास की योजनाओं को अतिरिक्त बल दिला कर सुरक्षा संस्थाओं के प्रयासों में जन भागीदारी सुनिश्चित की।

## विकास की पहुँच से हासिल हो रहा जनविश्वास

- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले **09 वर्षों में ₹10718 करोड़** की लागत से **10273 किमी सड़कों** का निर्माण किया गया है।
- **पिछले 11 वर्षों में डाक विभाग** ने वामपंथ प्रभावित ज़िलों में डाकघर और बैंकिंग सेवाओं के साथ **5731** नए डाकघरों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, **294** नए डाकघरों को मंज़ूरी दी गई है, जिन्हें वर्ष **2025-26** में खोला जाएगा।
- अप्रैल-2015 से अब तक **30 सर्वाधिक प्रभावित जिलों** में **1007 नई बैंक शाखाएँ, 937 एटीएम** स्थापित किये गए।
- संचार को गति देने के लिए वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत कुल **10,545 मोबाइल टावर** (4G) की योजना बनाई गई है, जिनमें से **6,669 टावर** स्थापित किए जा चुके हैं।
- प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में **255 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय** स्वीकृत किए गए, जिनमें **178 चल रहे हैं।**
- कौशल विकास योजना को **2016 में 47 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों** में विस्तारित करके **₹495 करोड़** की लागत से **48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs)** और **61 कौशल विकास केंद्र (SDCs)** स्वीकृत किये गये। अब तक इनमें से **46 ITIs और 49 SDCs** चल रहे हैं।
- सुरक्षा बलों के मानवीय चेहरे को प्रोजेक्ट करने और स्थानीय आबादी का दिल जीतने के उद्देश्य से प्रभावित क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP) चलाया गया।
- तैनात केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की कंपनियों द्वारा स्थानीय आबादी के लिए स्वास्थ्य शिविर, पेयजल, सोलर लाइट, दवाओं का वितरण, कौशल विकास, कृषि उपकरण, बीज आदि जैसी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें मई, **2014 से अब तक ₹197.88 करोड़** के कार्य किए जा चुके हैं।
- जनजातीय युवा एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत मई 2014 से **₹41.08 करोड़** के खर्चे के साथ **33,700 युवकों** को देश के बड़े और विकसित क्षेत्रों के दौरे के लिए ले जाया गया। इसका उद्देश्य इन युवाओं को तकनीकी/औद्योगिक उन्नति से अवगत कराना था, ताकि उन्हें वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव से दूर किया जा सके।

# नशामुक्त भारत

अब नहीं चलेगा नशे का कारोबार

## नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने **नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति** अपनाई है। सरकार के परफॉरमेंस को प्रभावी बनाने के लिए मोदी सरकार ने **'Whole of Government Approach'** के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर निरंतर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किये गए बहुआयामी प्रयासों का परिणाम है कि NCB द्वारा 2014 के बाद पकड़े गए मादक पदार्थों की मात्रा में लगभग 160% की वृद्धि हुई और इसका व्यापार करने वालों के विरुद्ध 199% अधिक मामले दर्ज हुए हैं।

## चुनौती

मादक पदार्थ आज भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व की समस्या है। इसका व्यसन जहाँ एक ओर युवाओं को समाज पर अनुत्पादक बोझ बना देता है, वहीं इसके व्यवसाय से हुई कमाई आतंकवाद जैसी समस्याओं को मजबूती देती है। मोदी सरकार मानती है कि नशे की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, जिससे सभी के समन्वय से ही निपटा जा सकता है।

## रणनीति

गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने तय किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'नशा-मुक्त भारत' के आह्वान को इस अमृत काल में हमारा दृढ़ संकल्प बनाना है। गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए त्रिसूत्रीय रणनीति बनाई।

- **संस्थाओं में समन्वय**
- **संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ता**
- **जीरो टॉलरेंस नीति**

# संस्थागत ढाँचे की सुदृढ़ता

श्री नरेन्द्र मोदी जी के सिस्टम की मजबूती और एकाउंटेबिलिटी पर जोर देने के कारण नार्को कंट्रोल के लिए भी गृह मंत्रालय द्वारा संस्थागत रिस्ट्रक्चरिंग और कानूनी प्रावधानों को मजबूती देने के सतत प्रयत्न किये हैं।

## NCORD – एनकॉर्ड

- नार्को-समन्वय (NCORD) एक चार-स्तरीय समन्वय तंत्र है जिसे नीतिगत मामलों में बेहतर समन्वय के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। NCORD तंत्र के प्रारंभिक गठन का आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अनुशंसा पर दिनांक 22.11.2016 को गृह मंत्रालय के आदेश संख्या I-12017/18/2013-एनसीबी. II द्वारा जारी किया गया था ताकि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केंद्र और राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाइयों में प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा सके।
- गृह मंत्रालय ने दिनांक 29.07.2019, 05.12.2019 और 25.03.2022 के आदेश संख्या I-12023/2/2017-एनसीबी-II द्वारा एनसीओआरडी तंत्र का पुनर्गठन किया है। बाद में, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य सदस्य एजेंसियों को भी इसमें जोड़ा गया।

## संयुक्त समन्वय समिति (JCC) का गठन

- मादक पदार्थ की तस्करी और उसकी विस्तृत जाँच के लिए 2019 में संयुक्त समन्वय समिति (JCC) का गठन।
- अप्रैल 2025 तक 10 राज्य स्तरीय और 10 केंद्रीय स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं।

## मादक पदार्थों को नष्ट करना

- आजादी की 75 वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य पर 01 जून 2022 से चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत 75 दिनों के दौरान 75 हजार किलोग्राम मादक पदार्थों का विनष्टिकरण का लक्ष्य रखा गया था।
- इस विशेष विनाश अभियान के दौरान अब तक (जून, 2022 से अप्रैल, 2025 तक) 23,13,873 किलोग्राम जब्त नशीले पदार्थों का निपटान किया जा चुका है, जिसकी कीमत 30,926 करोड़ रुपये है।
- इसमें से अकेले एनसीबी ने 2,63,433 किलोग्राम जब्त नशीले पदार्थों का निपटान किया है, जिसकी कीमत 10,014 करोड़ रुपये है।

## NCB कैडर का पुनर्गठन

- नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के कैडर पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें पहले चरण में 682 पदों के सृजन का प्रस्ताव था जिसमें 536 पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही 05 नए जोनल कार्यालयों के सृजन, 04 क्षेत्रीय कार्यालयों के सृजन, 12 उप-क्षेत्रों में उन्नयन, 10 क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण और ड्रग इंटेलिजेंस विंग, प्रॉसिक्यूशन विंग, साइबर विंग और आईटी विंग आदि को भी स्वीकृति दे दी गई।

## दोहरे उपयोग वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरुपयोग

- दोहरे उपयोग वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थाई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सभी संबंधित विशेषज्ञों को शामिल किया गया।

## नार्को संबधित नेशनल डेटाबेस

- गृह मंत्री जी के निर्देश पर NCB ने नारकोटिक्स, नार्को-फंडिंग, नार्को-टेरर , नशीली दवाओं की तस्करी के ट्रेंड के विश्लेषण और अपराधियों से संबंधित विस्तृत नेशनल डेटाबेस NIDAAN तैयार किया।
- यह जेलों में बंद सभी गिरफ्तार नार्को -अपराधियों पर एक एकीकृत डेटाबेस है । इसे ICJS (इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के ई-जेल मॉड्यूल के सहयोग से विकसित किया गया है।
- NIDAAN अपना डेटा ई-जेल और NCB के SIMS (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली) सॉफ्टवेयर से प्राप्त करता है।
- इसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार अपराधियों के बारे में सभी जानकारी जैसे फोटोग्राफ, उँगलियों के निशान, मामले का विवरण, अदालती आदेश आदि शामिल हैं।

## वित्तीय निगरानी के लिए सख्त जाँच प्रक्रिया

- सभी वित्तीय दस्तावेजों का अलग-अलग FIU-IND, ED और अन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा विश्लेषण के बाद वित्तीय जाँच और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई बढ़ाई गई।
- 2022 में, NCB ने 33 ऐसे मामलों में वित्तीय जाँच की, जिनमें 17 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई। 2023 में, NCB ने 36 ऐसे मामलों में वित्तीय जाँच की, जिनमें 77.68 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई। 2024 में, NCB ने 47 ऐसे मामलों में वित्तीय जाँच की, जिनमें 54.35 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई। 2025 (अप्रैल) में, NCB ने 26 ऐसे मामलों में वित्तीय जाँच की, जिनमें 13.68 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई।
- मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग चैनलों का पता लगाने के लिए हवाला लेनदेन पर भी काम किया जाता है।

## नार्को - K9 पूल

- मादक पदार्थों का सूँघ कर पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों के एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स K9 पूल की स्थापना।
- पहले चरण में देश भर में इसके 10 कार्यालय (दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इम्फ़ाल, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु) खोले गए।
- नार-के9 पूल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, तथा नारकोटिक्स डिटेक्शन के9 के संबंध में अन्य एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, नार-के9 पूल को और अधिक मजबूत बनाने के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

## समुद्री मार्ग पर सख्त निगरानी की नीति

- समुद्री मार्ग से होने वाले ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए सभी तटीय राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों के साथ कोस्ट गार्ड, नेवी, पोर्ट्स ऑथोरिटी द्वारा विशेष प्रयास के निर्देश दिए गए।

## ड्रग नेटवर्क चार्ट और मैपिंग

- नशीली दवाओं के स्रोत और गंतव्य पर काम करने के लिए पूरा ड्रग नेटवर्क चार्ट तैयार किया जा रहा है और मैपिंग भी की जा रही है।

# नार्को संस्थाओं के साथ समन्वय

लचर कानूनों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय, केंद्र-राज्य में समन्वय और एकाउंटेबिलिटी की कमी व्यवस्था को कमजोर बनाते थे। सरकार के परफॉरमेंस को प्रभावी बनाने के लिए मोदी सरकार ने 'Whole of Government Approach' के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर निरंतर जोर दिया है। मोदी जी की इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए गृह मंत्रालय ने इस दिशा में भी अनेक प्रभावशाली कदम उठायें हैं।

## NCORD की चार-स्तरीय रचना के द्वारा समन्वय:

- सभी केंद्रीय, राज्य दवा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के काम को प्रभावी ढंग से समन्वित करने और दवा कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित नीतिगत और परिचालन संबंधी मुद्दों को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- **NCORD पोर्टल:** इस पोर्टल पर जानकारी त्वरित उपलब्ध करने का प्रावधान है, जैसे कि एकीकृत ड्रग डाटा, सूचना प्रबंधन, सरकारी आदेश, संबंधित कानून, मैपिंग, नियम, न्यायालय के आदेश और रिपोर्टिंग तंत्र इत्यादि।
- **बैठक:** NCORD की शीर्ष समिति की आठ बैठकें 19 नवंबर, 2019, 21 अक्टूबर, 2020, 27 दिसंबर, 2021, 5 मई, 2022, 1 दिसंबर, 2022, 9 अक्टूबर, 2023, 18 जुलाई, 2024 और 15 मई, 2025 को हुईं।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एन्कोर्ड बैठकों की संख्या: 207
- जिला एन्कोर्ड बैठकों की संख्या: 9020

## डेडीकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन:

- सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में ANTF का गठन किया जा चुका है।

## मैक (MAC) की सीमा का विस्तार:

- नशीले पदार्थों से संबधित सूचनाओं की भागीदारी को शामिल करने के लिए MAC की सीमा के विस्तार पर विचार करने हेतु मा. गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार एक उप-समूह काम कर रहा है।

## केन्द्रीय स्तर के स्टेकहोल्डर्स के बीच समन्वय:

- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशानुसार और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में समन्वय के महत्व को देखते हुए, निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को केंद्रीय/राज्य स्तरीय NCORD समितियों में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
- **केंद्रीय स्तर पर:** राजस्व विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषधि विभाग, सीबीआईसी, खुफिया ब्यूरो, डीसीजीआई, भारतीय नौसेना, एनसीआरबी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), भारतीय तटरक्षक बल, डीआरआई, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (एनएमएससी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) और सीईआईबी (डीओआर)।
- **राज्य स्तर पर:** राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क, शिक्षा विभाग, तटीय पुलिस (तटीय राज्यों में), पोर्ट ट्रस्ट (तटीय राज्यों में), भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, डीआरआई, सीबीएन, आरपीएफ, डाक विभाग, एफडीए, एसएफएसएल, सीमा सुरक्षा एजेंसियां, राज्य समुद्री बोर्ड, खुफिया ब्यूरो (आईबी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
- **जिला स्तर पर:** शिक्षा/स्वास्थ्य/सामाजिक न्याय/वन एवं कृषि, सीमा शुल्क/केंद्रीय जीएसटी, सीमा सुरक्षा एजेंसियां, आईसीजी, बंदरगाह प्राधिकरण और गृह मंत्रालय/खुफिया ब्यूरो (आईबी) के प्रतिनिधि।

## ड्रग्स तथा डार्क-नेट पर लगाम:

- अवैध ड्रग्स व्यापार में डार्क-नेट और क्रिप्टो-करेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। पिछले 05 वर्षों (2020 - 2024) में, NCB ने ऐसे 96 मामलों की जाँच की।
- इस पर नियंत्रण के लिए सूचना तंत्र की आवश्यकता पर जोर और एक समन्वय subMAC के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए।
- हालाँकि, MAC पोर्टल काउंटर-टेररिज्म से संबन्धित मुद्दों के लिए हैं, किन्तु MAC सब-ग्रुप पर ड्रग्स मामलों में डार्कनेट, क्रिप्टो-करेंसीज के इनपुट साझा किए जा रहे हैं। सब-ग्रुप की 5 वीं मीटिंग 20 फरवरी 2023 को आयोजित की गई।

> मोदी सरकार न भारत में ड्रग बनने देगी, न बाहर से भारत की सीमा में आने देगी और न ही यहाँ से कहीं बाहर जाने देगी।
>
> - श्री अमित शाह (माननीय गृह मंत्री)

## नारकोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल:

- देश में ड्रग कानून प्रवर्तन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, एनसीबी द्वारा डीओआर, एमओएसजे&ई, एनएसीआईएन, बीपीआर&डी और सीएपीटी के समन्वय से, केंद्रीय/राज्य कानून प्रवर्तन के विभिन्न रैंक के अधिकारियों के लिए एक कोर मॉड्यूल और 05 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए।
- इन सभी मॉड्यूल को सभी केंद्रीय/राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों, NACIN और BPR&D के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया।
- फरवरी, 2023 मे NCB, NACIN एवं CAPT द्वारा इन मॉड्युल्स की समीक्षा के पश्चात, इनको और कारगर बनाने के लिए कुछ सुझाव NCB द्वारा BPR&D को कुछ सुझाव प्रेषित किए गए हैं।

## ड्रग्स, डिजिटल और संबद्ध फोरेंसिक:

- ड्रग्स, डिजिटल और संबद्ध फोरेंसिक से संबंधित मामलों में सहयोग की संभावना तलाशने और उसे स्थापित करने के लिए, NCB और NFCU (राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका लाभ सभी संबधित एजेंससियों को होगा।

## अवैध ड्रग्स की खेती की रोकथाम:

- ड्रोन, सैटलाइट और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए एरिया मैपिंग के निर्देश दिए गए हैं।
- गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार एक अंतर मंत्रालय स्टडी ग्रुप का गठन किया गया है, जो अवैध पदार्थों की खेती के निस्तारण के लिए ड्रोन के प्रयोग का अन्वेषण करेगा।
- एनसीबी, BISAG–N की सहायता से डेटा आधारित वेब पोर्टल और एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित कर रहा है, जिससे अवैध खेती की पहचान की जा सके।

## नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)

- 2023 में एनसीबी की ढाँचागत सुविधाओं के सुधार के लिए ₹411.59 करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।
- गृह मंत्रालय ने दिल्ली, अमृतसर, गुवाहाटी और लखनऊ में परियोजनाओं के लिए ₹125.81 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय की मंजूरी दे दी है। गुवाहाटी और अमृतसर में निर्माण कार्य प्रगति पर है। गृह मंत्रालय ने भुवनेश्वर (आवासीय), देहरादून (कार्यालय के लिए) और गोरखपुर (कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के लिए) में भूमि खरीद के लिए ₹30.18 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय की मंजूरी, जम्मू विकास प्राधिकरण, जम्मू से जम्मू क्षेत्र के लिए निर्माणाधीन कार्यालय भवन की खरीद के लिए ₹7.65 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी प्रदान की है और 100% भुगतान कर दिया गया है। भवन जुलाई, 2025 तक कब्जे के लिए तैयार हो जाएगा।
- सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नशीली दवाओं की बरामदगी के मामलों की त्वरित रिपोर्टिंग और नशीली दवाओं की तस्करी के ट्रेंड के विश्लेषण के लिए, एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकसित किया गया।

## अवैध फसलों की खेती की रोकथाम:

- दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम और गाँजे की अवैध खेती सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।

## अवैध फसलों की खेती की रोकथाम:

- सभी प्रभावित राज्यों को अवैध मादक फसलों की खेती में लगे किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका व्यवस्था पर अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा दी गई सिफारिशें जारी की गई हैं।
- एनसीबी अवैध खेती की पहचान और विनाश के लिए प्रभावित राज्यों के साथ सैटेलाइट इमेजरी भी साझा कर रहा है।

# परिणामों में दिखा परिवर्तन

केंद्र की मोदी सरकार के बहुस्तरीय प्रयासों का परिणाम है कि 2014 के बाद NCB द्वारा 2023 (जून) तक जब्त किये गए मादक पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की वृद्धि हुई और इसका व्यापार करने वालों के विरुद्ध दर्ज मामलों में 152% की बढ़ोत्तरी हुई है।

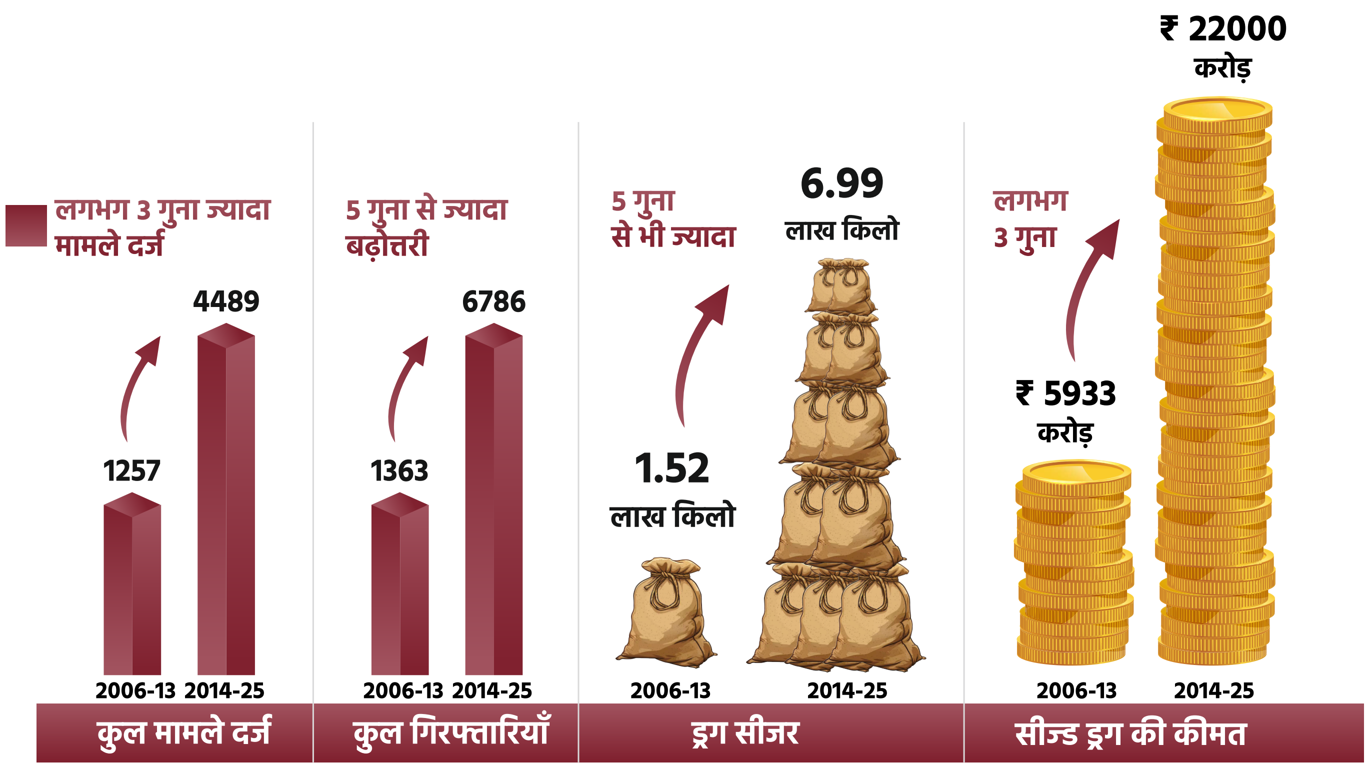

# व्यापक जागरूकता अभियान

## MANAS (मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र) राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933:

- मानस (मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र) हेल्पलाइन 1933 का शुभारंभ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2024 को किया था। यह नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट करने और परामर्श एवं पुनर्वास हेतु सहायता प्राप्त करने हेतु एक सुरक्षित और नागरिक-अनुकूल मंच है।मानस नागरिकों को नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट करने और परामर्श एवं पुनर्वास संसाधनों तक पहुँचने के लिए एक सहज, गोपनीय और बहु-चैनल इंटरफ़ेस प्रदान करता है। नागरिक अब निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:
  - टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1933
  - आधिकारिक पोर्टल: www.ncbmanas.gov.in
  - उमंग मोबाइल ऐप
  - ईमेल: info.ncbmanas@gov.in
- नागरिकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, हेल्पलाइन को पूरे भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की 30 क्षेत्रीय इकाइयों के साथ एकीकृत किया गया है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को भी इस प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे इसकी देशव्यापी परिचालन पहुंच बढ़ गई है। यह प्लेटफॉर्म MoSJE की हेल्पलाइन 14446 के साथ भी एकीकृत है, जो रिपोर्टिंग से लेकर पुनर्वास तक एंड-टू-एंड सपोर्ट सुनिश्चित करता है।
- 31.03.2025 तक, मानस हेल्पलाइन पर लगभग 41,500 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। मानस के माध्यम से प्राप्त खुफिया जानकारी के कारण अब तक 19 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 893.64 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया है और एनसीबी और डीएलईए द्वारा 33 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है।
- लगातार आउटरीच और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से, मानस हेल्पलाइन 1933 2047 तक नशा मुक्त भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सामुदायिक सतर्कता और करुणा की संस्कृति को मजबूत कर रही है।

# क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग के क्षेत्र में एनसीबी की प्रमुख पहलों पर अद्यतन जानकारी। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने नारकोटिक्स नियंत्रण और प्रवर्तन के क्षेत्र में संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने और अंतर-एजेंसी सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। नवीनतम प्रगति का सारांश निम्नलिखित है:

## सीएपीटी, भोपाल में नारकोटिक्स नियंत्रण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएनसी):

- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 7वीं शीर्ष स्तरीय एनसीओआरडी बैठक के दौरान जारी निर्देशों के अनुरूप, एनसीबी और केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल के बीच 05.06.2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता ज्ञापन सीएपीटी, भोपाल में नारकोटिक्स नियंत्रण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएनसी) की स्थापना को औपचारिक रूप देता है, जिसके नारकोटिक्स नियंत्रण के क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति विकास के लिए एक समर्पित केंद्र के रूप में कार्य करने की आशा है।

## राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के साथ समझौता ज्ञापन विचाराधीन:

- एनसीबी और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU), गांधीनगर, गुजरात के बीच एक नए समझौता ज्ञापन पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन कार्यों में सहयोग के लिए एनएफएसयू के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और फोरेंसिक विज्ञान में विशेषज्ञता का लाभ उठाकर आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है।

## राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) के साथ प्रस्तावित सहयोग:

- एनसीबी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस सहयोग का उद्देश्य मादक पदार्थों पर नियंत्रण की उभरती और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है, विशेष रूप से साइबर-सक्षम अपराधों और डार्कनेट-सुविधायुक्त तस्करी के क्षेत्रों में। इस साझेदारी में संयुक्त अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी विकास और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आउटरीच पहल शामिल होंगी।

## अंतर-एजेंसी सहयोग से प्रशिक्षण:

- एनसीबी ने सीएपीटी, सीडीटीआई, एसवीपीएनपीए आदि जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, डाक विभाग और यूएनओडीसी, आईएनसीबी, यूएस-डीईए, यूएस-एचआईएस, आरसीएमपी, यूके-एनसीए आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/संगठनों जैसे अन्य हितधारकों के साथ मिलकर डार्कनेट, क्रिप्टोकरेंसी, कूरियर-पार्सल आधारित मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री मादक पदार्थों की तस्करी, गुप्त प्रयोगशालाओं की पहचान और उन्हें नष्ट करने और रासायनिक डायवर्जन जांच, सीमा पार जांच, वित्तीय जांच आदि जैसी नई और उभरती चुनौतियों से संबंधित विषयों पर समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं, जो केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में ब्यूरो के अपने अधिकारियों और अन्य मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए हैं।

## मानकीकृत नारकोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल:

- केंद्रीय और राज्य एजेंसियों में मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण में एकरूपता और मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, एनसीबी ने राजस्व विभाग (डीओआर), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), एनएसीआईएन, बीपीआरएंडडी और सीएपीटी के सहयोग से एक मुख्य प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ-साथ विभिन्न स्तरों के कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए पाँच विशेष मॉड्यूल विकसित किए हैं। इन मॉड्यूल को सभी संबंधित केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ उनके संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए साझा किया गया है। इन मॉड्यूल की समीक्षा फरवरी 2023 में की गई थी। इसके बाद, एनसीबी, एनएसीआईएन और सीएपीटी ने बीपीआरएंडडी को अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत की हैं, जिनका उद्देश्य उनकी प्रभावशीलता और प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए सामग्री को और परिष्कृत करना है।

- ये पहल रणनीतिक साझेदारी, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान में नवाचार के माध्यम से मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक मजबूत, ज्ञान-संचालित ढांचे के निर्माण के लिए एनसीबी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

# व्यापक जागरूकता अभियान

## जागरूकता – अवेयरनेस:

- एनसीबी अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से पूरे भारत में उन स्थानों पर प्रतिवर्ष नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग की दृष्टि से संवेदनशील हैं।
- एनसीबी आम जनता, विशेषकर युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर भी अभियान चला रहा है।हाल ही में, एनसीबी ने मैराथन, साइक्लोथॉन, रैली आदि जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए हैं।
- हाल ही में एनसीबी ने शिक्षा मंत्रालय, शैक्षिक विभागों, संस्थानों और अन्य एजेंसियों से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता अभियान पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया है।
- एनसीबी ने विशेष रूप से खेल/सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रमुख लोगों/सेलिब्रिटीज़ और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान भी शुरु किया है।
- मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयास में, हम सभी उपलब्ध माध्यमों का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें ब्रह्माकुमारी, आर्ट ऑफ़ लिविंग, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन और श्री राम चंद्र मिशन जैसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के साथ सहयोग भी शामिल है।

## नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA):

- एनएमबीए को 372 सबसे संवेदनशील जिलों में शुरु किया गया।
- 8000 युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से व्यापक सामुदायिक पहुँच बनाई गई।
- 4 करोड़ 94 लाख से अधिक युवाओं और 2 करोड़ 96 लाख महिलाओं तक पहुँच बनाई गई।
- 347 एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) सरकार द्वारा समर्थित हैं।
- 46 समुदाय आधारित सहकर्मी हस्तक्षेप (सीपीएलआई) केंद्र सरकार द्वारा समर्थित हैं।
- 74 आउटरीच और ड्रॉप-इन केंद्र (ओडीआईसी) सरकार द्वारा समर्थित हैं।
- सरकारी अस्पतालों में 137 व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) की स्थापना में भी सहयोग दिया गया।
- टोल-फ्री हेल्पलाइन - 14446 शुरु की गई।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में लघु जागरूकता फिल्म भाषाओं में बनाई गई।

## 'नशा मुक्त भारत' प्रतिज्ञा अभियान:

- ऑनलाइन ई-प्रतिज्ञा को जनता का भारी समर्थन मिला।
- अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के ख़िलाफ़ शपथ ली है।

## देश भर में नष्ट किये गए मादक पदार्थों की मात्रा/कीमत

**नष्ट किये गए मादक पदार्थ**

**जून 2022 से अप्रैल 2025**

**23,13873**
किलो

**₹30,926**
करोड़ से अधिक

# आतंकवाद से लड़ाई

जीरो टॉलरेंस की नीति ने आतंकवाद के हौसले को पस्त किया

## NIA एक्ट में संशोधन, 2 अगस्त 2019

- NIA को अतिरिक्त अन्तर्देशीय क्षेत्राधिकार
- NIA के अधिकार क्षेत्र में नए अपराधों को शामिल करना

## UAPA एक्ट में संशोधन, 14 अगस्त 2019

- आतंकवाद से अर्जित/संबंधित संपत्ति जब्त करने का अधिकार DG(NIA) को
- संलिप्त को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार

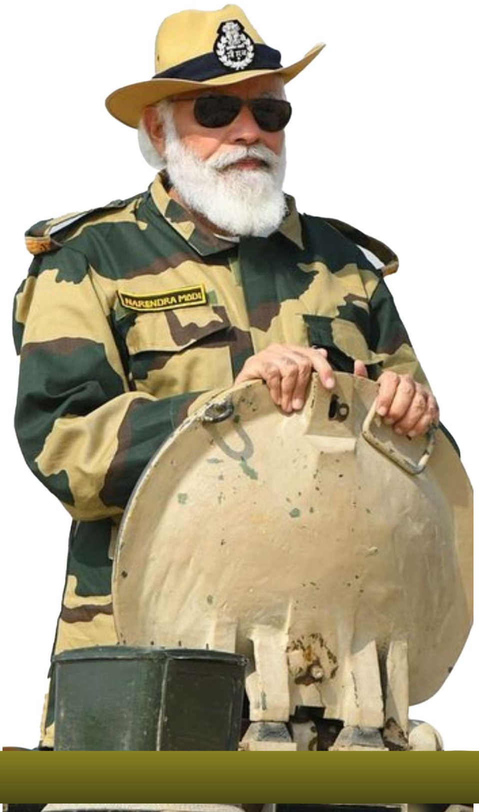

आज समय की माँग है कि मानवता में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियाँ सशस्त्र बलों के साथ उनके समर्थन में खड़ी हों। तभी आतंकवाद का प्रभावी तौर पर मुकाबला किया जा सकता है।

**श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)

# राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए कट्टरपंथ का मुकाबला करने हेतु एकीकृत कार्य योजना

- राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय
- गृह मंत्रालय द्वारा कट्टरपंथ-विरोधी प्रयासों का समन्वय
- विभिन्न मंत्रालय अपनी रणनीति तैयार करेंगे
- कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाएगा

## PFI और उसके सहयोगी संगठनों को किया गया बैन

- देश की अखंडता व सम्प्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया' और उसके सहयोगी संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गयी।
- 22 सितम्बर 2022 को PFI के विरुद्ध राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के 113 नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें PFI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद् के सभी 13 सदस्य शामिल थे।
- पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित होने के बाद मोदी सरकार ने 28 सितम्बर 2022 को PFI व इसके सहयोगी संगठनों को बैन किया।
- PFI और उससे संबंधित मामलों में राज्य पुलिस बलों द्वारा 22 सितम्बर 2022 के बाद 3509 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 27 बैंक खातों को फ्रीज़ किया गया तथा इसके 13 राज्यों में संचालित हो रहे 156 कार्यालयों को सीज कर लिया गया है। साथ ही PFI से सम्बंधित सोशल मीडिया एकाउंट्स को भी ब्लॉक करने की कार्यवाही की गई।

## आतंकवाद के वित्तपोषण पर प्रहार

25 सूत्रीय एकीकृत कार्य योजना बनाई

- जिहादी आतंकवाद
- उत्तर-पूर्व उग्रवाद
- वामपंथी उग्रवाद
- कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद
- नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN)
- मादक पदार्थों का वित्तपोषण
- गैर-लाभकारी संगठन और हवाला
- खालिस्तान समर्थक उग्रवाद
- कट्टरपंथी वित्तपोषण और अवैध हथियारों की तस्करी

# मल्टी एजेंसी सेंटर का सुदृढ़ीकरण (कार्य, शक्तियां और कर्तव्य) आदेश, 2022

MAC का दायरा साइबर सुरक्षा, नार्को-आतंकवाद, सुनियोजित आपराधिक नेटवर्क तथा उभरते कट्टरवादी हॉट स्पॉट तक बढ़ा

'नेशनल मेमोरी बैंक (NMB)' को स्थापित कर उसे प्रभावी रूप से लागू किया

सूचनाओं के आधार पर एक केंद्रीय डाटाबेस की स्थापना हुई

MAC (कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्य) आदेश, 2022 पारित

# अन्य सुधार

**विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम, 1988 में संशोधन :** प्रधानमंत्री की सम्पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसपीजी अधिनियम को और अधिक प्रभावी करने हेतु संशोधित किया गया।

**शस्त्र अधिनियम, 1959 में संशोधन :** हथियारों की अवैध तस्करी और इस्तेमाल को रोकने के लिए संशोधित किया गया।

निजी क्षेत्र के लिए हथियार और गोला-बारूद निर्माण क्षेत्र को खोला गया

## 2019 से, निम्नलिखित संगठनों को "गैरकानूनी संघ" घोषित किया गया है:

- सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे)
- पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई)
- जमात-ए-इस्लामी (जेईआई), जम्मू और कश्मीर
- जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट)
- जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी)
- मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) (एमएलजेके-एमए)
- तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर (टीईएच)
- मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर (भट गुट)
- मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर (सुमजी गुट)
- जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ)
- जम्मू और कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग (जेकेपीएफएल)
- जम्मू और कश्मीर पीपुल्स लीग (जेकेपीएल)
- जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम)
- अवामी एक्शन कमेटी (एएसी)

**10 अक्टूबर, 2024 को सरकार ने हिज़्ब-उत-तहरीर (HuT) को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। 2019 से अब तक निम्नलिखित 7 नए संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, जिससे आतंकवादी संगठनों की संख्या 45 हो गई है:**

- प्रतिरोध मोर्चा (TRF)
- पीपुल्स एंटी-फ़ासिस्ट फ्रंट (PAFF)
- तहरीक-उल-मुजाहिदीन (टीयूएम)
- जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश या जमात-उल-मुजाहिदीन भारत या जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान
- जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ)
- खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)
- हिज़्ब-उत-तहरीर (HuT)

**पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के चार्टर में विस्तार**

## प्रभाव

**2014 के बाद से भारतीय शहरों (हिंटरलैंड) में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं**

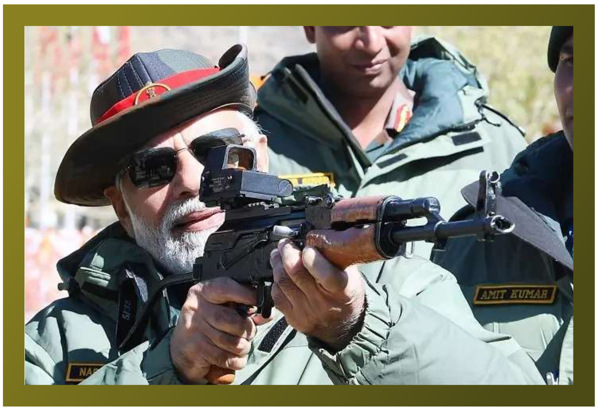

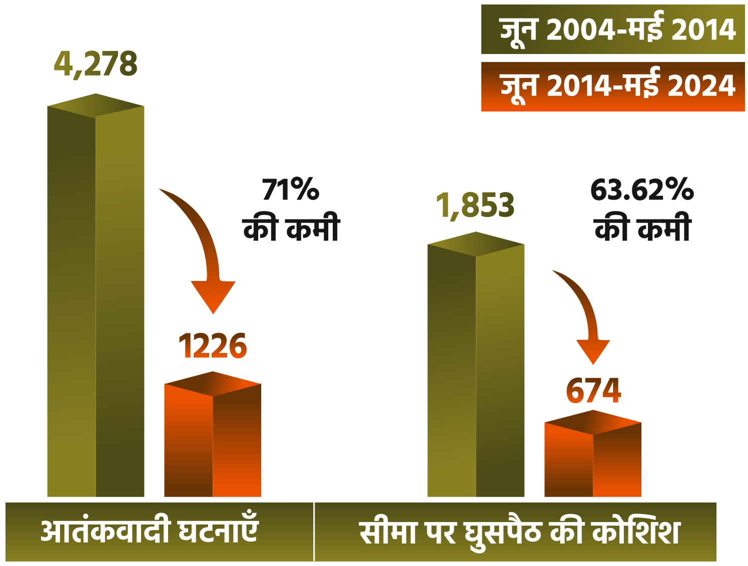


**सशक्त भारत : आतंकवाद में उल्लेखनीय कमी**

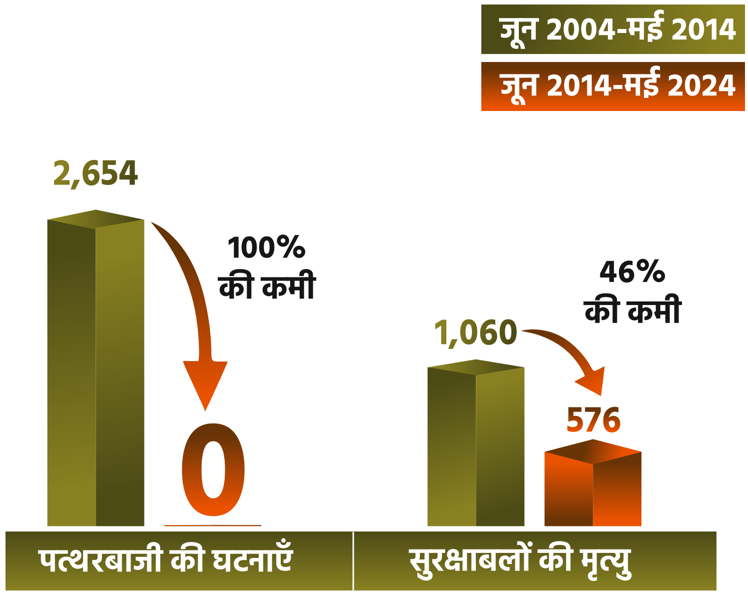

# नए संशोधन के तहत अब तक 57 लोगों को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है

## आतंकवादियों के 'शेल्फ लाइफ' में कमी:

- आतंकवादियों की 'शेल्फ लाइफ', **जो 2017-18 में लगभग 2 वर्ष थी, अब घटकर केवल कुछ दिन रह गई है।**

## आतंकवादियों की घटनाओं को अंजाम देने की सीमित क्षमता:

- आतंकवादी पहले कई घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो जाते थे, **अब उनकी क्षमता 1-2 घटनाओं तक सीमित रह गई है।**

## आतंकवादियों के महिमामंडन पर प्रतिबंध

> आतंकवाद किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है और आतंकवाद से बड़ा मानव अधिकारों का उल्लंघन कुछ और हो ही नहीं सकता।
>
> - श्री अमित शाह (माननीय गृह मंत्री)

# संघीय ढाँचे को सुदृढ़ता

## संवाद से समाधान की नीति से बेहतर हुए अंतरराज्यीय संबंध

## चुनौती

केंद्र-राज्य व राज्यों के आपसी संबंध को मजबूत बनाने के लिए गठित अंतरराज्य परिषद् अपना दायित्व प्रभावी रूप से नहीं निभा पाती थी। इसकी वजह से विकास, शांति और सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण मुद्दे राज्यों के बीच परस्पर खींचतान के कारण दशकों तक लंबित रहे।

## रणनीति

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के **"संवाद से समाधान"** के मंत्र पर चलते हुए गृह मंत्रालय ने पिछले 9 वर्षों में बिना किसी अहंकार और राजनीति के न सिर्फ राज्यों से सीधा संपर्क साधा, बल्कि परिषदों के विभिन्न मंचों पर राज्यों के साथ पेचीदा विषयों पर सहमति बनाने के प्रयास किये। परिणामत: राज्यों के साथ संवाद की निरन्तरता में पहले की तुलना में अप्रत्याशित तेजी आई है। अंतरराज्य परिषदें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत हैं।

- केंद्र- राज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध
- अंतरराज्यीय विवादों और मुद्दों का सहमति से समाधान
- सभी स्टेकहोल्डरों के बीच मजबूत सहयोग तंत्र स्थापित करना
- राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना
- देश मे सभी राज्यों को साझा राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करना

# परिणाम

अंतर-राज्य परिषद् तथा क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की संख्या

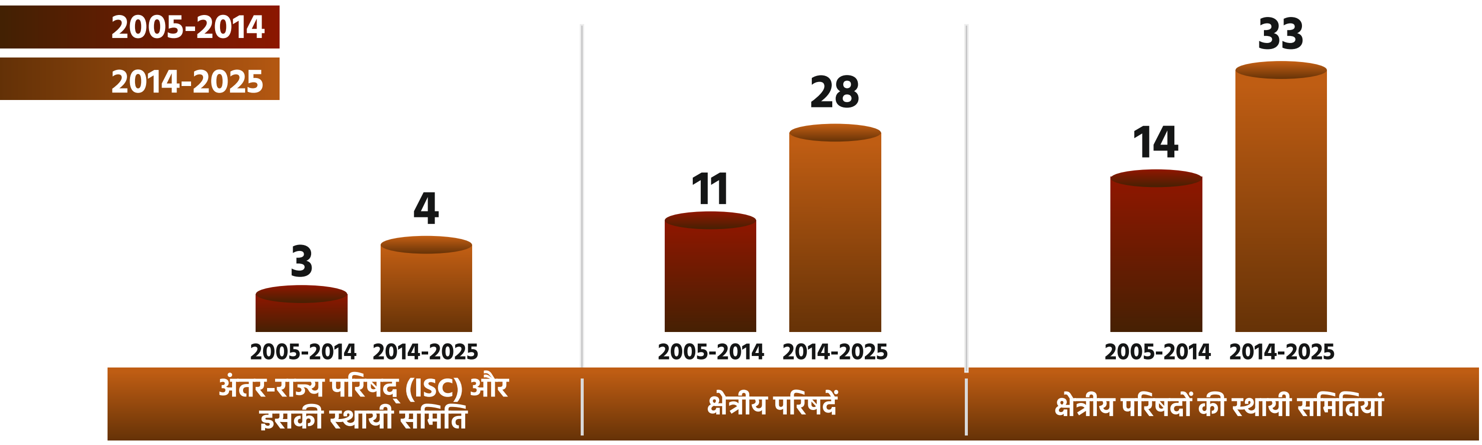


## बैठकों की निरंतरता से समाधान की ओर बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 10 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर-राज्य परिषद् की 11वीं बैठक जुलाई 2016 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में चार प्रमुख एजेंडा निकल कर आये:

- केंद्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की सिफारिशों पर विचार
- आधार और DBT का उपयोग।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।
- आतंकवाद /उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए पुलिस सुधार, पुलिस आधुनिकीकरण और खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान।

## 2014 के बाद, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों तथा उनमें लाये गये मुद्दों की संख्या और उनके समाधान में वृद्धि हुई है

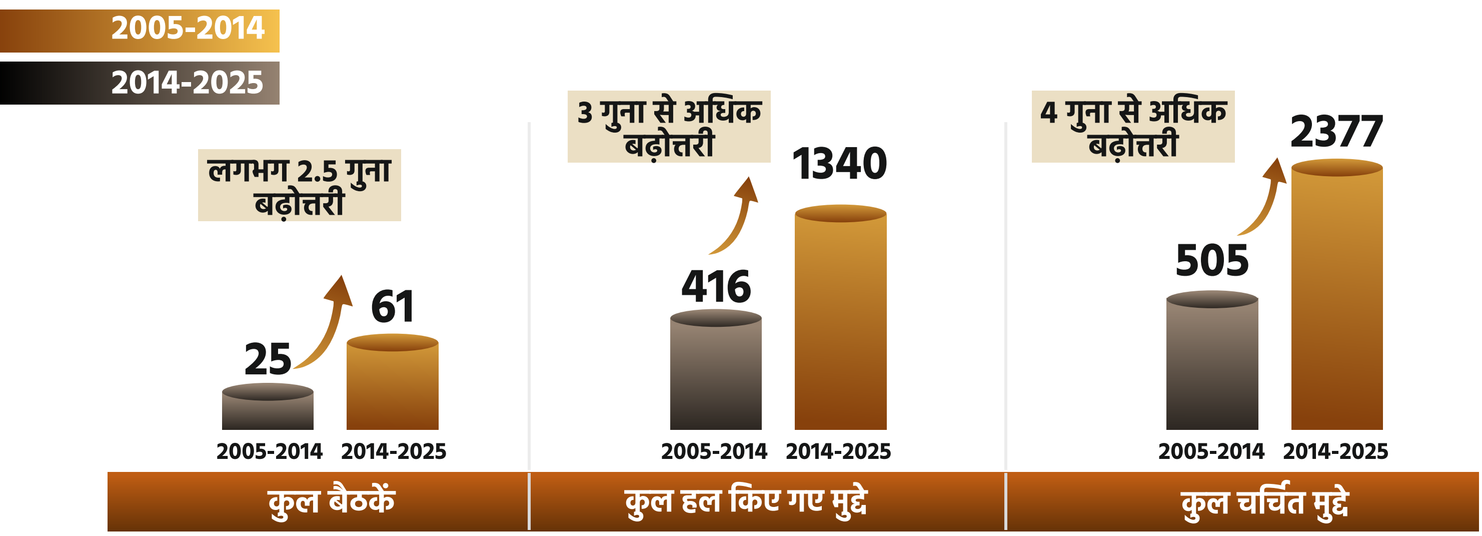

# क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता

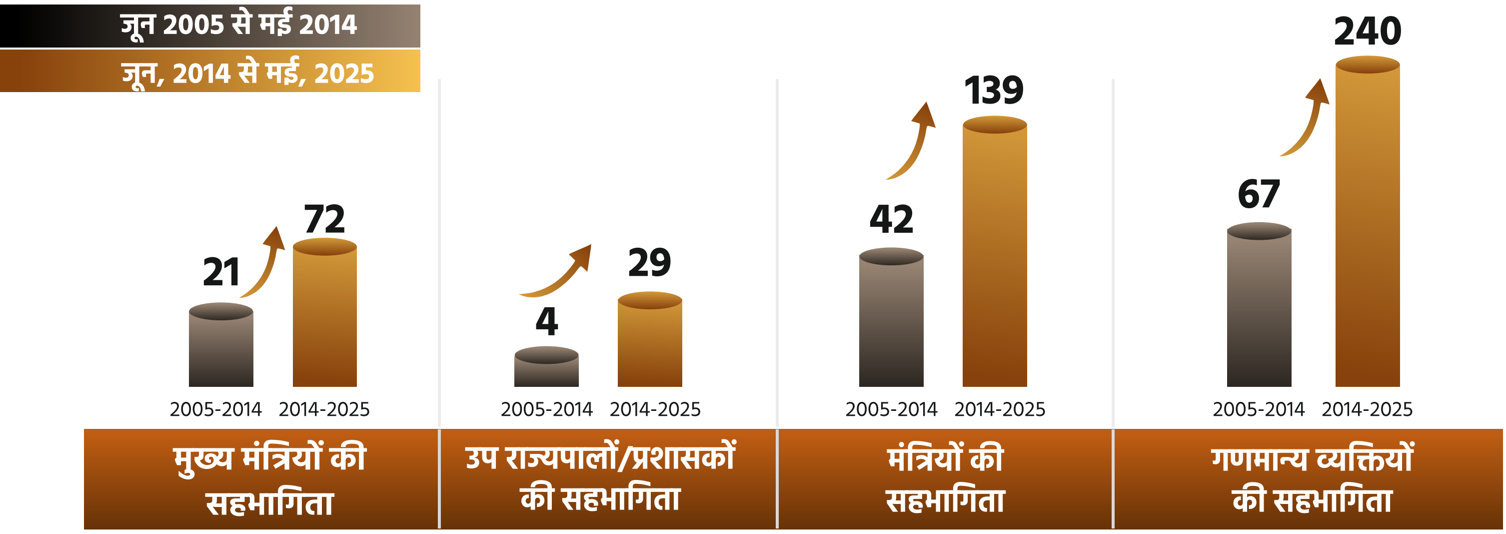


## उपलब्धियाँ: दिखने लगा समाधान

गृह मंत्री द्वारा इन बैठकों में खुले मन से संवाद को बढ़ावा देने से राज्यों के बीच लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में तेजी आई है।

### गांवों के 5 किलोमीटर के भीतर बैंक/ आईपीपीबी शाखाओं द्वारा बैंकिंग सेवा:

- अगस्त 2019 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् की गोवा में हुई बैठक में माननीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक गाँव के 5 किमी के भीतर, बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPBs) की ब्रिक-एवं-मोर्टर शाखाओं द्वारा बैंकिंग सेवा उपलब्ध की जाये। डाटाबेस पर मैप किये गए सभी 6.01 लाख आबाद गांवों के 5 किमी के भीतर ब्रिक-एवं-मोर्टर शाखाओं द्वारा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बैंकिंग सेवाएं अब 5 किलोमीटर के दायरे में 5.92 लाख गांवों (31 मई 2025 तक) तक उपलब्ध हैं।

### सीएससी के माध्यम से नकद जमा सुविधा:

- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की अगस्त 2019 में गोवा में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सामान्य सेवा केंद्र (CSC) को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से आवश्यक कार्यों को करवाकर जल्द से जल्द लाभार्थियों द्वारा धन जमा करने की सुविधा दी जानी चाहिए। तत्पश्चात सीएससी केन्द्रों में नगद जमा की सुविधा उपलब्ध हो गयी है।

### धान से चावल के आउट टर्न अनुपात (OTR) को कम करने की मांग:

- मध्य क्षेत्रीय परिषद् में लिए गए निर्णय के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा धान से चावल के आउट टर्न अनुपात (OTR) को कम करने की माँग पर, खाद्य और सार्वजानिक वितरण विभाग द्वारा पुनः अध्ययन कराया जा रहा है, जिसमें सम्बंधित राज्यों की भागीदारी होगी।

### खाद्यान्नों के भण्डारण से सम्बंधित मुद्दे का निवारण:

- भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक और राज्य सरकर की एजेंसियों के स्टॉक के लिए भंडारण लाभ/ हानि हेतु निर्धारित अलग-अलग मानदंडों से सम्बंधित मुद्दा राज्यों द्वारा उठाया जा रहा था। जनवरी 2020 की रायपुर बैठक में गृह मंत्री जी ने मानदंडों के निर्धारण में इस तरह की विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए और अक्टूबर 2021 में खाद्य और सार्वजानिक वितरण विभाग द्वारा संशोधित मानदण्ड जारी करके राज्यों की चिंता का समाधान किया गया।

## पश्चिम बंगाल में 132 केवी इंट्रा स्टेट (चंदनकियारी गोविंदपुर) ट्रांसमिशन लाइन का हिस्सा बिछाने की अनुमति:

- गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की फरवरी 2020 को भुबनेश्वर बैठक में झारखण्ड के प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल सरकार से इसके लिए सहमति बनाई गई।

## प्रसाधित कोयले पर रॉयल्टी:

- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की फरवरी 2020 को भुबनेश्वर में आयोजित बैठक में खान और खनिज अधिनियम की धारा 9 में इंगित कोयले पर रॉयल्टी के भुगतान से संबंधित मुद्दा उठाया गया था। गृह मंत्री जी के निर्देश पर इस मुद्दे की कोयला मंत्रालय द्वारा जाँच करके निर्णय लिया गया कि रॉयल्टी रन-ऑफ-माइन कोयले पर देय है, न कि प्रोसेस्ड कोयले पर। तदनुसार, संबंधित नियमों में संशोधन किया गया।

## व्यापक सिल्ट प्रबंधन नीति:

- व्यापक सिल्ट प्रबंधन नीति का मुद्दा बिहार सरकार द्वारा अंतर-राज्य परिषद की 16 जुलाई, 2016 को हुई 11वीं बैठक में उठाया गया था। कोलकता में दिसंबर, 2022 में आयोजित बैठक में, जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि तलछट (Sediment) प्रबंधन के लिए नेशनल फ्रेमवर्क को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। यह फ्रेमवर्क मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## मयूराक्षी बाँध का मामला:

- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की दिसंबर, 2022 को कोलकता में आयोजित बैठक में, बिहार तथा झारखण्ड सरकारें मयूराक्षी एवं तेनुघाट बाँधों के संयुक्त संचालन के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुईं। अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समिति बनाने पर भी सहमति हुई। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

## बिहार और झारखंड के बीच पेंशन देनदारी का निर्धारण:

- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की दिसंबर, 2022 को कोलकता में आयोजित बैठक में, चर्चा के बाद बिहार तथा झारखण्ड सरकार सहमत हुए कि CAG द्वारा पेंशन संबंधी डाटा का सत्यापन होने के बाद जो राज्यवार देनदारियाँ CAG द्वारा निर्धारित की जाएँगी, वे दोनों राज्यों को स्वीकार्य होंगी।

## समुद्री मछुआरों के सत्यापन हेतु यूआईडीएआई डेटाबेस:

- समुद्री मछुआरों के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए क्यूआर कोड युक्त पीवीसी आधार कार्ड का उपयोग करके जालसाजी की संभावना समाप्त की गई।

## अकोला-खंडवा खंड पर ट्रैक को मीडियम गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए वन और वन्यजीव मंजूरी:

- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की जून 2022 में दीव में हुई बैठक में रेलवे ने ट्रैक के पुन: संरेखण (realignment) हेतु महाराष्ट्र सरकार के सुझाव पर सहमति दी तथा राज्य सरकार ने सभी अनुमतियों को तेजी से दिलाने का आश्वासन दिया। फलस्वरुप, 2016 से लंबित मामले का निपटान हुआ।

## मेट्रो-रेल परियोजनाओं के लिए रेलवे भूमि की हस्तांतरण नीति की समीक्षा और रेलवे लाइनों/भूमि को पार करने की अनुमति:

- तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रायोजित, चेन्नई मेट्रो-रेल परियोजना के लिए रेलवे भूमि की हस्तांतरण नीति पर दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की नवंबर 2021 को तिरुपति में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया और यह पाया गया कि रेल मंत्रालय द्वारा लगाए जा रहे शुल्क बहुत अधिक हैं। तत्पश्चात गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार मेट्रो परियोजनाओं के लिए रेलवे की भूमि नीति की समीक्षा की गयी। रेल मंत्रालय ने संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 04 अक्टूबर 2022 के मास्टर सर्कुलर द्वारा जारी कर मेट्रो क्रॉसिंग के लिए नीति को उदार और शुल्क को कम कर दिया है।

## समुद्र में व्यापक बचाव कार्यों के लिए स्थानीय आकस्मिक योजना तैयार करना:

- 2016 में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बड़े पैमाने पर बचाव अभियान (MRO) के लिए एक स्थानीय आकस्मिक योजना तैयार करेंगे। विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों में तटीय राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों से चर्चा की गई। अब राज्यों द्वारा स्थानीय आकस्मिक योजना तैयार कर ली गई है और मुद्दे का सकारात्मक निराकरण किया गया है।

## राजनंदगांव-कलुमना तीसरी लाइन परियोजना के लिए वन्यजीव मंजूरी:

- इस मुद्दे को पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में उठाये जाने के बाद, वन्यजीव संस्थान-देहारादून द्वारा अध्ययन रिपोर्ट शीघ्रता से जारी की गई तथा दीव में जून 2022 में हुई पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना के लिये चरणवार अनुमति के लिये रेलवे के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस प्रकार 2019 से लंबित इस मामले का निराकरण हुआ।

## हाजीपुर-सुगौली नई लाइन परियोजना:

- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की फ़रवरी, 2020 को भुबनेश्वर में हुई बैठक में रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को उठाया गया जो कि 2016 से लंबित था। गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तीन जिलों अर्थात वैशाली, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण में पूरी कर ली गई है तथा बाकी बची हुई 200 एकड़ भूमि के लिए बिहार सरकार ने कोलकता में दिसंबर, 2022 में आयोजित बैठक में आश्वासन दिया कि यह भूमि भी रेलवे को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

## केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि का शीघ्र हस्तांतरण:

- सेतुभारतम परियोजना में एक रोड-ओवर-ब्रिज के निर्माण के लिए मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) में 27 एकड़ रक्षा भूमि का मुद्दा कई वर्षों से लंबित था। मा. गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में फरवरी 2020 में भुवनेश्वर में हुई बैठक में रक्षा मंत्रालय के सहयोग से मामले का समाधान हुआ।

## एक्वाकल्चर झींगा निर्यात में एंटीबायोटिक अवशेषों की जाँच:

- 2016 में, यूरोपीय संघ और जापान को निर्यात किए गए कई झींगा खेप एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति के कारण खारिज कर दिए गए थे। इन मुद्दों पर माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की नवंबर 2021 में तिरुपति बैठक में निर्णय के बाद, समस्या के समाधान के लिए, सम्बंधित दक्षिणी तटीय राज्यों में टास्क फ़ोर्स का गठन हुआ।

## नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के सन्दर्भ में तमिलनाडु द्वारा उठाई गई विनिमय तंत्र की बाधाओं का समाधान:

- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की नवंबर 2021 में तिरुपति में हुई बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के पश्चात भारत सरकार की सबंधित एजेंसियों द्वारा विचार-विनिमय किया गया। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) के वर्ष 2022 में जारी डी एस एम (Deviation Settlement Mechanism) रेगुलेशन के द्वारा टोलरेंस बैंड विड्थ बढ़ायी गयी और समस्या का समाधान किया गया।

## पोक्सो के मामलों का शीघ्र न्यायसंगत निस्तारण:

- पोक्सो सम्बन्धी मामलों की जाँच और शीघ्र निपटान पर प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सतत निगरानी की जा रही है। ऐसे मामलों की समयबद्ध जाँच तथा न्यायिक निर्णय सुनिश्चित करने के लिए FTSC/ePOCSO कोर्टों की स्थापना में वृद्धि हुई है। कोर्ट द्वारा त्वरित सुनवाई के लिए राज्यों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए।

# साइबर अपराधों पर सख्त सरकार

रीयल टाइम रिपोर्टिंग, उन्नत तकनीक और जागरूकता से साइबर अपराधों पर शिकंजा

## रीयल टाइम रिपोर्टिंग, उन्नत तकनीक और जागरूकता से साइबर अपराधों पर शिकंजा

**डिजिटल तंत्र का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित** करने और साइबर अपराध से निपटने के लिए, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

> साइबर क्राइम हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों व ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनको रोकने के लिए हमें लगातार नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। आज क्राइम वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और हमें उनसे 10 कदम आगे रहना होगा।
>
> **- श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)

# SNAPSHOT

गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय द्वारा किये गए प्रयासों के अब परिणाम भी दिखने लगे हैं, जिनके उदाहरण निम्नलिखित हैं

- जनवरी 2020 में लांच हुए साइबर क्राइम पोर्टल का अब तक 19 करोड़ से अधिक बार उपयोग। अब तक 66 लाख से अधिक साइबर क्राइम शिकायतें दर्ज की गईं, जिनके आधार पर 1.6 लाख से अधिक FIR दर्ज हुई।
- CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) के माध्यम से अब 99.9% पुलिस स्टेशन (16,597) सीधे पोर्टल पर 100% FIR दर्ज कर रहे हैं। CCTNS राष्ट्रीय डेटाबेस में अब तक 28.98 करोड़ पुलिस रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं।
- CCTNS पर नागरिकों से 12.82 करोड़ से अधिक सेवा अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 12.35 करोड़ अनुरोधों का राज्य पुलिस द्वारा निपटान किया गया है।
- साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को देखते हुए, '1930' हेल्पलाइन नंबर कार्ड ब्लाक करने जैसे कई सुविधाओं का वन पॉइंट सॉल्यूशन प्रदान करता है।
- इसमें 250 से अधिक बैंक और वित्तीय मध्यस्थ ऑनबोर्ड हो चुके हैं और इसके माध्यम अब तक 1.33 लाख से अधिक लोगों से साइबर अपराधियों द्वारा गबन किए गए ₹235 करोड़ से अधिक की वसूली हुई है।
- टॉप 50 साइबर अटैक के मोड्स ऑपरेंडी पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है।
- National Cyber Forensic Laboratory (Investigation) के माध्यम से, अभी तक, राज्यों को 7,950 से अधिक फॉरेंसिक सेवाएं प्रदान की गई हैं।
- 40,000 पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध जागरूकता, जाँच, फोरेंसिक, आदि पर प्रशिक्षण दिया गया है।
- 'साइट्रेन' नामक व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC) प्लेटफॉर्म पर अभी तक, 44,173 से अधिक पुलिस अधिकारियों को पंजीकृत किया गया है और 19,800 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से 592 से अधिक ऐप्स को I4C की सिफारिश पर बैन किया गया है।

**2017 में गृह मंत्रालय में साइबर और सूचना सुरक्षा (CIS) प्रभाग बनाया गया**

## नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल

जनवरी 2020 में लॉन्च हुए साइबर क्राइम पोर्टल का अबतक 13.8 करोड़ से अधिक बार उपयोग किया गया है, जो इसकी विश्वसनीयता और उपयोगिता को दर्शाता है। इसके माध्यम से अब तक 27 लाख से अधिक साइबर क्राइम शिकायतें दर्ज की गई, जिनके आधार पर 52 हजार से अधिक FIR दर्ज हुई।

## साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

गृह मंत्री अमित शाह ने 10 जनवरी 2020 को साइबर अपराध से **समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने** के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)' की स्थापना की है। इसके तहत भिन्न उदेश्यों के लिए 7 संस्थाओं / प्लेटफॉर्म्स की भी शुरुआत की गई है :

# क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम

**CCTNS को देश के 16,625 पुलिस थानों में लागू किया गया है।**

**99.9% पुलिस स्टेशन (16,597) सीधे CCTNS पर 100% FIR दर्ज कर रहे हैं।**

**CCTNS राष्ट्रीय डेटाबेस में अब तक 28.98 करोड़ पुलिस रिकॉर्ड हैं।**

**CCTNS पर 12.35 करोड़ अनुरोधों का राज्य पुलिस द्वारा निपटान किया गया**

## इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम

- ICJS के मुख्य स्तंभों को MHA द्वारा स्वतंत्र साइलो के रूप में विकसित किया गया था, जैसे कि CCTNS के रूप में ई-पुलिस, ई-कोर्ट, ई-जेल, ई-फोरेंसिक और ई-अभियोजन।
- ई-पुलिस, जो कि CCTNS के रूप में 100% पुलिस स्टेशन में लागू किया गया है।
- ई-फोरेंसिक एप्लिकेशन को 117 फोरेंसिक लैब में लागू किया गया है।
- 1300 जेलों में ई-जेलों को लागू किया गया है।
- ई-अभियोजन आवेदन 751 अभियोजन जिलों में लागू किया गया है और शेष 153 जिलों में सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रगति पर है।

## ICJS चरण- II

- गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 21 फरवरी 2022 को ICJS को और मजबूत करने के लिए, डेटा एक्सचेंज, एकल बिंदु डेटा एंट्री, सुरक्षित ऑनलाइन-पेपरलेस लेनदेन की दिशा में ICJS, फेज -2 को मंजूरी दी।
- फेज -2 प्रणाली "वन डाटा वन एंट्री" के सिद्धांत पर बनाई जा रही है और इसे हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के साथ एक समर्पित और सुरक्षित क्लाउड-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

## 112 ERSS

- 112 आधारित इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस प्रदान करने वाला ERSS इकोसिस्टम सभी राज्यों/UTs में चालू है।
- विभिन्न हेल्पलाइन, जैसे रेलवे हेल्पलाइन नंबर (139), राष्ट्रीय आपदा हेल्पलाइन नंबर (1077), महिला हेल्पलाइन (181) और चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) का 112 ERSS के साथ एकीकरण प्रगति पर है।

# सेफ सिटी प्रोजेक्ट

सेफ सिटी परियोजना 8 शहरों के लिए ₹2840 करोड़ के कुल लागत की एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

इसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित वातावरण विकसित करना है।

हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है।

## राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली

- गृह मंत्री अमित शाह ने 17 अगस्त 2022 को NAFIS की शुरुआत की
- जिसमें अब तक 1 करोड़ (1,05,80,266 रिकाड्र्स) से अधिक रिकॉर्ड को इन्टीग्रेट किया जा रहा है।
- 31 जनवरी 2023 तक प्राप्त फिंगरप्रिंट्स को अब तक 23,378 बार चेक किया जा चुका है।

## यौन अपराधों के लिए जाँच ट्रैकिंग प्रणाली

- यह हर दो महीने में पुलिस जाँच की निगरानी और ट्रेकिंग करेगा।
- ITSSO अनुपालन दर में 2018 के 43% से 2023 में 60% की वृद्धि हुई है।

## नेशनल डेटाबेस ऑफ़ सेक्सुअल ओफ्फेंडर्स

- यह बलात्कार, छेड़खानी, पीछा करना, बाल शोषण आदि जैसे यौन अपराधों में शामिल 13 लाख से अधिक अपराधियों की खोज योग्य रजिस्ट्री है।
- इसमें अपराधियों के नाम, पता, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट विवरण शामिल हैं। यह आगे होने वाले अपराधों को रोकने के लिए यौन अपराधियों की पहचान और सत्यापन में मदद करता है।

## हेल्पलाइन नंबर - '1930'

- बढ़ती साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को देखते हुए, '1930' हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है।
- कार्ड ब्लाक करने जैसे कई सुविधाओं का वन पॉइंट सॉल्यूशन प्रदान करता है।
- इस प्लेटफॉर्म पर 250 से अधिक बैंक और वित्तीय मध्यस्थों को शामिल किया गया हैं, जो धोखाधड़ी किए गए धन को प्रतिबंधित करने और 'लाएन-राशि को चिह्नित' करने जैसे 'रियल टाइम में की जाने वाली कार्रवाई' में सहायता करता है।
- कार्य बल (टास्क फोर्स) की त्वरित रिपोर्टिंग प्रणाली और कार्रवाई के परिणामस्वरुप अब तक 12.90 लाख से अधिक दर्ज शिकायतों पर, ₹665 करोड़ से अधिक राशि की बचत की गई है।

# 'निदान' (NIDAAN) (गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस)

गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 30 जुलाई, 2022 को लॉन्च किया गया और यह NIDAAN पोर्टल अपनी तरह का पहला डेटाबेस है।

यह नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म (NCORD) पोर्टल का हिस्सा है। 'निदान' सभी नशीले पदार्थों के अपराधियों से संबंधित डेटा के लिए वन-स्टॉप समाधान है और जाँच में बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में जाँच एजेंसियों की मदद करेगा।

# गुमशुदा और शोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय केंद्र

आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अब तक 62.59 लाख से अधिक साइबर टिपलाइन रिपोर्ट संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की जा चुकी हैं।

# विदेशी मूल के अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस

यह 20 जनवरी 2023 को शुरू की गई भारत में अपराध में शामिल विदेशियों की एक रजिस्ट्री है जिसमें दोषी और अभियुक्त अपराधियों का विवरण है।

NDOFO सभी विदेशी अपराधियों से संबंधित डेटा के लिए वन-स्टॉप समाधान है और यह प्रणाली सभी पुलिस स्टेशनों और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए उपलब्ध है।

नागरिकों को लाभ: वैवाहिक विवाद, वीजा धोखाधड़ी, अवैध आप्रवासन, नाइजीरियाई लॉटरी और अन्य साइबर अपराधों जैसे विदेशियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए अपराधों में कमी के माध्यम से नागरिक लाभान्वित होते हैं।

# DigitalPoliceCitizenService.gov.in पर केंद्रीय नागरिक सेवाएं

मा. गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में NCRB ने एक पोर्टल पर तीन नई केंद्रीय नागरिक सेवाएँ शुरू की हैं। लॉन्च के बाद से अब तक नागरिकों द्वारा 16.83 लाख लॉग-इन किये गए हैं। इन सेवाओं में शामिल हैं:

- **गुमशुदा व्यक्ति की खोज:** यह सेवा नागरिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस से अपने गुमशुदा परिजनों को ऑनलाइन खोजने के लिए है। यह 29 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी और इसके माध्यम से 1 मार्च 2023 तक 26,672 खोजें की गई।
- **वाहन NOC जनरेट करें:** यह सेवा नागरिकों को किसी भी वाहन की खरीद से पहले उसकी पुरानी स्थिति यानि वाहन संदिग्ध है या नहीं है, इसका पता लगाने में सहायता करती है। यह सेवा 29 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी और इससे 18.92 लाख खोजें की गई जिसमें से 1.1 लाख लॉग-इनस में संदिग्ध वाहन पाए गए।
- **घोषित अपराधी:** घोषित अपराधियों की जानकारी वेबसाइट पर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह सेवा 21 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी और 28 फरवरी 2023 तक 44,256 नागरिकों ने घोषित अपराधियों की जानकारी का उपयोग किया।

## मानव तस्करों पर राष्ट्रीय डेटाबेस

- NIC की मदद से NCRB ने प्रिजन और CCTNS में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर मानव तस्करों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (वर्तमान में 92,882) नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ इस प्रकार है:
  - अवैध व्यापारकर्ता की खोज, अपराध इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, आवाजाही, अदालती कार्रवाई, अपील, आगंतुक की जानकारी, आदि प्रदान करता है।

## Adjournment Alert Module

स्थगन अलर्ट मॉड्यूल, आपराधिक मामलों के निपटान में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक कदम के रूप में ई-प्रॉसिक्यूशन एप्लिकेशन में एक अलर्ट तंत्र मॉड्यूल विकसित किया गया है।

नई सुविधा के अनुसार, जब भी कोई सरकारी अभियोजक किसी आपराधिक मामले में दो बार से अधिक मोहलत माँगता है, तो सिस्टम में वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट भेजने का प्रावधान है।

आगे, इसे सीधे ई-कोर्ट के साथ एकीकृत करने करने का कार्य प्रक्रिया में है।

## Cri-MAC (क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर)

Cri-MAC (क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर) को 12 मार्च 2020 को लागू किया गया था।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस स्टेशनों और उच्च कार्यालयों के लिए Cri-MAC सुविधा शुरू की गई है, ताकि जघन्य अपराध और अन्य मामलों में समन्वय से संबंधित जानकारी साझा की जा सके।

इसका उपयोग email और SMS के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध और अंतर-राज्यीय अपराधियों के बारे में अलर्ट/सूचना फैलाने के लिए किया जा सकता है। लॉन्च के बाद से, Cri-MAC पर 6.39 लाख लॉग-इन हो चुके हैं और अब तक 9.28 लाख अलर्ट जेनरेट किए जा चुके हैं।

# अन्य पहलें

CFSL, हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला राष्ट्र को समर्पित।

'साइबर दोस्त' के माध्यम से साइबर सुरक्षा संबंधी सुझाव देकर साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है।

फॉरेंसिक विश्लेषण सहायता हेतु एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (अन्वेषण) का गठन किया गया है।

प्रत्येक माह के पहले बुधवार को 'साइबर जागरुकता दिवस' के तौर पर मनाया जाना निश्चित किया गया है।

"साइबर हाइजीन" को बढ़ावा देना: केंद्रीय मंत्रालयों और प्रदेश प्रशासन द्वारा 'वार्षिक कार्य योजना' तैयार की जा रही है।

साइबर अपराध हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए 7 जॉइंट साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन टीम (JCCT) का गठन (मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी)।

साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरु की गई हैं। एलईए /न्यायिक अधिकारियों/ लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण और कनिष्ठ फॉरेंसिक सलाहकार की भर्ती के लिए 122.24 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्रदान किया गया है।

> आज डिजिटल क्रांति के युग में साइबर सुरक्षा के बिना देश के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)

# फॉरेंसिक साइंस

## न्यायालयिक विज्ञान शब्द में ही न्याय निहित है

### लक्ष्य :

- हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टीगेशन के साथ इंटीग्रेट करना
- हमारा दोष-सिद्धि का रेट विकसित देशों के
- समकक्ष ले जाना
- 7 साल से अधिक सजा के मामलों में फॉरेंसिक जाँच अनिवार्य करना
- प्रत्येक जिले में फॉरेंसिक मोबाइल जाँच फैसिलिटी उपलब्ध कराना
- फॉरेंसिक इन्वेस्टीगेशन की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और निष्पक्षता को बनाये रखना

**फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में 4-स्तरीय रणनीति :**

- फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना
- फॉरेंसिक विशेषज्ञों की कुशल मैनपॉवर का निर्माण करना
- फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी को उपलब्ध करना और अपनाना
- फॉरेंसिक साइंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना

> "पकड़े जाने के भय की भावना और अदालत में उसका अपराध साबित होने का डर, अपराध को नियंत्रण में रखने में बहुत मददगार साबित होता है और यहीं पर फॉरेंसिक साइंस की भूमिका सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाती है।"
>
> ***– श्री नरेंद्र मोदी*** *(माननीय प्रधानमंत्री)*

# पहल

नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी के परिसरों की स्थापना गाँधीनगर (गुजरात) और दिल्ली के अलावा, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश) में की गई तथा धारवाड़ (कर्नाटक) में दिनांक 28 जनवरी 2023 को और गुवाहाटी (असम) में परिसर स्थापना के लिए शिलान्यास 25 मई 2023 को संपूर्ण किया गया

नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी और डायरेक्टरेट ऑफ़ फॉरेंसिक साइंसेस सर्विस द्वारा मिलकर सीएफएसअल पुणे, भोपाल, गुवाहाटी में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान अकादमी की शुरुआत की गई तथा मणिपुर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL), चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा का उद्घाटन। यौन उत्पीड़न एवं हत्या, मानव आपदा पीड़ित पहचान, पितृत्व इकाई और माइटोकॉन्ड्रियल इकाई की जाँच के लिए विशेष इकाइयाँ स्थापित

यौन उत्पीड़न के मामलों में साक्ष्य की जाँच में मानकीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय ने यौन उत्पीड़न के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह, संचालन और भंडारण के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए

राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशिक्षण के लिए 18,020 यौन उत्पीड़न के साक्ष्य किट वितरित किए गए

तीन नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ पुणे, भोपाल एवं गुवाहाटी में स्थापित, संबा (जम्मू) के लिए केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का शिलान्यास (23 जून 2023)

न्यायालयिक विज्ञान विषयों से सम्बंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरु किये गए

गांधीनगर (गुजरात) और दिल्ली के अतिरिक्त, राष्ट्रीय न्याय विज्ञान विश्वविद्यालय (राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी) के परिसर गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक) और गुवाहाटी (असम) में स्थापित किए गए हैं। इन परिसरों की आधारशिला माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा रखी गई है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) तथा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना

प्रदेशों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

देश में राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण और साइबर फॉरेंसिक के लिए क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 30 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ₹245.29 करोड़ मंजूर

फॉरेंसिक योग्यताओं के आधुनिकीकरण के लिए योजना को ₹2080.5 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ को मंजूरी दी गई

अबतक 35,306 जाँच अधिकारियों, अभियोजकों और डॉक्टरों को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D), और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान द्वारा यौन उत्पीड़न के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह, संचालन और परिवहन के लिए प्रशिक्षित किया गया है

राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS): लगभग 84.46 करोड़ से अधिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड डिजिटाइज किए गए

न्यायालयिक विज्ञान विषयों से सम्बंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरु किये गए

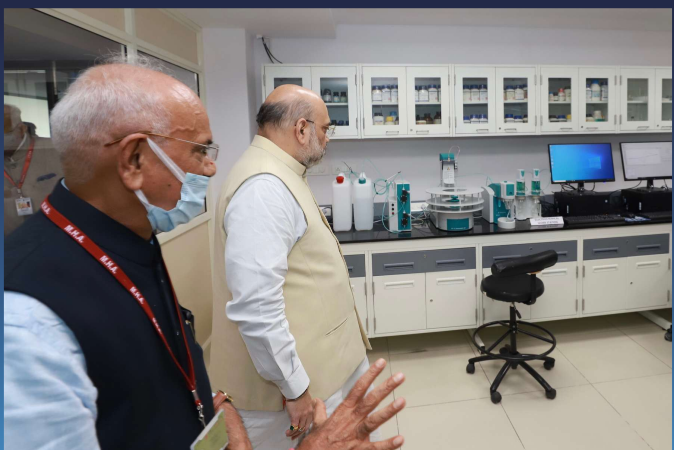

> जब तक सजा दिलाने की प्रक्रिया फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर नहीं होगी, तब तक हम कन्विक्शन रेट को सुधार नहीं सकते।
>
> **– श्री अमित शाह** *(माननीय गृह मंत्री)*

# सीमा सुरक्षा

## चौकस सुरक्षा प्रणाली से अभेद्य हुई भारत की सीमाएँ

## हमारी सीमा नीति

दशकों तक सीमा क्षेत्र को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था (PoK, अक्साई चीन, NEFA)

मोदी जी के नेतृत्व में: सुरक्षा, विकास और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना

एक सीमा-एक बल

BSF की स्थापना की गई सीमा सुरक्षा पर ध्यान आया, लेकिन सीमा क्षेत्र के लोगों की विकास की अनदेखी हुई

देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। सीमा की सुरक्षा सुरक्षाबलों की शक्ति के साथ जुड़ी है। सीमा पर हमारे जाँबाजों का हौसला बुलंद रहे और उनका मनोबल आसमान से भी ऊँचा रहे, इसलिए उनकी हर आवश्यकता आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

**श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)

# स्पष्ट नीति-सुरक्षित सीमा

- सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बल
- सीमा क्षेत्रों के गाँवों में कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन
- सीमा क्षेत्रों के साथ रेलमार्ग,सड़क मार्ग, जलमार्ग का सुगम जुड़ाव
- भू-सीमा से व्यापार को बढ़ावा देना
- जनता से सीधा संवाद, अर्थात पीपुल टू पीपुल कनेक्शन

# प्रमुख नीतिगत निर्णय

- सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी: फेंसिंग, बॉर्डर रोड, फ्लडलाइट्स, BoPs
- सीमा क्षेत्र में गृह मंत्रालय को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए समुचित अधिकार घोषित
- सीमा क्षेत्र विकास: 'सीमांत क्षेत्र विकासोत्सव,' 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' तथा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रियान्वयन में तेजी
- सीमा व्यापार: ICPs

# उपलब्धियाँ: स्पष्ट नीति से निकले परिणाम (मई 2019 - मई 2025 तक)

| | |
|---|---|
| बाड़बंदी | 253.562 किमी बाड़ का निर्माण पूर्ण (भारत-बांग्लादेश- 156.748 किमी, भारत-पाकिस्तान- 87.60 किमी, भारत-म्यांमार- 9.214 किमी) त्रिपुरा में 39.337 किमी सहित |
| सीमा क्षेत्रों में सड़कों का विकास | 1220.993 किमी का निर्माण पूर्ण (IBB- 137.993 किमी, IPB- 158.96 किमी, INB- 496.54 किमी, ICB-427.50 किमी)<br>ICBR-I – 25 सड़क प्रकल्पों में से 62.30 किमी निर्माण कार्य पूर्ण<br>ICBR –II- 683 कि.मी. लंबी, 32 सड़कों के निर्माण को मंजूरी, जिनमें से 31 पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, 1 पर वैधानिक मंजूरी लंबित है। कुल 60 सड़कें (ICBR-I- 25 और ICBR-II- 32 और 3 स्वतंत्र सड़कें) निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 27 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है |
| फ्लड लाइट | 266.319 किमी सीमा फ्लड लाइट से कवर की गई (भारत-बांग्लादेश- 171.279 किमी, भारत-पाकिस्तान-95.04 किमी) |
| बॉर्डर आउट पोस्ट | 284 BOPs का निर्माण पूर्ण (भारत-बांग्लादेश- 123 BOPs, भारत-पाकिस्तान-37 BOPs, भारत-चीन- 32 BOPs, भारत-नेपाल- 57 BOPs, भारत-भूटान- 25 BOPs, भारत-म्यांमार- 25 BOPs)<br>आईटीबीपी की 47 नई सीमा चौकियों (BOP) और 12 स्टेजिंग कैम्प को मंजूरी, 04 BOP और 03 स्टेजिंग कैम्प स्थापित |

## परियोजना जो प्रगति पर...

- जम्मू सेक्टर में 179 किमी सीमा पर मिट्टी के बाँध, पक्की सड़क और नाका-सह-मचान-सह-लड़ाकू बंकरों (135 फीट चौडी पट्टी) के निर्माण की परियोजना प्रगति पर।
- गृह मंत्रालय की सभी सीमा अवसंरचना परियोजनाओं की कुशल निगरानी के लिए परियोजना निगरानी इकाई (PMU) की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरु।
- भुज सेक्टर पर गुजरात में सीमा सुरक्षा बल के हरामीनाला और सरक्रीक क्षेत्र में 07 Observation Post (O.P.Tower) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 12 मार्च 2020 को सीमा बाड़, सीमा चौकी, सीमा सड़क और एकीकृत जाँच चौकियों जैसे critical border projects हेतु भूमि अर्जन को आसान बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) के अर्न्तगत "समुचित सरकार" घोषित किया है। इस उपलब्धि से गृह मंत्रालय को उपरोक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए Urgency Clause के अर्न्तगत भूमि अर्जन में सुविधा होगी।
- मणिपुर राज्य के मोरेह इलाके में भारत- म्यांमार सीमा पर बॉर्डर पिलर सं0 79 एवं 81 के मध्य 9.214 किमी फेंसिंग पर 2013 से रुका हुआ कार्य जनवरी 2021 से पुनः आरम्भ हो गया है और पूरा हो चुका है।
- Expenditure Finance Committee (EFC) ने दिनांक 28 जुलाई 2021 को अपनी बैठक में Central Sector Scheme 'Border Infrastructure and Management (BIM)' को वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि हेतु कुल ₹13,020 करोड़ की लागत के साथ मूल्यांकन एवं अनुमोदन किया है।
- Cabinet Committee on Security (CCS) ने दिनांक 19.01.2022 के अपने निर्णय में, सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (BIM) योजना को दिनांक 31 मार्च 2026 या अगली समीक्षा तक, लागत ₹13,020 करोड़ जारी रखने का अनुमोदन दिया है।
- ITBP ने पिछले 06 वर्षों में 226.52 एकड़ भूमि और 537.48 एकड़ के वन मंजूरी का अधिग्रहण किया है ।
- भारत-पाकिस्तान सीमा में बाड़, सड़क और बीओपी के लिए 1099 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है।
- भारत-बांग्लादेश सीमा में बाड़, सड़क और बीओपी के लिए 298 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है ।
- भारत-म्यांमार सीमा में बाड़, सड़क और बीओपी के लिए 54.56 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है ।
- भारत-पाकिस्तान सीमा में - 260, भारत- बांग्लादेश सीमा में – 351, भारत-नेपाल व भारत-भूटान सीमा में – 06 ओ.पी. टॉवर का निर्माण हुआ है।
- भारत-पाकिस्तान सीमा में - 24, भारत-बांग्लादेश सीमा में – 102, भारत-चीन सीमा में – 23, भारत-म्यांमार सीमा में - 36 , भारत-नेपाल सीमा में - 92 व भारत-भूटान सीमा में – 23 बीओपी/ सीओबी में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं।

- भारत-पाकिस्तान सीमा में - 36, भारत- बांग्लादेश सीमा में – 178, भारत-चीन सीमा में – 74 सं0, भारत-म्यांमार सीमा में 77, भारत-नेपाल सीमा में - 101 व भारत-भूटान सीमा में – 35 सोलर प्लान्ट तैयार किये गये हैं जबकि भारत-चीन सीमा में 05 सोलर प्लान्ट अपग्रेड किये गये हैं।

- भारत-पाकिस्तान सीमा में – 08, भारत-चीन सीमा में – 23, भारत- बांग्लादेश सीमा में - 09, भारत-नेपाल व भारत-भूटान सीमा में – 02 हैलीपैड्स पूर्ण किये गये हैं।

- भारत-पाकिस्तान सीमा में 118, भारत- बांग्लादेश सीमा में – 16, भारत-चीन सीमा में – 27, भारत-म्यांमार सीमा में – 92, भारत-नेपाल सीमा में - 20 व भारत-भूटान सीमा में – 18 बीओपी/ सीओबी में पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं।

## विकसित होंगे सीमावर्ती गाँव, सुरक्षित होगी सीमा

- सीमावर्ती गांवों के चहुमुंखी विकास के लिए केंद्र सरकार ने 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' को 15 फरवरी 2023 को मंजूरी दी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 4800 करोड़ रुपये की घोषणा की गई।

- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितू में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' का शुभारंभ किया।

- अमित शाह जी ने 23 मई को नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया जिसमें सीमावर्ती जिलों के डीएम, पदाधिकारी और मंत्रालय के अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर सीमावर्ती गांवों को प्रगति पर विचार-मंथन किया।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| चिन्हित गाँवों में विकास की बढ़ेगी गतिविधियाँ | आधारभूत संरचनाओं की सुनिश्चित होगी उपलब्धता | सभी सरकारी योजनाओं को लागू करने से रुकेगा पलायन | नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर होगा जोर | पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देकर सीमा के गाँवों बनेंगे सशक्त |

## अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुनियादी ढांचा (मई 2014 - मई 2024 तक)

| | |
|---|---|
| बाड़बंदी | 585.860 किमी का निर्माण पूर्ण (भारत-बांग्लादेश- 372.746 किमी*, भारत-पाकिस्तान- 203.90 किमी, भारत-म्यांमार- 9.214 किमी) |
| सीमा क्षेत्र की सडकें | 1567.661 किमी का निर्माण पूर्ण (IBB- 274.521 किमी, IPB- 196.78 किमी, INB- 625.66 किमी, ICB- 470.70 किमी) |
| फ्लड लाइट | 1101.737 किमी का निर्माण पूर्ण (भारत-बांग्लादेश- 879.447 किमी, भारत-पाकिस्तान-222.29 किमी) |
| बॉर्डर आउट पोस्ट | 565 Nos का निर्माण पूर्ण (भारत-बांग्लादेश- 284 Nos., भारत-पाकिस्तान-78 Nos., भारत-चीन- 42 Nos., भारत-नेपाल- 114 No., भारत-भूटान- 43 Nos., भारत-म्यांमार- 04 Nos.) |

## अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुनियादी ढांचा (जून 2024 - मई 2025 तक)

| | |
|---|---|
| बाड़बंदी | 60.223 किमी का निर्माण पूर्ण (भारत-बांग्लादेश- 35.623 किमी*, भारत-पाकिस्तान- 24.60 किमी) |
| सीमा क्षेत्र की सडकें | 375.142 किमी का निर्माण पूर्ण (IBB- 17.732 किमी, IPB- 38.60 किमी, INB- 103.24 किमी, ICB- 215.57 किमी) |
| फ्लड लाइट | 89.60 किमी का निर्माण पूर्ण (भारत-बांग्लादेश- 89.60 किमी) |
| बॉर्डर आउट पोस्ट | 39 Nos का निर्माण पूर्ण (भारत-बांग्लादेश- 10 Nos., भारत-पाकिस्तान-6 Nos., भारत-चीन- 12 Nos., भारत-नेपाल- 5 No., भारत-म्यांमार- 06 Nos.) |

"सीमा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है, क्योंकि जिस देश की सीमा सुरक्षित नहीं है वो देश सुरक्षित नहीं है।"

**श्री अमित शाह**
(माननीय गृह मंत्री)

# तटीय सुरक्षा

जल मार्ग पर मुस्तैद निगरानी

## तटीय सुरक्षा का सशक्तीकरण

- तटीय सुरक्षा स्कीम का सुचारु क्रियान्वयन
- मछुवारों की सुरक्षा
- राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी
- तटीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस पर संवाद एवं समन्वय
- संयुक्त तटीय गश्त एवं पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल

> "मोदी सरकार सभी राज्यों के साथ मिलकर देश की तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ और अभेद्य बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है।"
>
> **- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)

## तटीय सुरक्षा स्कीम का सुचारु क्रियान्वयन

- तटीय प्रदेशों में 120 तटीय पुलिस स्टेशन, 06 समुद्री पुलिस ऑपरेशन सेंटर, 37 जेटी, 131 चार पहिया वाहन और 242 दोपहिया वाहन प्रदान किए गए।

## तटीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस पर संवाद एवं समन्वय

- तटीय सुरक्षा और आसूचना के समन्वय पर पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित की गई।
- भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पड़ोसी समुद्री देशों में भारतीय मिशनों के साथ समन्वय।

## संयुक्त तटीय गश्त एवं पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल तय किये गए

- अगस्त 2020 से प्रभावी ढंग से शुरु किया गया।
- तटीय जल तथा तटीय रेखा को प्रभावकारी रूप से सुरक्षित रखने के लिए नया तटीय पेट्रोलिंग/एसओपी/पैटर्न/ प्रोटोकॉल लाया गया। 30 जून 2023 तक 1712 sorties और 1111 class room instructions आयोजित जिनमें 4115 कोस्टल पुलिस कर्मियों ने भाग लिया।

## राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी (NACP)

- द्वारका, गुजरात स्थित NACP में 870 तटीय पुलिस/ सीमा शुल्क कर्मियों ने समुद्री पुलिस फाउंडेशन कोर्स को पूरा किया।

## मछुआरों की सुरक्षा

- मछुआरों की पहचान के लिए क्यूआर कोड सक्षम पीवीसी आधार कार्ड का प्रावधान कर सुरक्षा के प्रयासों को और सक्षम बनाया गया।
- लगभग 12 लाख QR कोड वाले आधार कार्ड वितरित।
- 3 लाख से अधिक नौकाओं का पंजीकरण।
- सितंबर, 2020 में मछली पकड़ने की नौकाओं के रंग कोडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली।
- 1537 मत्स्य अवतरण बिन्दुओं को चिन्हित कर सर्वेक्षण करना।
- मछुआरों के लिए राष्ट्रव्यापी टोल फ्री नम्बर 1554।
- सिंगल प्वाइंट मूरिंग्स (एसपीएम) की सुरक्षा पर SOP निश्चित।

## महत्त्वपूर्ण पहल

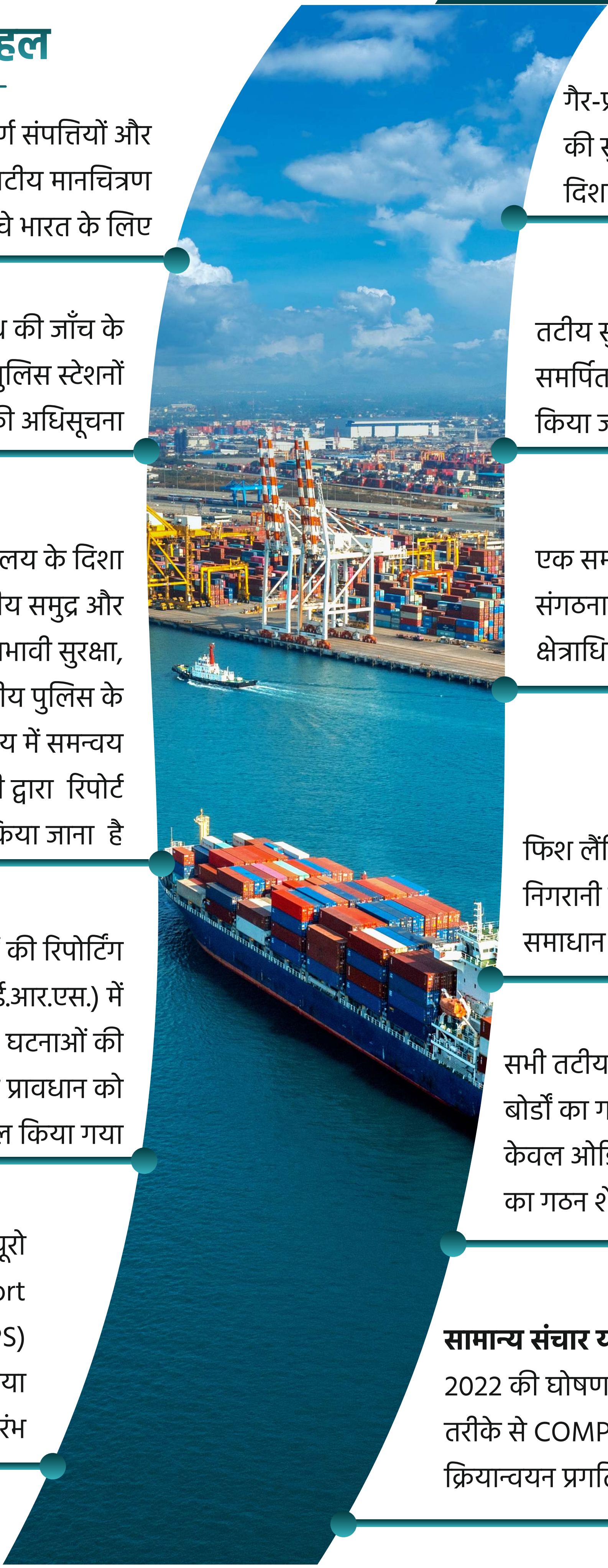

महत्त्वपूर्ण संपत्तियों और बिन्दुओं का तटीय मानचित्रण समूचे भारत के लिए

गैर-प्रमुख बंदरगाह की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी

EEZ तक अपराध की जाँच के लिए 10 तटीय पुलिस स्टेशनों की अधिसूचना

तटीय सुरक्षा के लिए समर्पित कैडर का निर्माण किया जा रहा है

रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार तटीय समुद्र और तटीय रेखा की प्रभावी सुरक्षा, आईसीजी और तटीय पुलिस के बीच वास्तविक समय में समन्वय के लिए आईसीजी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है

एक समान तटीय सुरक्षा संगठनात्मक संरचना / क्षेत्राधिकार निश्चित करना

घटनाओं की रिपोर्टिंग प्रणाली (आई.आर.एस.) में समुद्री घटनाओं की रिपोर्टिंग के प्रावधान को शामिल किया गया

फिश लैंडिंग सेंटरों की निगरानी के लिए तकनीकी समाधान ढूँढना

सभी तटीय राज्यों में समुद्री बोर्डों का गठन किया गया केवल ओडिशा में समुद्री बोर्ड का गठन शेष है

बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Port Security - BoPS) के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ

**सामान्य संचार योजना:** COMPLAN 2022 की घोषणा। अब चरणबद्ध तरीके से COMPLAN 2022 का क्रियान्वयन प्रगतिशील है

# आपदा प्रबंधन

## सजगता, सतर्कता, राहत, बचाव और पुनर्वास का समग्र दृष्टिकोण

**एप्रोच :** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण लाया गया है।

# आपदा प्रबंधन में बड़ी सफलता

- एक मजबूत अर्ली वार्निंग तथा फर्स्ट रेस्पोंडर व्यवस्था लागू करने में सफलता, जिसका लाभ न केवल भारत को, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों को भी हो रहा है।

- हमारे प्रयासों से चक्रवातों के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान में लगभग 98% की कमी आई है। **2023 में 'बिपरजॉय' चक्रवात के दौरान (Zero Casualty) 'शून्य' हताहत हुए।**

- इसी तरह, हमने लू (Heat Wave) से संबंधित मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हासिल की।

- COVID के बीच में भी, जब हमारी कई महत्त्वपूर्ण संपत्तियाँ जैसे ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयाँ चक्रवात प्रभावी क्षेत्र में थीं, तो सिस्टम ने प्रभावी ढंग से रिस्पॉन्स दिया है।

**जून 2016 में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) शुरू की।**

- आपदा प्रबंधन सम्बन्धी सभी एजेंसियों और विभागों के बीच होरिजेंटल एवं वर्टीकल एकीकरण कर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को एक मैट्रिक्स प्रारूप में भी निर्धारित किया गया है।

13 जून 2023 को राज्यों और UTs के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश में आपदा प्रबंधन के लिए ₹8000 करोड़ की तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की

- राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ₹5,000 करोड़ रुपए की परियोजना
- शहरों में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले सात महानगरों - मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे - के लिए ₹2,500 करोड़ की परियोजना, और,
- भू-स्खलन शमन के लिए 15 राज्यों में ₹1,000 करोड़ की राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम शमन परियोजना

**राष्ट्रीय आपदा मोचन रिज़र्व (NDRR) की स्थापना**

- तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अपेक्षित सामग्री सूची को तैयार करने रखने के लिए ₹250 करोड़ के रेवोल्विंग फंड के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन रिज़र्व (NDRR) की स्थापना।

**NDRF बल की "सक्रिय उपलब्धता": "पहले से तैनाती" की नीति के तहत राज्यों में**

- तत्काल राहत प्रदान करने के लिए NDRF की 2014 के बाद से 06 अतिरिक्त वाहिनियों की स्थापना की
- NDRF में 16 प्रचालनात्मक बटालियन हैं
- NDRF की टीमें देश के 28 शहरों में रीजनल रेस्पोंस सेंटर के रूप में
- NDRF की टीम की मौजूदगी और उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को सुचारु किया
- सभी राज्यों में SDRF का गठन : तेलंगाना और गोवा को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में एसडीआरएफ का या तो गठन हो चुका है या राज्य पुलिस/होमगार्ड आदि से आपदा मोचन का विशिष्ट कार्य कर रहे हैं

# आपदा निधि वितरण : वैज्ञानिक प्रोसेस के तहत वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक,

- फरवरी, 2021 में नेशनल डिजास्टर मिटीगेशन फण्ड (NDMF) का गठन किया।
- NDMF के अंतर्गत **₹13,693 करोड़ की धनराशि** का आवंटन; और
- राज्य डिजास्टर मिटीगेशन निधि (SDMF) के अंतर्गत **वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच ₹14,715 करोड़।**

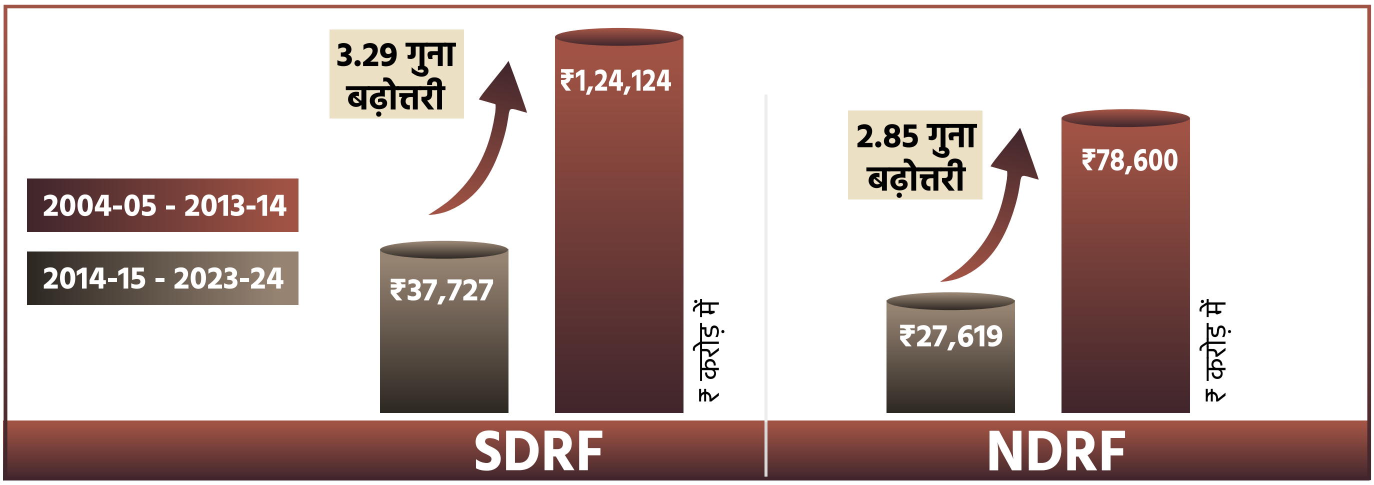


## प्रोएक्टिव IMCT भेजना

- अगस्त-2019 में एक बड़े निर्णय के बाद, प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद और राज्य सरकार के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना आईएमसीटी भेजी जा रही हैं।
- पिछले 6 वर्षों में विभिन्न राज्यों में 97 IMCT टीम भेजी गयी है और इन्हें अब 10 दिनों के अन्दर भेज दिया जाता है।

## IDRN (इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क) : एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक सूची है।

- 01 जनवरी 2022 और 11 जून 2023 के बीच 2,99,121 नए रिकॉर्ड अद्यतन किए गए हैं।

## एन.डी.आर.एन. अकादमी की स्थापना: 1 जनवरी 2016 से 3 जून 2025 के बीच 444979 नए रिकॉर्ड अपडेट किए गए हैं।

## आपदा मित्र योजना:

- **आपदा मित्र योजना** को 350 बहु जोखिम आपदा संभावित जिलों में **₹369.41 करोड़** के परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया गया है।
- 1 लाख से ज्यादा युवा Volunteers को प्रशिक्षित किया गया है।
- इन सभी का सरकार द्वारा जीवन बीमा भी किया गया।

> आपदा प्रबंधन अब एक सरकारी काम नहीं है, बल्कि ये 'सबका प्रयास' का एक मॉडल बन गया है
>
> - **श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)

- **कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकोल (सी.ए.पी.):** आकास्मिकता/आपदा के संबंध में मोबाइल फोन के जरिए भौगोलिक आधारित तत्काल अलर्ट मुहैया कराने हेतु मार्च 2021 में ₹354 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरु किया गया। इस प्लेटफार्म का IMD मुख्यालय (+29 केंद्र), CWC मुख्यालय INCOIS मुख्यालय और DGRE के साथ एकीकरण पूर्ण हो चुका है। इसके साथ साथ एफ एस आई, सेटेलाईट रिसीवर (गगन ओ नाविक) और दूर संचार सेवा प्रदाता के साथ भी एकीकरण पूर्ण हो चुका है। **अब तक 6000 करोड़ से अधिक अलर्ट प्रसारित किये जा चुके हैं।**

- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनआइडीएमएस) पोर्टल -** पोर्टल का आरंभ आपदा नुकसान पर क्षेत्रवार डेटा एकत्र करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) के चार (04) लक्ष्यों के तहत विभिन्न संकेतकों पर प्रगति की निगरानी हेतु एक व्यापक ऑनलाइन मॉड्यूल के विकास के लिए किया गया है।

- आपदा आपातकालीन स्थिति के लिए 41 करोड़ रुपये के परिव्यय से **'डायल 112'** इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) को अनुमोदन प्रदान किया गया।

- इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन्स नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन **(IUIN-DRR-NIDM)** की स्थापना की गयी। अब तक, 327 विश्वविद्यालयों को आईयूआईएनडीआरआर में जोड़ा गया है।

- भारत सरकार ने **सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार** शुरु किया है।

- **'राज्यों के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के रख-रखाव की व्यवस्था हेतु'** एक आदर्श विधेयक : गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को 16 सितम्बर 2019 तक भेजा गया है।

## मोबाइल एप्लीकेशन

- **मौसम -** आम जनता के लिए दैनिक मौसम की जानकारी, पूर्वानुमान और चक्रवात, भारी वर्षा, गर्मी की लहर, शीत लहर आदि एवं गंभीर मौसम की चेतावनी के लिए
- **मेघदूत -** किसानों द्वारा मौसम आधारित कृषि प्रबंधन के लिए
- **दामिनी -** बिजली चेतावनी के लिए जो 15 भाषाओ में उपलब्ध है
- **सचेत -** आपदा अलर्ट के लिए

देश में कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार की आपदा आती है और लोगों को पता चलता है कि एनडीआरएफ़, एसडीआरएफ़ आ गया है, तो उनकी आधी चिंता समाप्त हो जाती है।

**- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)

हाल ही में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न विषयगत एवं क्रॉस-कटिंग मुद्दों पर विशिष्ट आपदाओं पर लगभग 38 दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।

## इनमें से 13 गाइडलाइन्स पिछले 6 वर्षों में बनाई गई है...

- शीत लहर और फ्रॉस्ट
- भूकंप से सुरक्षा
- छत को ठंडा करने के लिए हाउस ओनर्स गाइड
- ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ)
- हीट वेव गाइडलाइन्स के साथ-साथ एक्शन प्लान भी
- भूस्खलन जोखिम
- दिव्यन्गता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण
- आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय
- आपदाओं में मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सहायता सेवा
- समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण
- आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना और संचालन
- आपदा प्रबंधन अभ्यास
- अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत

## अंतरराष्ट्रीय सहयोग

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रीस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर): नवंबर, 2016 के दौरान नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर 10 सूत्रीय एजेंडा की घोषणा की।

### कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) की स्थापना :

- भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 से 2026-27 तक की 8 वर्ष की अवधि के लिए ₹480 करोड़, की वित्तीय सहायता देने की वचनबद्धता की है।
- **44 देश और 7 अंतरराष्ट्रीय संगठन** इस गठबंधन में शामिल हुए हैं।
- सीडीआरआई की अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने दे लिए कैबिनेट के निर्णय के आलोक मे दिनांक 22 अगस्त 2022 को सीडीआरआई और भारत सरकार के मध्य "मुख्यालय समझौता" पर हस्ताक्षर किए गए।
- अन्तर्राष्ट्रीय आपदा बचाव के संयुक्त राष्ट्र के मानकों को पूरा करते हुए NDRF INSARAG (International Search & Rescue Advisory Group) से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, जो बल को संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों पर खोज और बचाव कार्यों को करने में सक्षम बनाएगा।
- **फरवरी 2023:** बड़े पैमाने पर भूकंप से तबाह तुर्की के प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक उपकरणों के साथ एनडीआरएफ के 151 कर्मियों वाली तीन टीमों को तुर्की भेजा गया था।
- भारत सरकार ने 11.01.2024 को संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत आवश्यक विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति प्रदान की है।

# 2024-25 के दौरान आपदा प्रबंधन डिवीजन की उपलब्धियां

### 2024-25 के दौरान जारी धनराशि:

- SDRF:- 28 राज्यों को 20264.40 करोड़ रुपये
- NDRF:- 19 राज्यों को 5160.76 करोड़ रुपये
- SDMF:- 19 राज्यों को 4984.25 करोड़ रुपये
- NDMF:- 8 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये

### आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2005 में संशोधन:

- आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2005 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया; 29.03.2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा 29.03.2025 को ही इसे अधिसूचित किया गया।

# अनुमोदित कार्यक्रम

### भूस्खलन जोखिम शमन कार्यक्रम:

- सरकार ने 1000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम को मंजूरी दी है।
- इसका लक्ष्य भूस्खलन के प्रति समुदायों और उनकी संपत्तियों की संवेदनशीलता को कम करके मृत्यु दर और आर्थिक नुकसान को कम करना है।
- यह कार्यक्रम 10 पूर्वोत्तर और हिमालयी (एनईएच) राज्यों के साथ-साथ 5 भूस्खलन-प्रवण राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जाना है।

### 'GLOF जोखिम शमन' कार्यक्रम:

- सरकार ने 150 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 'जीएलओएफ जोखिम शमन' कार्यक्रम को मंजूरी दी है।
- इसका उद्देश्य जीएलओएफ के जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक शमन उपायों को अपनाना है।
- यह कार्यक्रम चार हिमालयी राज्यों, अर्थात् हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कार्यान्वित किया जाएगा।

### 12 सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्यों को उत्प्रेरक सहायता कार्यक्रम:

- सरकार ने 2022.16 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 12 सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्यों को उत्प्रेरक सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है।
- इस कार्यक्रम को सूखा निवारण हेतु दीर्घकालिक योजनाएँ विकसित करने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया है।
- यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जाएगा।

### बिजली सुरक्षा के लिए जागरूकता गतिविधियों पर केंद्रित एक शमन परियोजना:

- सरकार ने 186.78 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ बिजली सुरक्षा हेतु जागरूकता गतिविधियों हेतु परियोजना को मंजूरी दी है।
- यह परियोजना बिजली गिरने से होने वाली मानव मृत्यु दर, पशुधन की हानि और बुनियादी ढाँचे को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करेगी।
- इस परियोजना का उद्देश्य बिजली गिरने के जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, विनिर्माण और तकनीकी प्रगति के माध्यम से आत्मनिर्भरता विकसित करना भी है।
- यह परियोजना 10 राज्यों के 50 सबसे अधिक बिजली गिरने वाले जिलों में लागू की जाएगी।

### वन अग्नि जोखिम प्रबंधन योजना:

- 'आग' राज्य का विषय होने के बावजूद, हमारी सरकार ने 819 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वन अग्नि जोखिम प्रबंधन हेतु एक योजना को मंजूरी दी है।
- यह योजना 19 राज्यों के 144 सर्वाधिक वन अग्नि प्रवण जिलों में लागू की जाएगी।

### युवा आपदा मित्र योजना

- सरकार ने 469.53 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी है।
- यह योजना सभी 28 राज्यों के 315 सर्वाधिक आपदा-प्रवण जिलों में कार्यान्वित की जाएगी।
- इसका उद्देश्य 31.3.2026 तक 1300 प्रशिक्षित आपदा मित्र स्वयंसेवकों और NCC, NSS, NYKS और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के 2,37,326 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करना है।

## अंतरराष्ट्रीय सहयोग

- म्यांमार भूकंप के दौरान दिनांक 28.3.25 से 06.04.25 तक 'ऑपरेशन ब्रह्मा':- एनडीआरएफ की एक यूएसएआर टीम, जिसमें 80 बचावकर्मी और यूएसएआर ऑपरेशन में प्रशिक्षित 4 कुत्ते शामिल थे, को नवीनतम उपकरणों और एक संशोधित वाहन के साथ म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया था।
- टीम ने मलबे से 67 शव निकाले और चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए और 227 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की।

# बदले अंग्रेजों के जमाने के कानून

## क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हो रहा है कायापलट

आजादी के 7 दशक बाद भी आज हमारे देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 160 वर्ष पहले ब्रिटिशों के कानून IPC, CrPC, इंडियन एविडेंस एक्ट से चलता था। तब यह कानून ब्रिटिश शासन के हितों के अनुकूल बनाए गए थे, न कि देशवासियों के हितों के लिए। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गुलामी की निशानी से भरे IPC, CrPC एवं इंडियन एविडेंस एक्ट निरस्त कर न्याय देने वाले तीन नए बिल लाए गए और तीनों कानून समाप्त किये गये।

### अब से:

इंडियन पीनल कोड (IPC), 1860 → भारतीय न्याय संहिता 2023

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC), (1898) 1973 → भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 → भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

साथ ही मोदी सरकार ने 130 साल पुराने जेल कानूनों में बदलाव कर कारागार अधिनियम 1894 के स्थान पर 'मॉडल कारागार अधिनियम 2023' को अंतिम रूप देकर राज्यों को भेजा है।

**प्रिजन्स एक्ट 1894** → 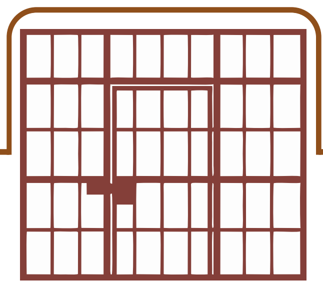 → **मॉडल कारागार अधिनियम 2023**

# तीनों कानूनों में होने वाले परिवर्तन

160 वर्ष पहले की **ब्रिटिश कोलोनियल लिगेसी,** को बदला गया।

तीनों कोलोनियल कानून मिला कर कुल **385 धाराओं** में बदलाव हुआ, **18 नई धाराएं जोड़ी गई हैं तथा 36 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं।**

**150 से अधिक नए नाम** दिए गए हैं।

तीनों कोलोनियल कानून को बदल कर, **कानून के भाषा की विकृति को सुधारा गया।**

# भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

- इसमें 533 धाराएं हैं (CrPC की 478 धाराओं के स्थान पर)
- कुल 160 धाराओं में बदलाव हुआ है
- 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं
- 9 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं

# भारतीय न्याय संहिता, 2023

- इसमें 356 धाराएं हैं (IPC की 511 धाराओं के स्थान पर)
- कुल 175 धाराओं में बदलाव हुआ है
- 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं
- 22 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं

# भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

- इसमें 170 धाराएं हैं (मूल 167 धाराओं के स्थान पर)
- कुल 23 धाराओं में बदलाव किया गया है
- 1 नई धारा जोड़ी गई है
- 5 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं

# विचार-विमर्श प्रक्रिया से लाया गया सुधार

- मा. गृह मंत्री जी द्वारा **158 औपचारिक** तथा **अनौपचारिक समीक्षा बैठकें** की गई।
- **2019** में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस सुधार प्रक्रिया को अनेकों सुझाव के बाद लाया गया। जो;

- राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा
- भारत के सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों द्वारा
- लॉ कॉलेज, न्यायिक अकादमियों, विधि विश्वविद्यालयों द्वारा
- बार कौंसिल्स द्वारा
- संसद सदस्यों द्वारा
- और IPS अधिकारी तथा राज्य एवं केंद्रीय बलों द्वारा सुझाव प्राप्त हुए हैं

# नए कानूनों से क्या हुए हैं सुधार और बदलाव

- **महिलाओं और बच्चों के अपराधों** में जल्द न्याय मिलेगा
- **ओवर-बर्डनड कोर्ट और लम्बित मामलों** के निपटान व्यवस्थित होगी
- कानून व्यवस्था से **कोलोनियल लिगेसी** को हटाया गया
- जेल में **ओवर-क्राउडिंग** कम होगी
- बिना विलम्ब के **न्याय मिलेगा**

# तीनों कानूनों की कुछ मुख्य विशेषताएं

डिजिटल रिकॉर्ड्स को वैधता देने से लेकर FIR और जजमेंट तक का डिजिटलीकरण।

सर्च व जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य।

फॉरेंसिक जाँच को बढ़ावा जिसमें 90% से अधिक दोषसिद्धि दर प्राप्त करने के लिए, पुलिस द्वारा जांच, अभियोजन और फोरेंसिक्स में सुधार का संकल्प।

पुलिस अधिकारी 90 दिन के भीतर पीड़ित को जांच की प्रगति की सूचना देंगे, जिसमें डिजिटल माध्यम से भी सूचना देना है।

घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान।

राजद्रोह को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया।

यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान एक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा।

अब गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान।

नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया।

भारतीय न्याय संहिता में पहली बार टेररिज्म की व्याख्या की गई है और यह दंडनीय अपराध होगा।

संगठित अपराध से संबंधित एक नई दांडिक धारा जोड़ी गई।

ई-FIR और जीरो FIR' के लिए प्रावधान।

छोटे-मोटे मामलों में समरी ट्रायल द्वारा प्रक्रियाओं को सरल और तेज किया जाएगा।

पहली बार, सजा के एक नए तरीके के रूप में कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत।

# मॉडल प्रिजन्स एक्ट, 2023 के लाभ

नए अधिनियम में कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और समाज में उनके पुनर्स्थापन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

नए कारागार अधिनियम में महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा

अदालतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी पहल आदि का प्रावधान

कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने, अच्छे आचरण को बढ़ावा देने के लिए पैरोल, फर्लो और समय से पहले रिहाई आदि करना

खूंखार और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज को बचाने का प्रावधान

जेलों में प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करने वाले कैदियों एवं जेल कर्मचारियों के लिए दण्ड

कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिक बनाकर समाज में उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना

कारागार प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा

उच्च सुरक्षा जेल, ओपन जेल (ओपन और सेमी ओपन), आदि की स्थापना एवं प्रबंधन के संबंध में प्रावधान

# केंद्र शासित प्रदेशों का विकास

## संघ राज्य क्षेत्रों की हमारी नीति

- संघ राज्य क्षेत्रों में फ्लैगशिप योजनाओं की 100% परिपूर्णता
- न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन
- सभी संघ राज्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस
- संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना और लागू करना, जो संघ राज्य क्षेत्र अपने लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं।

## संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली वितरण का निजीकरण

- दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में निजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और स्थानान्तरण योजना 01 अप्रैल 2022 से अधिसूचित की जा चुकी है।
- केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी 1 फरवरी 2025 से निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

## चंडीगढ़ के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के अनुरूप बनाना

- चंडीगढ़ के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवा के अनुरूप किया गया।

भारत सरकार का यह प्रयास है कि संघ राज्य क्षेत्रों को सुशासन एवं विकास का मॉडल और आर्थिक समृद्धि का नया पथ-प्रदर्शक (आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था) बनाया जाए।

- श्री अमित शाह (माननीय गृह मंत्री)

## दिल्ली में प्रशासनिक सुधार

- **दिल्ली नगर निगम का एकीकरण:** दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन व्यवस्था और बेहतर ढ़ंग से नागरिक सेवा प्रदान किए जाने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (GNCTD) (संशोधन) अधिनियम, 2021:** निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को और बेहतर ढ़ंग से परिभाषित करने और विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के उद्देश्य से, संशोधन अधिनियम लागू किया गया।
- सेवाओं से सम्बंधित मामलों में और पारदर्शिता लाने हेतु दिनांक 19 मई 2023 को GNCTD (Ammendment) Ordinance, 2023 लाया गया था, जिससे अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक प्राधिकरण गठित करने की व्यवस्था बनाई गई थी। अध्यादेश के प्रावधानों के आधार पर दिनांक 11 अगस्त 2023 को G N C T D (Ammendment) Act, 2023 को अधिसूचित किया गया है।

## दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय और विधि/विनियमों का विस्तार

- प्रशासन को सुगम बनाने और सुशासन को बढ़ावा देने तथा एकरुपता लाने के लिए उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम।
- The Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (Merger of Union Territories) Act, 2019 की धारा 19 के अनुसार सभी कानूनों के अनुकूलन/निरसन की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा यानी 26 जनवरी 2022 से पहले पूरी कर ली गई।

## सिलवासा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई

- 331 पदों के सृजन के लिए भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

## परफॉरमेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2021-22

- वर्ष 2021-22 से, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 लागू किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च ग्रेड (प्राचेस्टा-2) प्राप्त किया है। दिल्ली और पुडुचेरी ने प्राचेस्टा-3 ग्रेड प्राप्त किया है।

## दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2021 को कानून – व्यवस्था और अन्वेषण को पृथक करने का निर्णय लिया गया

- अन्वेषण की गुणवत्ता में सुधार लाने और मामलों का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया महत्त्वपूर्ण फैसला।
- संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय विजन 2047 के अनुरुप पाँच वर्षों की कार्य योजना बनाने के लिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में संघ राज्य क्षेत्रों का एक सम्मेलन 29 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विजन 2047 के अनुरुप संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका तय की गई है।
- 29 से 30 दिसंबर, 2022 तक NFSU, गांधीनगर में संघ राज्य क्षेत्रों एवं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा हेतु फोरेंसिक और सूचना संचार प्रणाली ऑडिट पर कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

# फ्लैगशिप योजनाएँ

सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 100% धन का अंतरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से।

चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में आज हर वयस्क का बैंक खाता है।

A&NI, चंडीगढ़, DNH&DD, पुदुचेरी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।

सभी केंद्र शासित प्रदेश संतृप्ति के करीब हैं

जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षित आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो चुके हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ प्रकार के एकल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को उनके नियमित मासिक NFSA खाद्यान्न के अतिरिक्त, और मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है, और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में फेयर प्राइस शॉप्स ऑटोमेटेड हैं। (चंडीगढ़ और पुदुचेरी में लाभार्थियों के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) आधारित सुविधा लागू की गई है।)

# नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन

- गृह मंत्रालय के आइकॉनिक इवेंट्स वीक (17 से 23 जनवरी, 2023) के दौरान, 'आजादी के अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत, नेताजी के जीवन से संबंधित स्थानों [कीथल्मनबी, मन्त्रिपुखरी और मोइरंग (मणिपुर ), कोहिमा (नागालैंड), हरिपुरा, बारडोली और सूरत (गुजरात), कटक (ओडिशा), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)] में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 को परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीपों का नामकरण किया गया।
- प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, अंडमान और निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक की घोषणा की गई।

# अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

## NDMC में कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण / स्थायीकरण

- नियुक्ति कानूनों में संशोधन द्वारा, NDMC में कार्यरत कर्मचारियों - 4408 रेगुलर मस्टर रोल वर्कर्स एवं करीब 63 चिकित्सकों का नियमिकरण / स्थायीकरण।

## विधायी कार्य

- **दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 अधिसूचित:** दिल्ली नगर निगम का एकीकरण।
- विगत वर्ष में 17 महत्त्वपूर्ण विनियम एवं आदेश प्रख्यापित एवं अधिसूचित किए गए।

## विकास कार्य

- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में 24x7 पैन-सिटी वॉटर सप्लाई परियोजना को मंजूरी दी गई।

# द्वीप क्षेत्र

## पर्यटन सुविधा को प्राथमिकता से खुल रहे प्रगति के द्वार

### नीति

- **इको टूरिज्म परियोजनाओं का विकास**
- **प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की शत-प्रतिशत संतृप्ति**
- **ऑल-टाइम हवाई कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना**
- **डिजिटल - ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी**
- **ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान पर फोकस**

### उपलब्धियाँ

**इको टूरिज्म परियोजनाओं का विकास**

## अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

- लालाजी बे बीच लॉन्ग आइलैंड, एवेस आइलैंड, स्मिथ आइलैंड और शहीद द्वीप में चार इको-टूरिज्म परियोजनाओं के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

## लक्षद्वीप

- लक्षद्वीप में मिनिकॉय, कदमत और सुहेली द्वीपों में तीन इको-टूरिज्म परियोजनाओं को PPP मोड पर विकसित करने के लिए इसे मंत्रालय ने अनुमोदन दिया है।
- इसके पश्चात 27 जुलाई 2022 को लक्षद्वीप प्रशासन ने कदमत एवं सुहेली में ईको टूरिज्म परियोजनाओं के लिए कार्यादेश IHCL (ताज) को जारी कर दिया है।
- इन परियोजनाओं में भारत के पहले Water Villas शामिल होंगे। यह पहल लक्षद्वीप में high end low volume sustainable eco-tourism को बढ़ावा देने पर लक्षित है। यह एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकता है।

## डिजिटल/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैटेलाइट बैंडविड्थ को 2.118 GBPS से 4 GBPS तक बढ़ाया गया है।
- कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीपसमूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना (KLI प्रोजेक्ट): कुल 1072 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना लक्षद्वीप के सभी आबादी वाले द्वीपों पर लगभग 100 GBPS की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
- चेन्नई अंडमान निकोबार द्वीप समुक (CANI) ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना: 1224 करोड़ की लागत के साथ पोर्ट ब्लेयर को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली CANI परियोजना की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2018 को रखी गई थी। 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया।
- CANI के शुरु होने के साथ साथ BSNL द्वारा दी जाने वाली घरेलू सेवाओं में स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, लिटिल अंडमान और उत्तरी व मध्य अंडमान जिले सहित दक्षिणी अंडमान जिले में काफी सुधार हुआ है। यह परियोजना वर्तमान में CANI से चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के लिए उपलब्ध बैंडविड्थ 200 GBPS और द्वीपों के बीच 100 GBPS की कनेक्टिविटी देती है।
- लक्षद्वीप में सैटेलाइट बैंड विडथ को 31 MBPS से बढ़ाकर 1.71 GBPS कर दिया गया है।

# ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान का समग्र विकास:

### 3 एंकर परियोजनाएं

- इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICCT)
- एयरपोर्ट
- टाउनशिप परियोजना (पॉवर प्लांट सहित)

# वैकल्पिक हवाई अड्डों का विकास और प्रचालन

## अंडमान निकोबार

- पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 18 जुलाई 2023 को किया गया। लगभग 710 करोड़ की लागत से बनाई गई इस टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता 50 लाख यात्री प्रतिवर्ष है।
- 19 सीटों वाले फिक्ष्ड विंग विमान का संचालन श्री विजयपुरम से शिबपुर, श्री विजयपुरम से कार निकोबार और कार निकोबार से कैंपबेल बे जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा।
- शिबपुर हवाई अड्डे पर बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ और निर्माण गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं और परिचालन के लिए तैयार हैं।
- कार निकोबार हवाई अड्डे पर निर्माण गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं और कैंपबेल बे हवाई अड्डे पर प्रगति पर हैं।
- मेसर्स स्पाइसजेट को उपरोक्त तीनों क्षेत्रों के लिए एयरलाइन ऑपरेटर के रूप में चुना गया है।

## पोर्ट ब्लेयर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

- AAI द्वारा नियुक्त मैसर्स राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण परिषद (NEPC) ने 22 दिसम्बर 2021 को बिओदनाबाद, बिंब्लिटन और रंगाचांग गांव में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की साइट का आवश्यक एरियल लाईडर (LIDAR) सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

## ग्रेट निकोबार द्वीप में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

- AAI ने हवाई अड्डे के लिए एरोनॉटिकल स्टडी पूरा कर लिया है तथा हवाई अड्डे को फिजीबल पाया गया है। इसके अतिरिक्त, AAI हवाई अड्डे के लिए DPR तैयार करने का कार्य कर रहा है।

## कार निकोबार में सिविल एन्क्लेव

- RCS UDAN के तहत, कार निकोबार हवाई पट्टी को फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट के परिचालन हेतु सिविल एन्क्लेव के विकास के लिए चिन्हित किया गया है।

## लक्षद्वीप

- **अगत्ती हवाई अड्डे का उन्नयन**
  अगत्ती हवाई अड्डे के उन्नयन हेतु इस मंत्रालय के सैद्धांतिक अनुमोदन के पश्चात्, AAI द्वारा परियोजना के लिए DPR तैयार कर ली गयी है।AAI ने 21 दिसम्बर 2022 को DPR को अन्य सभी हितधारकों के साथ समन्वय करने और AAI को अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करने के अनुरोध के साथ UT प्रशासन को प्रस्तुत किया है।
- **मिनिकॉय में हवाई पट्टी**
  इस मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात् मिनिकॉय में हवाई पट्टी की व्यवहार्यता का अध्ययनAAI द्वारा तैयार कर ली गयी है। AAI ने DPR 20 दिसम्बर 2022 का अन्य सभी हितधारकों के साथ समन्वय करने और AAI को अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करने के अनुरोध के साथ UT प्रशासन को प्रस्तुत किया है।

# प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की शत-प्रतिशत संतृप्ति

## 11 प्रमुख फ्लैगशिप/कल्याणकारी/विकास योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरी तरह लागू:

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
- सिंगल यूज़ प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग (अधिसूचना जारी की गई)
- डीबीटी (इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से फंड ट्रांसफर)
- स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों की स्थापना
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) (कार्यान्वयन शुरू)
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) (चरण VI)
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (एलपीजी कवरेज)
- सौभाग्य योजना
- भारत नेट
- संघ राज्य क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

## (सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं द्वारा द्वीप क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार)

मोदी जी ने अंडमान-निकोबार के 21 द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र से सम्मानित जवानों के नाम पर रखकर 21 दीप जलाने का काम किया है, जो सदैव राष्ट्रभक्ति की लौ को जलाये रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को इन जवानों की वीरगाथा सुनाते रहेंगे।

- श्री अमित शाह (माननीय गृह मंत्री)

# नागरिकता

दशकों से लंबित मुद्दे को निपटाकर धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों के साथ न्याय

## नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

**नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019**, 10 जनवरी 2020 को लागू होते ही अधिनियम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित उन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में मदद मिल रही है, जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़न या ऐसे उत्पीड़न के डर के कारण भारत में शरण लेने के लिए विवश थे।

जो **31 दिसंबर, 2014** तक वैध दस्तावेजों के बिना या वैध दस्तावेजों, जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी, के **साथ भारत में प्रवेश कर** चुके हैं।

इन देशों के पूर्वोक्त 6 समुदायों से संबंधित सभी प्रवासियों के संबंध में, **देशीकरण के लिए निवास की अवधि 12 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दी** गई है।

अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में **ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लंबित कोई भी कार्यवाही उन्हें नागरिकता प्रदान** करने पर समाप्त हो जाएगी।

## अन्य निर्णय

- भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए धारा 5 या धारा 6 के तहत नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान करने की केंद्र सरकार की शक्तियों को अब अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के संबंध में, 31 जिलों और 9 राज्यों को सौंप दी गई है।

धार्मिक प्रताड़नाओं से और अपने परिवार की जान व इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर भारत में आए हमारे भाइयों-बहनों की दशकों की आस को मोदी जी ने पूर्ण कर उन्हें अधिकार व सम्मान देने का काम किया है। CAA से उनके जीवन में एक नया सवेरा आया है।

- श्री अमित शाह (माननीय गृह मंत्री)

# वीज़ा प्रक्रिया

तकनीक युक्त सत्यापन, प्रक्रिया हुई सरल, आसान हुआ विदेश जाना

## मुख्य नीतिगत निर्णय

### विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम: पूर्व-सत्यापित अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को त्वरित आव्रजन मार्ग प्रदान करना।

- विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम को 2023 तक दिल्ली और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पायलट आधार पर शुरू किया गया।
- 2027 तक **15 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों** और **2032 तक शेष हवाई अड्डों और प्रमुख बंदरगाहों** को कवर करने का उद्देश्य।
- **ई-गेट्स की स्थापना:** आईजीआई विमानपत्तन, नई दिल्ली में पायलट आधार पर 2 ऐरे ई-गेट्स, आगमन और प्रस्थान के लिए एक-एक।

### भारतीय वीजा व्यवस्था का उदारीकरण:

- वीज़ा की मुख्य श्रेणियों की संख्या 26 से घटाकर 21 कर दी गई और वीज़ा की उप-श्रेणियों की संख्या 104 से घटाकर 65 कर दी गई।

### सु-स्वागतम (भारत यात्रा) मोबाइल ऐप का शुभारंभ

- भारत में वीजा संबंधी सेवाएँ और अन्य प्रासंगिक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध
- सु-स्वागतम् (भारत यात्रा) के नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया जिसे 60 देशों के नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है।
- अब सु-स्वागतम् (भारत यात्रा) मोबाइल ऐप का नाम बदलकर ऑफिशियल ऐप इंडियन वीजा सु-स्वागतम् रख दिया गया है।

### वीजा मैनुअल को अद्यतन करना

## आप्रवासन, वीजा और विदेशियों का पंजीकरण तथा ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) परियोजना:

- देश भर में 12 एफआरआरओ और 704 एफआरओ में केंद्रीकृत विदेशी पंजीकरण कार्यालय मॉड्यूल (ई-एफआरआरओ) लागू किया गया है।
- अब तक यह विदेशों में 184 भारतीय मिशनों में लागू हो गया है।
- यह सिस्टम अब 108 आईसीपी में प्रचालन में है।

## इलेक्ट्रोनिक वीजा (ई-वीजा) और वीजा-ऑन-अराइवल की शुरुआत:

- विदेशी नागरिकों को ई-वीजा के द्वारा सुगम प्रवेश प्रदान करने में मदद।
- मार्च, 2020 में कोविड -19 महामारी के कारण ई-वीजा के निलंबन से पहले, 171 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा पांच उप-श्रेणियों अर्थात ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा और ई-कॉन्फ्रेंस वीजा के तहत उपलब्ध था, कोविड-19 महामारी के दौरान ई-वीजा सुविधा निलंबित रखी गई थी। बाद में, इन 171 देशों में से 166 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा बहाल कर दी गई।
- व्यापार, पर्यटन, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए वीजा-ऑन-अराइवल (वीओए) सुविधा जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों को दी गई है।

# वीज़ा प्रक्रिया से जुड़े आँकड़े

बहु-प्रवेशों के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए ई-टूरिस्ट वीजा शुरु किया गया है।

बेलारुस, बेनिन, इक्टोरियल (गुयाना) और टोगो को उन देशों की सूची में शामिल किया गया है, जिनके नागरिक पारस्परिक आधार पर ई-वीजा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, इससे ई-वीजा सुविधा प्राप्त देशों की कुल संख्या 171 हो गई थी।

वर्तमान में 166 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है।

60 देशों के नागरिकों के लिए सु-स्वागतम् मोबाइल एप शुरु की गयी।

15.03.2022 से ई-टूरिस्ट वीजा (1 माह, 1 वर्ष एवं 5 वर्ष) और रेगुलर टूरिस्ट वीजा (5 साल/10 साल) विदेशी नागरिकों के लिए फिर से शुरु किया गया।

पर्यटक /ई-पर्यटक वीजा का विस्तार (एक बार में दो महीने मुफ्त के आधार पर), ओवरस्टे पेनल्टी की छूट और एक्जिट परमिट यूक्रेन और रूस के नागरिकों को सद्भावना के रूप में मुफ्त प्रदान किए गए।

अफ़ग़ान नागरिकों के लिए असामान्य राजनितिक परिस्थितियों के मद्देनज़र e-Emergency X-Misc वीजा अगस्त, 2021 से शुरु किया गया।

एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 123 नए पीक खोले गए (विदेशी नागरिकों को ट्रैकिंग/पर्वतारोहण के लिए वीजा प्राप्त करने हेतु उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में खोले गए)।

व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी व्यक्तियों / कंपनियों / संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों के लिए ई-कॉन्फ्रेंस वीज़ा शुरु किया गया है।

अटारी (आईसीपी अटारी) से भारत-पाकिस्तान भूमि सीमा के माध्यम से भारतीय नागरिकों, पाकिस्तानी नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों के संबंध में आवागमन की सुविधा के संबंध में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) व्यवस्था में छूट को 5 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2027 तक के लिए बढ़ाया गया।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) व्यवस्था में छूट को आगामी 5 वर्षों अर्थात दिनांक 01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2027 तक के लिए बढ़ाया गया।

## वीज़ा विंग: 01-06-2019 से 28-02-2022 के बीच क्लीयर किए गए मामले

**पीआरसी मामले** (Prior Referral Category)
**95119**
(upto 28 फरवरी 2022)

**ई-एफआरआरओ मामले**
(E- Foreign Regional Registration Offices)
**16013**

# एफ.सी.आर.ए

बेहतर अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही

## विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020

- यह संशोधन विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग की प्रभावी निगरानी में मदद करेंगे
- बेहतर अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ-साथ घोषित और वैध उद्देश्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए
- नामी / फर्जी संगठनो की संभावना को समाप्त
- विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध
- सभी प्रमुख पदाधिकारियों के आधार संख्या का प्रावधान। पदाधिकारियों की सटीक पहचान सुनिश्चित होगी
- प्रशासनिक व्यय सीमा को 50% से घटाकर 20% कर दिया गया है जिससे अनुत्पादक मदों जैसे बढ़े हुए कर्मचारियों के वेतन, आलीशान भवनों और कार्यालय,शानदार वाहनों आदि पर खर्च कम होगा
- SBI की मुख्य शाखा, नई दिल्ली में एफसीआरए (FCRA) खाता खोलना अनिवार्य

## अन्य सुधार

- पंजीकृत एसोसिएशनों को अपने पदाधिकारियों/मुख्य पदधारियों को बदलने पर संबंधित ब्यौरों के डाटा को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अद्यतन करना जरुरी।
- गैर सरकारी संगठनों को विदेशी अभिदाय पंजीकरण के स्वैच्छिक समर्पण की सुविधा दी गयी।
- प्रत्येक FCRA पंजीकृत NGO/एसोसिएशन के लिए निर्धारित समय के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

## FCRA पंजीकरण, नवीनीकरण और पूर्वानुमति के आवेदनों के निपटान का पूरा ब्योरा (1 जून 2014 से 31 मई 2025)

| क्र.सं. | सेवा | प्रदान की गई | अस्वीकृत | बंद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पंजीकरण | 659 | 3139 | 53 |
| 2 | नवीनीकरण | 9337 | 999 | 82 |
| 3 | पूर्वानुमति | 83 | 323 | 11 |
| 4 | आतिथेय | 6807 | 590 | 601 |
| | कुल | 22684 | | |

| मामलों की प्रकृति | कुल संख्या |
|---|---|
| निलम्बित या रद्द किए गए गैर-सरकारी संगठन | निलम्बित - 55 \| रद्द - 1827 |
| आदेशित अभियोजन/अन्वेषण | 05 |
| अपराध के लिए प्रशमन (Compounding of FCRA offence) | 227 |
| पंजीकृत संघों का निरीक्षण / लेखापरीक्षा [Inspection / audit of FCRA registered association] | 420 |

# वृक्षारोपण अभियान

## पर्यावरण संरक्षण का अचूक अभियान

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अनुसार हम भारतवासियों का सम्बन्ध एक ऐसी संस्कृति से है जिसमें प्रकृति से समरसता हमारी सोच के केंद्र में है। जनवरी 2020 में माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने केन्द्रीय सशत्र पुलिस बलों के सहयोग से वृक्षारोपण का प्रकल्प बनाया। इस प्रकल्प में प्रति वर्ष एक करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया।

## अभियान की विशेषताएँ

- लगाए जाने वाले पेड़ देशी किस्मों के हैं जो साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं, जैसे नीम, इमली, पीपल, शीशम, बरगद आदि।
- पेड़ों की आयु 10 वर्ष से 100 वर्ष की है।
- वृक्षारोपण अभियान में माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने स्वयं देश के विभिन्न हिस्सों में जा कर भाग लिया और सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया। माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी द्वारा रोपित वृक्षों के स्वस्थ विकास की जिम्मेदारी संबंधित कमांडिंग ऑफिसरों को सौंपी गई, जिसकी नियमित जानकारी वे स्वयं लेते हैं।

> पेड़-पौधों की पूजा करना, मौसम, ऋतुओं को व्रत और त्यौहार के रुप में मनाना, लोरियों-लोकगाथाओं में प्रकृति से रिश्ते की बात करना, हमने प्रकृति को हमेशा सजीव माना है, सहजीव माना है।
>
> **श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)

## लक्ष्य से ज्यादा वृक्षारोपण

**2020**
**1,47,38,040** पौधे
+
**2021**
**1,07,21,245** पौधे
+
**2022**
**1,01,24,333** पौधे
+
**2023**
**1,54,20,567** पौधे
+
**2024**
**1,00,88,370** पौधे
=
कुल **6,10,92,555** पौधें

# माननीय गृह मंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण अभियान

| दिनांक | स्थान | वृक्ष प्रजाति |
|---|---|---|
| 1 मार्च, 2020 | कोलकाता | आम |
| 12 जुलाई, 2020 | गुरुग्राम | पीपल |
| 25 जुलाई 2021 | सोहरा, चेरापूंजी | पिपली |
| 17 सितम्बर 2021 | मुद्खेद, नांदेड | पीपल |
| 26 अक्तूबर 2021 | लेथपोर, जम्मू कश्मीर | रुद्राक्ष |
| 06 मई 2022 | तिनबिघा कोरिडोर, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल | आम |
| 24 सितम्बर, 2022 | किशनगंज, बिहार | नीम |
| 18 अगस्त, 2023 | ग्रुप केंद्र, CRPF, ग्रेटर नोएडा, यूपी | पीपल |

- इस अभियान में कार्बन सिक्वेसट्रेशन का विशेष ध्यान रखा गया।
- **सोहरा चेरापूंजी वृक्षारोपण:** वर्ष 2021 के दौरान असम राइफल्स द्वारा चेरापूँजी क्षेत्र को गोद लेकर सोहरा पठार को दोबारा हरा-भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है। तीन वर्षों में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 1 मिलियन पौधे लगाने का अभियान है।

## आगे की कार्ययोजना

- केन्द्रीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों को निर्देश दिया गया है कि 4 वर्षों के अभियान के दौरान रोपित पौधों के विकास की समीक्षा नियमित रूप से करें।
- वृक्षारोपण अभियान में शामिल पौधरोपण टीमें (Green Warriors) लगातार इन पौधों की देखभाल कर रहे हैं। यदि कोई रोपित पौधा किसी कारणवश क्षतिग्रस्त या सूख जाता है तो उसके स्थान पर नया पौधा लगाया जाता है।
- जब तक ये पौधे पूर्णतया विकसित पेड़ का आकार नहीं ले लेते और आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक इन पौधों के रख-रखाव और देखभाल के लिए टीमवार जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

हमें प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करना चाहिए शोषण नहीं। अंधाधुंध विकास के कारण ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने आज दो ऐसे खतरे बन गए हैं जिसके बाद किसी भी देश को अन्य दुश्मन की जरुरत ही नहीं है। पर्यावरण को बचाने के लिए आज वृक्षारोपण ही एक मात्र रास्ता है।

**श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)

# पुलिस प्रशिक्षण एवं सम्मान

शिक्षण, शोध, संबल, सहयोग और सुरक्षा से पुलिस प्रणाली में बेहतरी के प्रयास

## राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना

- **उच्च गुणवत्तावाली प्रशिक्षित जनशक्ति की बढ़ती** आवश्यकता के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय(RRU) की स्थापना की है।
- **RRU एक शिक्षण, अनुसंधान और संबद्धता वाला विश्वविद्यालय**
- **पुलिस, आपराधिक न्याय और सुधारात्मक प्रशासन के विभिन्न विंग्स में विशेष ज्ञान और नए कौशल सेट करेगा।**

## सैनिक कल्याण के कदमः

- **हमारे जवानों को आयुष्मान बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता**
- **तीन प्रमुख चुनौतियों पर समयबद्ध रणनीति के तहत काम**

## चुनौती

- **जवानों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार**
- **हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाना**
- **ड्यूटी के दौरान सुविधा**

# जवानों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

- मोदी सरकार ने 11 वर्षों में जवानों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान CAPF कार्ड दिया है।
- दिसम्बर 2024 तक लाभार्थियों को कुल 41,21,443 आयुष्मान CAPF कार्ड वितरित किये गये हैं।
- इस योजना के तहत सूचीबद्ध 33,872 आयुष्मान CAPF अस्पताल केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लाभार्थियों को कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान कर रहें है।
- जून 2025 तक कुल ₹4,460 करोड़ रुपए के 26,19,667 दावे प्राप्त हुए, जिसमें से 19,44,026 दावों का भुगतान (₹2157.30 करोड़) किया जा चुका है तथा शेष प्रक्रिया में है।
- CAPF लाभार्थियों के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल एप्लिकेशन 'आयुष्मान CAPF' लॉन्च किया गया।

# हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाना

- मोदी सरकार द्वारा 2025-26 तक हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को 59.02% तक बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर घरों का निर्माण किया जा रहा है।
- वर्ष 2024-25 के लिए 5608 क्वार्टरों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें 1720 क्वार्टर 31 मार्च 2025 तक बन चुके हैं व अन्य 2025-26 के दौरान बन जाएँगे।
- हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो बढ़ाने के लिए 2021 से 2026 तक कुल 28546 घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में आवास आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए CAPF e-Awas नाम से एक वेब-पोर्टल विकसित किया गया है।

CAPF e-Awas वेब-पोर्टल पर पंजीकरण का विवरण:

| विवरण | 01 सितम्बर, 2022 से 2 जून 2025 तक |
|---|---|
| e-Awas वेब-पोर्टल पर कुल पंजीकरण | 6,52,981 |
| कुल प्राप्त आवेदन पत्रों कि संख्या | 2,58,441 |
| कुल आवंटित आवासों कि संख्या | 1,18,663 |
| आवेदकों द्वारा स्वीकार किये गये आवासों की संख्या | 94,817 |
| इंटरफोर्स आवंटन | 1026 |

आज अपराध की दुनिया में कई नये आयाम जुड़ गये हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए देशभर की पुलिस को एकवाक्यता और एक-दूसरे के साथ सामंजस्य से काम करना होगा।

- श्री अमित शाह (माननीय गृह मंत्री)

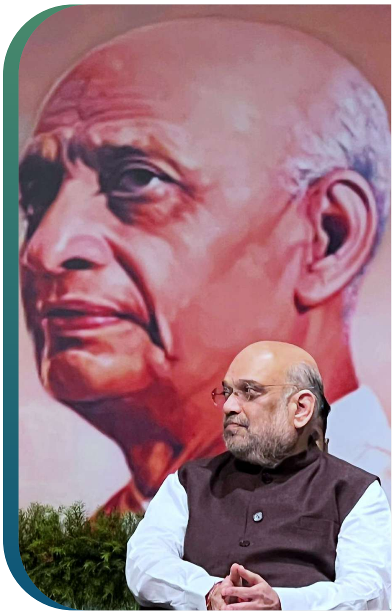

# ड्यूटी के दौरान सुविधा

जवानों की ड्यूटी के बोझ को कम करने और उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने की अवधि को बढ़ाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है।

- मोदी सरकार ने हर जवान को अपने परिवार के साथ हर साल कम से कम 100 दिन बिताने की व्यवस्था बनाई है।
- अगस्त-2019 में, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी रैंकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 57 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है।
- शिकायत निवारण के लिए WARB द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है।
- सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के कर्मियों का जोखिम और कठिनाई भत्ता बढ़ा दिया गया है।
- कश्मीर घाटी में तैनात CAPF के कार्मिकों को मूल वेतन के 16% की दर से अतिरिक्त एचआरए प्रदान किया गया है, जिसे अब डीओपीटी के दिनांक 24.02.2025 के आदेश के तहत 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।

# अन्य सुधार

**स्थानीय भाषाओं में भर्ती :**

- सामान्य ड्यूटी कैडर में **2,87,434** CAPF और AR कर्मियों की भर्ती (कांस्टेबल/SI/AC में सीधी भर्ती) कुल 57,687 (CT/GD परीक्षा, 2025-53,690, SI/GD परीक्षा) के लिए प्रक्रिया चल रही है।
- वहीं कुल 54,318 (कांस्टेबल 50187 + सब-इंस्पेक्टर 3960 + असिस्टेंट कमांडेंट 171) रिक्तियों की परीक्षा प्रक्रिया चल रही है।
- **पांच साल (2022-2026) के लिए वार्षिक आधार पर** कॉन्स्टेबल (जीडी) परीक्षा को आयोजित करने के लिए **एस.एस.सी. और गृह मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- अधूरी रिक्तियों को भरने के लिए कॉन्स्टेबल (जीडी) परीक्षा, 2021 और भविष्य की कॉन्स्टेबल (जीडी) परीक्षाओं में पीईटी/पीएसटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक कम कर दिए गए हैं।
- कोविड के दौरान समय की हानि के लिए कांसटेबल (जीडी) 2022 और 2023 परीक्षा की भर्ती में एकमुश्त उपाय के रूप में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है।

### एन.सी.सी. कैडेटों को रोजगार में प्रोत्साहन –

- **एसआई (जीडी) और कांस्टेबल (जीडी) की भर्ती में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को बोनस** अंक:-
    - सी सर्टिफिकेट धारक के लिए 5%
    - बी सर्टिफिकेट धारक के लिए 3%
    - ए प्रमाण पत्र धारक के लिए 2%

### पी.ई.टी. के लिए उपस्थित होने वाली महिला उम्मीदवारों के हितों की रक्षा –

- 2021 में, **पी.ई.टी. के समय गर्भवती होने पर महिला उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के प्रावधान को निरस्त** कर दिया गया।
- उनकी नियुक्ति अब **प्रेगनेंसी के पूरा होने और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी.ई.टी.) के लिए पुन: परीक्षा तक स्थगित** कर दी गई है।
- पीईटी में, यदि फिट पाए जाते हैं, तो उन्हें वरिष्ठता के लाभ के साथ उसी पद पर नियुक्त किया जाता है।

### केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (के.पी.के.बी.) (सी.एस.डी. की तर्ज पर) –

- **119 मास्टर कल्याण भंडार और 1810 सहायक कल्याण भंडार वर्तमान** में कार्य कर रहे हैं।
- वित्त वर्ष **2024-25 के लिए कारोबार ₹2790 करोड़** था।
- KVIC: वर्तमान में **के.वी.आई.सी. के 32 उत्पाद के.पी.के.बी. के माध्यम से बेचे जा रहे हैं।** दिनांक 31 मार्च 2025 तक के.वी.आई.सी. उत्पादों की कुल ₹**75,13,865/- बिक्री** हुई।
- केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को 1 जून 2020 से केंद्रीय पुलिस सशस्त्र स्टोर में **केवल स्वदेशी वस्तुएं बेचने का निर्देश दिया गया है।**
- 1 अप्रैल 2024 से केपीकेबी लाभार्थियों को **50% जीएसटी रियायत** दी गई है

### 'सी.ए.पी.एफ. पुनर्वास'-सेवानिवृत्त सी.ए.पी.एफ. और असम राइफल्स कर्मियों के पुन: रोजगार की सुविधा-

- के लिए **'सी.ए.पी.एफ. पुनर्वास' ई-प्लेटफॉर्म शुरू किया गया** है।
- **सेवानिवृत्त कार्मिक विशेषज्ञता के क्षेत्र और पसंदीदा स्थान** के साथ अपने **व्यक्तिगत विवरण वेबसाइट पर अपलोड** करने का प्रावधान है।

### अनुग्रह राशि में वृद्धि-

| | |
|---|---|
| एक्शन में मौत/हाई एल्टीट्यूड | ₹15 लाख से ₹35 लाख |
| ड्यूटी पर मौत | ₹10 लाख से ₹25 लाख |
| दिव्यांगता | ₹9 लाख से ₹20 लाख तक |

### अनुग्रह राशि साझा करना-

- वर्ष 2021 में सरकारी सेवक द्वारा दिए गए नामांकन के आधार पर आश्रितों और सभी पात्र आश्रितों (माता-पिता सहित) के बीच अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के बंटवारे का प्रावधान पेश किया गया।

### सी.ए.पी.एफ. के लिए बुनियादी ढाँचा

- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और दिल्ली पुलिस की निर्माण परियोजनाओं की निरंतरता के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए ₹21661.03 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
- वर्ष 2015 के दौरान सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए ₹3090.98 करोड़ की अनुमानित लागत से 13072 घरों और 113 बैरकों के निर्माण को मंजूरी दी है। जिनमें से दिनांक जून 2023 तक 10925 मकान बन चुके है, 1934 मकान निर्माणाधीन हैं। साथ ही 711 बैरेक बन चुके हैं एवं 04 का कार्य प्रगति पर है।
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने वर्ष 2024-25 के लिए 06 अस्पतालों का निर्माण दिनांक मार्च 2025 तक कर दिया गया है। साथ ही वर्ष 2024-25 के लिए कुल 12 अस्पतालों का लक्ष्य रखा गया है।
- **सुरक्षा बल में महिलाओं को भी भर्ती किया जा** रहा है और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए **124 महिला बैरक तैयार की गई है तथा 109 महिला बैरकों के निर्माण का कार्य प्रगति** पर है। इसके अलावा **443 महिला बैरक और बनाने पर गृह मंत्रालय में विचार किया** जा रहा है।
- सीमा सुरक्षा **बल की 135 सीमा चौकियाँ जिनमें 03 एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध** है उन्हें **समग्र सीमा चौकी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा** है।
- जो **आवास या संरचनाएँ 20 वर्ष से पुरानी हो गई** है उनका **नवीनीकरण किया जा** रहा है,
- सीमा चौकियों पर **बिजली की व्यवस्था एवं सौर ऊर्जा प्रणाली की भी व्यवस्था** कराई जा रही है।
- मई, 2019 से जुलाई, 2023 तक 1968.18 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹1046 करोड़ और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स और एन.एस.जी. के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए ₹5263.66 करोड़ की राशि स्वीकृत/व्यय की गई है।
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और एन.एस.जी. के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनलों की स्थापना की प्रक्रिया गतिमान है।

### बल कार्मिकों के रोटेशनल स्थानान्तरण में सॉफ्टवेयर का उपयोग

- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राईफल्स द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने और स्थानांतरण संबंधी शिकायतों को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित।
- स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए जाते हैं, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम।
- सभी बलों के अन्य कार्मिक एवं अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर पर इसे लागू कर दिया गया है। दिसम्बर, 2022 तक लगभग 85 प्रतिशत स्थानांतरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये गये है।

## ई-अपार/स्पैरो का परिचय: एपीएआर की देरी और निर्बाध फाइलिंग को कम करने के लिए।

- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों द्वारा एपीएआर की फाइलिंग में होने वाली देरी को कम करने के उद्देश्य से सभी बलों को ई-अपार की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया था। जिसे सभी बलों द्वारा राजपत्रित अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के संबंध में कार्यान्वित किया जा चुका है।

## प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS)-

- प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत **सेवारत एवं पूर्व- कर्मियों की बच्चियों के लिए ₹3000/- प्रति माह और बच्चों के लिए ₹2500/- प्रति माह जारी** किए जाते हैं।
- प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत **मौजूदा 42 कोर्सों के अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 2020-21 से 80 नये प्रोफेशनल/टेक्निकल डिग्री कोर्सों को शामिल** किया गया है।
- यह **छात्रवृत्ति शहीदों के बच्चों और विधवाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स** के कर्मियों के लिए है जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं।
- 2019 से, PMSS को राज्य के **पुलिस अधिकारियों के बच्चों के लिए भी विस्तारित किया गया** है जो **आतंकी/नक्सल हमलों के दौरान** शहीद हुए हैं।

## 'भारत के वीर' से निधि-

- "भारत के वीर' एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आम जनता को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स एवं एनएसजी के शहीदों/कोरोना योद्धाओं के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु सुविधा प्रदान करता है।
- 'भारत के वीर' पोर्टल/ निधि से शहीदों के परिजनों, कोरोना योद्धाओं, विवाहित शहीदों के माता-पिता, ड्यूटी के दौरान घायल होने के कारण सेवा से बाहर किए गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राईफल एवं एनएसजी कर्मियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- दिनांक 18 अगस्त 2023 तक 'भारत के वीर' पोर्टल निधि से (598 शहीदों/कोरोना योद्धाओं के परिजनों को) ₹78.68 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है एवं अब तक कुल ₹450.91 करोड़ का अंशदान प्राप्त किया गया है।

## हवाई कूरियर सेवाएँ-

- सुदूरवर्ती क्षेत्रों से छुट्टी/अस्थायी ड्यूटी आदि के **दौरान कर्मियों को यात्रा के लिए 7 विभिन्न मार्गों पर हवाई कूरियर सेवाओं** को दैनिक/साप्ताहिक आधार पर प्रदान किया गया है।

## केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (KPKB)-

- वर्तमान में 119 मास्टर भंडार और 1748 सहायक भंडार कार्यरत हैं। 1 जून 2020 से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस भंडार में केवल स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री का निर्देश है।

## वृक्षारोपण-

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा वर्ष 2020 से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत, वर्ष 2020 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा 1,47,38,040 पौधे, वर्ष 2021 में 1,07,21,245 पौधे एवं वर्ष 2022 में 1,01,24,333 पौधे तथा 2023 (22 अगस्त 2023 तक) में 45,56,506 पौधे (**कुल 4,01,40,124 पौधे**) लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त बलों द्वारा 1447 वाटिकाएँ बना कर शहीदों के नाम पर समर्पित की गई हैं।

# दिल्ली पुलिस

## राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के अग्रदूत

**दिल्ली पुलिस के कार्यबल में वृद्धि** **कार्मिक क्षमता में निरंतर वृद्धि**

| संकेतक | 2014 | 2022 | अगस्त 2023 तक |
|---|---|---|---|
| दिल्ली पुलिस की कुल स्वीकृत कार्मिक क्षमता | 84,536 | 94,358 | 94,254 |
| दिल्ली पुलिस की कुल वर्तमान कार्मिक क्षमता | 77,479 | 78,630 | 81,180 |
| दिल्ली पुलिस में महिलाओं की कुल संख्या | 5,713 | 10,215 | 12,077 |
| वर्तमान कार्मिक क्षमता में महिलाओं का प्रतिशत | 7.4% | 13% | 15.02% |

**दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरे की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई**

| संकेतक | 2006 | 2014 | 2022 | अगस्त 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे | 321 | 1,696 | 10,311 | 15,439 |

**दिल्ली पुलिस के वाहन बेड़े में वर्ष 2006 से 2022 तक तेजी से वृद्धि देखी गई**

| संकेतक | 2006 | 2014 | 2022 | अगस्त 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| वाहन | 3,763 | 6,636 | 9,095 | 9,880 |

- दिल्ली पुलिस के लिए **10,997 वाहन (6553 + मार्च, 2020 में स्वीकृत अतिरिक्त वाहन 4444 )** प्राधिकृत हैं।
- अतिरिक्त स्वीकृत **4444** वाहनों में से अब तक, **3327** वाहनों की खरीद हेतु स्वीकृति दिल्ली पुलिस को दी जा चुकी है|

# दिल्ली पुलिस में पदों का सृजन

**वर्ष 2014-2025 के दौरान, दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल से निरीक्षक तक के कुल 9,813 पद, निम्नलिखित विवरण के अनुसार सृजित किए गए-**

- कानून और व्यवस्था के कार्यों से अपराध जाँच को अलग करने के लिए 4,227 पद।
- पुलिस जिलों/ पुलिस उप-प्रभागों / पुलिस थानों के लिए 3,139 पद।
- पुलिस थानों और पुलिस चौकियों सहित दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए 2,446 पदों का सृजन किया गया।

**वितीय सलाहकार का एक पद सृजित किया गया।**

# भर्ती मिशन

इस अभियान में, सीधी भर्ती के तहत **6,354 नियुक्ति पत्र** जारी किए जा चुके है एवं **8823 कर्मचारियों** (निरीक्षक से कांस्टेबल) की पदोन्नति 2021 से जुलाई 2023 के दौरान हुई।

# विशेष रिफॉर्म

दिल्ली पुलिस कार्य योजना-2024 के तहत बारह समितियों का गठन किया गया।

इन समितियों ने एक रोड मैप भी प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, आगे की परिप्रेक्ष्य योजना-2030 सह दशकीय योजना तैयार की गई है।

सभी जिलों में कानून और व्यवस्था को अन्वेषण से अलग किया गया।

कानून और व्यवस्था को अन्वेषण से अलग करने के प्रभाव आकलन का अध्ययन स्वतंत्र टीमों द्वारा किया गया।

पीसीआर यूनिट को पहले की तरह पृथक यूनिट बनाया गया।

प्रशिक्षण को एक अलग वर्टिकल में विशेष सीपी/प्रशिक्षण के अंतर्गत एक विशेष वर्टिकल के रूप में लाया गया है।

पुलिस में परसेप्सन मैनेजमेंट विभाग बनाया गया है।

अलग से एक वेलफेयर विभाग बनाया गया है।

दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 'ईट राइट योजना': पुलिस कैन्टीनों में संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है।

# अन्य रिफार्म

- अपराध और नागरिक सेवाओं की रिपोर्टिंग में आसानी
- मैनुअल कार्रवाई के बिना मोटर वाहन और अन्य चोरी के मामलों के लिए e-FIR का ऑनलाइन पंजीकरण
- साइबर अपराध की शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण
- साइबर अपराध रिपोर्टिंग सुविधा संख्या 1930
- आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (ERSS) 112
- 24x7 सार्वजनिक सुविधा डेस्क
- सभी पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क
- 50 पुलिस स्टेशनों (12 जिलों में) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 44 संवेदनशील स्थानों पर 6630 CCTV कैमरे लगाना और चालू करना

जो समय के साथ खुद को नहीं बदलते समय और चुनौतियाँ उनसे आगे निकल जाती हैं। हमें गर्व है कि दिल्ली पुलिस ने समय के साथ-साथ भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को बदला है और तैयार भी किया है।

- श्री अमित शाह (माननीय गृह मंत्री)

# दिल्ली पुलिस का सशक्तीकरण

दिल्ली पुलिस को लघु शस्त्र निर्माण से, 5000 संयुक्त उद्यम सुरक्षात्मक कार्बाइन की खरीद के लिए ₹99.74 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया।

दिल्ली पुलिस को 'हिंसा मुक्त घर- महिला का अधिकार' परियोजना के लिए ₹39.1310 लाख के व्यय से सामाजिक कार्यकर्ताओं की निरंतर नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

2022 में गृह मंत्रालय ने एमटीएनएल के माध्यम से ₹19.91 करोड़ की कुल लागत से 104 मौजूदा साइबर हाईवे स्थानों के समुन्नयन (एलिवेशन) का अनुमोदन प्रदान किया।

₹43 लाख की लागत से इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) के माध्यम से कार्यान्वित 'डेटाबेस से लोगों की मल्टी-मोडल रिट्रीवल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग' परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया।

दिनांक 31 मई 2019 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान, 19,407 कार्यक्रमों में, दिल्ली पुलिस ने 31,85,151 महिलाओं/बालिकाओं को आत्म-रक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया।

दिल्ली पुलिस द्वारा ₹42.20 करोड़ की नियत लागत से सीसीटीएनएस आँकड़ा केंद्र और आपदा रिकवरी केंद्र की स्थापना।

दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2019-20 में 1874 नई मोटरसाइकिलें खरीदी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिल्ली पुलिस को कुल 1024 वाहनों की खरीदी के लिए स्वीकृति दी गई (300 Maruti Ertiga, 200 Bolero, 100 Scorpio, 250 Innova Crysta, 100 Mini Buses, 40 Prison Vans, 32 Trucks, 02 Water Tanker)।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिल्ली पुलिस को 15 मोबाइल फॉरेंसिक वैन्स की खरीद के लिए स्वीकृति दी गई।

फरवरी, 2020 में, इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS) के अंतर्गत, रेड लाइट स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम (RLVD) को 30 चौराहों पर लगाया गया और दिल्ली में विभिन्न सड़क मार्गों पर 125 ओवर-स्पीड वायलेशन डिटेक्शन (OSVD) कैमरे लगाए गए।

दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग ने शस्त्र लाइसेंस पुस्तिका को 'Smart Card' के रूप में विकसित किया है।

## दिल्ली पुलिस कर्मी कल्याण

40 वर्ष से अधिक आयु के दिल्ली पुलिस कर्मियों की वार्षिक स्वास्थ्य जाँच हेतु दिनांक 23 सितम्बर 2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

दिल्ली पुलिस कार्मिकों के लिए आवास उपलब्धता स्तर में सुधार करने के लिए, दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से ₹467.42 करोड़ के कुल वित्तीय भार से नरेला में 501 तैयार निर्मित MIG फ्लैटों की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। डीडीए को भुगतान कर दिया गया है और डीडीए द्वारा सभी 501 फ्लैट दिल्ली पुलिस को सौंप दिए गए हैं।

अभी तक, 13,881 आवासीय भवन उपलब्ध हैं। कुल पात्र कर्मियों की संख्या 85,259 है, आवासीय संतुष्टि अभी 16.28% है।

# गृह मंत्रालय

## प्रशासनिक सुधारों से सुगमता की ओर

### E-office का प्रभावी कार्यान्वयन

- फाइलों का इलेक्ट्रोनिक मूवमेंट real time basis पर हो रहा है।
- ई-ऑफिस का उपयोग 6.61% (2019) से बढ़कर 47.51% हो गया है।
- गृह मंत्रालय आज की तारीख में ई-फाइल के नवीनतम संस्करण 7.34 पर काम कर रहा है।
- माननीय गृह मंत्री के निर्देशानुसार, फाइलों के लिए "समीक्षा तिथि" मॉड्यूल विकसित किया गया है और गृह मंत्रालय के ई-ऑफिस इंस्टांस में शामिल किया गया है।
- सभी कर्मचारियों की डाटा मैपिंग अपडेट की गई।
- 82 से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 1865 अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-ऑफिस में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया।
- गृह मंत्रालय में पावतियों का औसत निपटान समय 4.43 दिन है।
- 30 मई, 2019 के बाद से अब तक 61,938 संचिकाओं को ई-फाइल में परिवर्तन किया जा चुका है।
- प्रत्येक संयुक्त सचिव द्वारा e-office में अपनी लंबित फाइलों की विवरणी प्रतिदिन एक निश्चित समय (11.00 बजे) पर रिव्यु।

### नियमित रिव्यु बैठकें

- प्रत्येक प्रभाग की साप्ताहिक आन्तरिक बैठक।
- विज़न डॉक्यूमेंट का नियमित रिव्यु।
- गृह मंत्रालय एवं संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में डी.पी.सी. की बैठकों का ससमय आयोजन सुनिश्चित करना।
  आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्राप्ति।

### जवाबदेही

- आर.टी.आई निस्तारण।
- कोर्ट केस का एफिडेविट बनने से लेकर, उस पर निर्णय आने तक मॉनीटरिंग करने एवं उनके निष्पादन की प्रक्रिया।

## डॉक्यूमेंटेशन

- मा. गृह मंत्री जी द्वारा सभी महत्त्वपूर्ण निर्णयों का वर्गीकरण और डॉक्यूमेंटेशन।
विभाग के नीतिगत निर्णयों एवं उपलब्धियों का वर्गीकरण एवं डॉक्यूमेंटेशन का मासिक अपडेशन।

## संचिकाओं का शीघ्र एवं समयबद्ध निष्पादन

- 06 माह से लंबित संचिकाओं के यथाशीघ्र निपटान के लिए सभी प्रभागों को निर्देशित किया गया है।
- सभी संचिकाओं/पंजिकाओं एवं अन्य समस्त अभिलेखों इत्यादि का रिकॉर्ड रिटेंशन/वीड-आउट मासिक आधार पर किया जा रहा है।

## संसदीय कामकाज

- 3 वर्षों में 20 विधेयक / संकल्प पारित किये गए, जिस पर लोकसभा में 65 घंटे 52 मिनिट्स तथा राज्यसभा में 55 घंटे 57 मिनिट्स की लम्बी चर्चा हुई, कुल मिलाकर दोनों सदनों में 121 घंटे 9 मिनिट्स की चर्चा।
- लैंडमार्क विधेयक: धारा 370 निरस्त, आर्म्स एक्ट में संशोधन, दिल्ली नगर निगमों का विलय एवं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना।
- संसद प्रश्नों/आश्वासनों का समयबद्ध तरीकों से निष्पादन।
- यदि संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के नियम/विनियमों का सृजन लंबित है तो उस पर समयबद्ध कार्रवाई।

## गृह मंत्रालय में रिफॉर्म/गतिविधियाँ

- मंत्रालय-स्तर पर विस्तृत संवाद प्रक्रिया।
- प्रत्येक प्रभाग में कार्य राजभाषा में किया जा रहा है।
- ऐसे मुद्दों की वैज्ञानिक पहचान, जो वर्तमान में गृह मंत्रालय के अधीन हैं, परंतु जिन्हें अन्य मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए, उन मुद्दों को संबंधित मंत्रालयों को हस्तांतरित करना।
- नागरिकों और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुपालन (compliance) के बोझ को कम करने के लिए गठित समिति द्वारा सामयिक रिपोर्ट प्रेषित करना।
- गृह मंत्रालय के अधीनस्थ प्रभागों से सम्बद्ध समस्त संगठनों/ट्रस्ट/कम्पनियों की संख्या कम करना।
- गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले बलों एवं कार्यालयों की सभी वर्गों की अगले 5 वर्षों में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति।
- लोगों की समस्याओं का यथा-समय निष्पादन एवं जनता के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने और जनता से प्राप्त होने वाली कॉल को प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा अटेंड किए जाने के लिए मंत्रालय में व्यवस्था करना।
- सभी आवासीय एवं कार्यालय भवनों के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था का निर्णय किया गया है।

# महिला सुरक्षा

सरकार ने 'वुमेन लेड डेवलपमेंट' का आह्वान किया है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

## प्रमुख नीतिगत निर्णय

### 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)

- ईआरएसएस ने देश में **वन-नेशन, वन-इमरजेंसी नंबर सुविधा को सक्षम किया** है।
- राष्ट्रीय औसत प्रतिक्रिया समय **18.58 मिनट** है (जुलाई, **2024** तक)।
- अब तक **44 करोड़ से अधिक कॉल्स को हैंडल** किया जा चुका है।
- 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) को **1078 राष्ट्रीय आपदा हेल्पलाइन** के साथ **35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** में एकीकृत कर दिया गया है।
- **112 आपातकालीन** प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली **(ईआरएसएस)** को सभी **राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों** में **139 रेल मदद** और **1098 चाइल्ड हेल्पलाइन** के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
- **112 आपातकालीन** प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को **33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों** में **181 महिला हेल्पलाइन** के साथ एकीकृत किया गया है।
- लगभग **44.64 लाख उपयोगकर्ताओं** ने **112 इंडिया ऐप डाउनलोड** किया है।
- सभी **36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 112 को चालू कर दिया** गया है।

# दिल्ली पुलिस का सशक्तीकरण

सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के अंतर्गत 8 शहरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद,बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ) को मंजूरी दी गई थी।

अंधेरी गलियों व क्राइम हॉट स्पॉट्स पर स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना

पुलिस को सतर्क करने के लिए सर्विलांस का उपयोग, सीसीटीवी कैमरे की स्थापना शामिल है।

शी टॉयलेट / पिंक टॉयलेट स्थापित किए गए।

संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल ₹1,694.72 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं।

# अंतर-संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली (सीसीटीएनएस)

- सीसीटीएनएस अब देश के सभी पुलिस स्टेशनों (17,189 पुलिस स्टेशनों) में लगाए
- कानून प्रवर्तन अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच की सुविधा
- सीसीटीएनएस में 9.27 करोड़ एफ.आई.आर और 6.97 करोड़ चार्जशीट/अंतिम रिपोर्ट सहित लगभग 34. 81 करोड़ अपराध रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने CCTNS पर अपने नागरिक सेवा पोर्टल शुरु कर दिए हैं
- अब तक 50.24 करोड़ अनुरोधों को पूरा किया जा चुका है।
- **महिला सहायक एवं सुलभ पुलिस स्टेशन :** 14,658 WHD पहले से ही चालू हैं
- **जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना:** देश में 788 एएचटीयू काम कर रहे हैं
- NIA द्वारा मानव तस्करी मामलों की जाँच
- साइंस प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना
- **यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट का वितरण :** 18020 यौन उत्पीड़न के साक्ष्य किट वितरित
- **साक्ष्य संग्रह संबंधी प्रशिक्षण :** 28539 ऑफिसियल का प्रशिक्षण
- **ITSSO प्रणाली:** ITSSO अनुपालन दर 2018 में 43% से 2025 61.80% (दिनांक 26 मई 2025 तक) वृद्धि दर्शाता है। समग्र निपटान दर यानी स्थापना के बाद से 93.20 % है।
- **यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO) डाटाबेस :** 20.61 लाख से अधिक यौन अपराधियों के डेटा हैं।
- अत्याधुनिक DNA विश्लेषण केंद्र
- **राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS):** कुल NAFIS डेटाबेस का आकार - 1,13,82,650
- आईसीजेएस (ICJS) राष्ट्रीय डाटाबेस पर अब तक 88.38 करोड़ सर्च किए जा चुके हैं।
- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड चेक (NCRC) पोर्टल पर 41,283 पूर्ववृत्त सत्यापन (antecedents verification) अनुरोधों की जांच की गई है।

# आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018

12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित और भी कड़े दंड प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए अधिनियमित

बलात्कार के मामलों में 2 महीने में जाँच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने और 2 महीने में ट्रायल को पूरा करने का आदेश

## नई केंद्रीय नागरिक सेवाएँ

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा digitalpolicecitizenservice.gov.in पोर्टल पर तीन नई केंद्रीय नागरिक सेवाएँ शुरू की गई हैं।

अब तक 68,97,223 लॉग-इन दर्ज किए गए हैं। इन सेवाओं में महिला सुरक्षा से संबधित :

- गुमशुदा व्यक्ति खोज सेवा, नागरिकों को बरामद अज्ञात व्यक्ति/अज्ञात शवों के राष्ट्रीय डेटाबेस से उनके लापता परिजनों की ऑनलाइन खोज करने की अनुमति देती है। 57536 खोजें की जा चुकी हैं।
- **घोषित अपराधियों की जानकारी से सेवा:** 150991 सजग नागरिकों ने अपराधियों की जानकारी का इस्तेमाल किया है।

**श्री नरेन्द्र मोदी**
माननीय प्रधानमंत्री

**श्री अमित शाह**
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

**श्री राजनाथ सिंह**
केन्द्रीय रक्षा मंत्री
पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री (मई 2014-मई 2019)

**श्री जी. किशन रेड्डी**
केन्द्रीय संस्कृति, पर्यटन व DoNER मंत्री
पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (मई 2019-जुलाई 2021)

**श्री किरेन रिजिजू**
केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री
पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (मई 2014-मई 2019)

**श्री नित्यानंद राय**
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (मई 2019-वर्तमान)

**श्री अजय कुमार मिश्रा**
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (जुलाई 2021-वर्तमान)

**श्री निसिथ प्रामाणिक**
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (जुलाई 2021-वर्तमान)

**श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी**
पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (नवंबर 2014-जुलाई 2016)

**श्री हंसराज गंगाराम अहीर**
पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (जुलाई 2016-मई 2019)